राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] ग्यारहवीं विधान सभा के छठे सत्र का दूसरा दिवस [संख्या : 2

बुधवार,

28 मार्च, 2001

राजस्थान विधान सभा की बैठक
11.00 बजे विधान सभा भवन,
जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : शपथ अथवा प्रतिज्ञान।

शपथ अथवा प्रतिज्ञान

श्री नाथूलाल गुर्जर, हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र से उप चुनाव में निर्वाचित सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

सचिव, राजस्थान विधान सभा (श्री जसवन्त सिंह माली) : श्री नाथूलाल गुर्जर, हिण्डौली।

श्री नाथूलाल गुर्जर, (हिण्डौली) शपथ हिन्दी।

(श्री नाथूलाल गुर्जर, माननीय सदस्य ने ईश्वर के नाम पर शपथ ली)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार ने, अकाल पीड़ित सरकार ने बिजली की दरों को इतना बढ़ा दिया.... (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, बिजली की दरें, वापस लो, वापस लो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान के अन्दर कल शहर बंद हुए हैं, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) अब इस सरकार ने वायदा किया था कि......

श्री हीरासिंह चौहान : धोखा किया है, अध्यक्ष महोदय। ....इस सरकार ने अन्याय किया है. . (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : जबरदस्त धोखा किया है।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : + + + तहलका-तहलका। तहलका की भी बात कीजिए, तहलका की भी।

एक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति नारेबाजी अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : + + +

(सदन में नारेबाजी)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, बिजली को इतना महंगा कर दिया, यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी): जिस प्रकार का काम किया राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान की जनता पर...... (व्यवधान) इस कारण से इस प्रकार जर्जर हो गया है......(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा।

एक माननीय सदस्य : तहलका, तहलका, तहलका, तहलका।

एक माननीय सदस्य : + + +

श्री मदन दिलावर : + + +

एक माननीय सदस्य : काम तो होता नहीं, बिजली बनाई नहीं आपने। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : डीजल के भाव बढ़ाने वाली सरकार......डीजल के भाव बढ़ाने वाली सरकार......

श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : + + + किया है तहलका के तहत और आज यह लोग......(व्यवधान)

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : दिल्ली की सरकार + + + है... + + +... (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचोर) : तहलका, तहलका ने तहलका मचा दिया।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : + + +

(सदन में नारेबाजी)

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : आप लोग + + + (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : + + +

(नारेबाजी)

डा. के. सी. विश्नोई : तहलका वालों को गिरफ्तार करो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : यह किसान विरोधी सरकार......(व्यवधान)... जो बिजली की दरों के समर्थन में खड़ा होगा उसको मारेंगे......(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : + + +

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आकर नारेबाजी)

श्री रामस्वरूप : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री रामस्वरूप : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री रामस्वरूप : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

(नारेबाजी)

अनेक माननीय सदस्य : + + +

(नारेबाजी)

एक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : + + +

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति/नारेबाजी अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(नारेबाजी)

अनेक माननीय सदस्य : + + +

(नारेबाजी)

डा. के. सी. चौधरी : देश की सुरक्षा को बेचने वाले लोगों को गिरफ्तार करो।

श्री अध्यक्ष : विराजिए।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : + + +

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : गली-गली में शोर है......(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : + + +

(सत्तापक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : भाजपा का नेता खुद ही लांघ गया लक्ष्मण रेखा। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : + + + ...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : ...(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : + + +

(सत्तापक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व भारी शोरगुल)

एक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : + + + (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : + + + (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री हीरालाल विश्नोई : + + +

(सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : एक बजे कर दें। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी जारी)

श्री हीरालाल विश्नोई : + + + (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : + + +

(सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया, अपने-अपने स्थान पर

+ + + नारेबाजी/अभिव्यक्ति/अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

बैठ जाएं। कृपया, अपने-अपने स्थान पर बैठें। अपने-अपने स्थान पर बैठें।

(शोरगुल और व्यवधान)

श्रीमती शांति पहाड़िया : आप लोगों ने जो तहलका का इतना बड़ा कांड करके, अभी भी बोलने की जरूरत रह गई आप लोगों को? (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : + + +

(सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्रीमती शांति पहाड़िया : इतना बड़ा कांड आज तक न हुआ और न होगा। जो कांड आप लोगों ने किया है, तब भी जरूरत है आप लोगों को कहने की। इतना बड़ा कांड करके, एक तहलका से आपका पेट नहीं भरा? तहलका कर रहे हैं (व्यवधान) कांड किया है क्या? (व्यवधान) ऐसा दुनिया में हो जाने जैसा किया है, कोई तो मुंह छिपाकर खाता है लेकिन आपने तो सारी पब्लिक के सामने वह लेते हुए...(व्यवधान) उसे कहां छुपाएंगे? कहां छुपाएंगे (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : + + + (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्रीमती शांति पहाड़िया : एक महीना बीत गया, कहां छुपाएंगे? तहलका को छुपाने के लिए यह बीच में आकर खड़े हो जाएं, यह कोई बात नहीं है। सब जानते हैं आप लोगों को कैसे यह किया। (व्यवधान) पब्लिक सब जानती है।

श्री अध्यक्ष : विराजिए।

श्री हीरालाल विश्नोई : + + + (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी व शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : विराजिए।

श्री हीरालाल विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, + + + (व्यवधान)

श्रीमती शांति पहाड़िया : आप लोग जो कर रहे हैं यह मुल्क के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। मुल्क के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : यह एन.डी.ए. सरकार......(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : सदन की बैठक...... (व्यवधान)

श्रीमती शांति पहाड़िया : आप लोगों ने बहुत किया, अब दुनिया सब जानती है (व्यवधान)

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति/नारेबाजी अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामस्वरूप : + + +

(सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : सदन की बैठक एक बजे अपरान्ह तक स्थगित की जाती है। एक बजे तक।

(तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.17 बजे से 13.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(पुनः समवेत होने पर)

(13.00 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्रीमती कमला।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यगण ने सदन कूप में आकर जोर-जोर से बोलना प्रारम्भ किया)

सदन पटल पर रखे गये पत्रादि

अधिसूचनाएं

राजस्व विभाग

श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की निम्नांकित 12 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखती हूं: —

1. अधिसूचना संख्या प. 10(6)राज6 /98/पार्ट/43 दिनांक 8.12.2000 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भूमि अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है।

2. अधिसूचना संख्या प6(3)राजस्व/ग्रुप-4/86/45 दिनांक 16.12.2000 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ6(3)रेव/ग्रुप-4/86/4 दिनांक 31.1.1986 में संशोधन किया गया है।

3. अधिसूचना संख्या प6(10)राज-6/99/2 दिनांक 13.2.2001 जिसके द्वारा आदेश क्रमांक प5(109)राज-खं/60 दिनांक 20.7.1963 में संशोधन किया गया है।

4. अधिसूचना संख्या प6(9) राज-6/99/5 दिनांक 14.2.2001 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में आवासीय और वाणिज्यिक और लोकोपयोगी प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि का आवंटन, संपरिवर्तन एवं नियमितिकरण) नियम, 1981 निरसित किये गये हैं।

5. अधिसूचना संख्या प. 6(10)राज-6/99/6 दिनांक 15.2.2001 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (सिनेमाओं के संनिर्माण तथा पेट्रोल पम्प या चिकित्सा सुविधाएं स्थापित किये जाने हेतु कृषि भूमि का आवंटन, संपरिवर्तन और नियमितिकरण) नियम, 1970 में संशोधन किये गये हैं।

+ + + नारेबाजी/अभिव्यक्ति/अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्रीमती कमला)

6. अधिसूचना संख्या प6(10)राज-6/99/7 दिनांक 15.2.2001 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (गौशालाओं को भूमि का आवंटन) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है।

7. अधिसूचना संख्या प6(10)राज-6/99/8 दिनांक 15.2.2001 जिसके द्वारा राजस्थान भू राजस्व (ईंट भट्टों के स्थापन के लिए कृषि भूमि का आवंटन और संपरिवर्तन) नियम, 1987 में संशोधन किया गया है।

8. अधिसूचना संख्या प6(10)राज-6/99/9 दिनांक 15.2.2001 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का कृषित्तर भूमि में संपरिवर्तन) नियम, 1961 में संशोधन किया गया है।

9. अधिसूचना संख्या प6(10)राज-6/99/10 दिनांक 15.2.2001 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (डेयरी कुक्कुट और सुअर फार्मों को भूमि का आवंटन) नियम, 1958 में संशोधन किया गया है।

10. अधिसूचना संख्या प6(30)राज-6/2000/11 दिनांक 19.2.2001 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (गौशालाओं को भूमि का आवंटन) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है।

11. अधिसूचना संख्या प6(6) राज/ग्रुप-6/92/13 दिनांक 13.3.2001 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 1992 में संशोधन किया गया है।

12. अधिसूचना संख्या प6(6) राज-6/92/14 दिनांक 13.3.2001 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटन) नियम, 1959 में संशोधन किया गया है।

उपनिवेशन विभाग

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखती हूं: —

1. अधिसूचना संख्या एफ-4(3)उप/99 दिनांक 14.12.2000 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (गंग कैनाल क्षेत्र में भूमि का स्थाई आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1956 में संशोधन किया गया है।

2. अधिसूचना संख्या एफ-4(19)उप/99 दिनांक 10.1.2001 जिसका द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है।

3. अधिसूचना संख्या एफ-4(2)उप/99 दिनांक 14.3.2001 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखरा परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1955 में संशोधन किये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सी. पी. जोशी।

पंचायती राज विभाग

श्री सी. पी. जोशी (पंचायती राज मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या एफ-4 ()पराधि/स्थाई समिति चुनाव/2000/4934 दिनांक 26.9.2000 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज (स्थाई समिति गठन) नियम, 2000 विरचित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

प्रतिवेदन

द्वितीय राज्य वित्त आयोग का अंतरिम प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्री छोगाराम बाकोलिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं द्वितीय राज्य वित्त आयोग का अंतरिम प्रतिवेदन एवं उस पर की गई कार्यवाही सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री छोगाराम बाकोलिया।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यगण द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

(प्रतिपक्ष के अन्य माननीय सदस्यगण सदन कूप में बैठे)

अधिसूचनाएं
यातायात विभाग

श्री छोगाराम बाकोलिया (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यातायात विभाग की अधिसूचना संख्या प-7(4)परि/नियम/मु/पार्ट-11 दिनांक 5.1.2001 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर व्हीकल्स नियम, 1990 में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल इन्दौरा।

प्रतिवेदन

राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 21वां वार्षिक (1999-2000) प्रतिवेदन

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 53वां वार्षिक (1999-2000) प्रतिवेदन

श्री हीरालाल इन्दौरा (राज्य मंत्री, खनिज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं (1) कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 21वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000; एवं (2) कम्पनीय अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 53वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000 सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का 11वां प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंहजी। अब तो सुननी पड़ेगी आपको।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 11वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के

(श्री हरिसिंह)

11वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 11वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

सहमति प्रदान की गई।

(कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

(वित्तीय कार्य) माननीय प्रद्युम्न सिंहजी।

अनुदान की मांग

अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2000-2001 का उपस्थापन

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2000-2001 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन करता हूं।

धन्यवाद प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : डा. करण सिंहजी।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान के राज्यपाल महोदय को निम्नांकित रूप में धन्यवाद प्रस्तुत किया जाय,। "इस सत्र में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं।"

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललित भाटी। (व्यवधान) वह कह रहे हैं।

डा. करण सिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने आपको गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आज आधुनिक सज्जा के सुसज्जित, राजस्थानी, मेवाड़ी, मारवाड़ी स्थापत्य कला से परिपूर्ण इस भवन में राजस्थान के राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्तुत करने का गौरव मुझे हासिल हुआ है। अत्यन्त खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है कि भारत के प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारीजी वाजपेयी जिन्होंने पिछले दिनों रावतभाटा में आकर राजस्थान सरकार के कार्यों की प्रशंसा की, आज मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूं, अटल बिहारीजी की बात करना चाहता हूं, उनकी पार्टी के लोग बात सुनने को तैयार नहीं हैं।

(सदन में नारेबाजी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, सन् 71 में पार्लियामेंट में अटल बिहारीजी के मन में सत्य उमड़ पड़ा था, सच बोलने की भावना उमड़ आई थी और उन्होंने कहा था कि तू दूर्गे है, तू शक्ति है और इन्दिरा गांधी को कहा—तू देश की रणचण्डी है। ऐसा प्रधान मंत्री आज हमारे देश में हैं जिसकी सच बोलने की परम्परा रही है। आप याद कीजिये, वह प्रधान मंत्री सन् 1984 में जब ग्वालियर के अंदर महाराज सिंधिया साहब के सामने चुनाव लड़ रहे थे तब अटल बिहारीजी ने जनता की भावनाओं को परखा और कहा, यह चुनाव सिंधियाजी, आप जीत गये, जनता ने, आपने मुझे हरा दिया। ऐसे हैं अटल

(डा. करण सिंह यादव)

बिहारीजी, जिनके मुंह से सदैव सच निकलता है। एक सच पिछले दिनों निकला जब वह कोटा में आये और राजस्थान के अंदर अकाल के तीसरे साल में राज्य सरकार के द्वारा किये गये कार्यकलापों की, राज्य सरकार द्वारा बिजली में किये गये कार्यकलापों की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

(सदन में नारेबाजी)

मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्रीजी को, माननीय अकाल राहत मंत्रीजी को और पेयजल मंत्रीजी को कि आपके कार्यों का सर्टिफिकेट हमको इनसे नहीं चाहिए, आपको कार्यों का सर्टिफिकेट हमको देकर गये हैं भारत के प्रधानमंत्री और वह प्रधानमंत्री जिसके मुंह से जाने-अनजाने सच निकलता है। पिछले दिनों स्वयं कह पड़े कि कुछ दाल में काला है। यह दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है, प्रधानमंत्रीजी, आप सच बोलते हैं। ऐसे लोगों को जिन्होंने भ्रष्टाचार देश में एक सीमा पर लाकर के पहुंचा दिया, जो दलाली रक्षा के अनेक सौदों के अंदर, आज भारत की आम जनता ने देखा उनको...(व्यवधान) सुनना नहीं चाहते। उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि मेरे विपक्ष के भाई + + + को बचाने के लिए मुद्दों पर बात भी नहीं करना चाहते इसलिए मैं अपनी बात अधिक नहीं करके इस सदन से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि माननीय राज्यपाल महोदय को सर्वसम्मति से धन्यवाद दें। धन्यवाद।

(सदन में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललित भाटी।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, बहरोड से आने वाले मेरे साथी डा. करण सिंहजी ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है इस सदन में, मैं उसके अनुमोदन में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यह हमारे विपक्ष के साथी जो इस तरीके से यहां हंगामा कर रहे हैं, मैं इनसे यह सवाल करना चाहता हूं अपनी बात कहते हुए कि प्रदेश के विकास का मापदण्ड क्या हो, प्रदेश के विकास की गति की बात क्या है? क्या इस प्रकार से मुद्दों से मुंह चुराना, क्या जो इन्होंने अपने आठ साल के अंदर कार्यक्रम किये, मैं यह बताना चाहता हूं कि क्या विद्युत उत्पादन एक मापदण्ड होना चाहिए या केलोरी कंजम्पशन एक मापदंड होना चाहिए। विकास की योजनाएं एक मापदण्ड होना चाहिए। आधारभूत और ढांचागत सुविधाओं को पैदा करना एक आधारभूत मुद्दा होना चाहिए। पशुधन की रक्षा करना एक मापदंड होना चाहिए। मापदंड के ऊपर

+ + + नारेबाजी/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री ललित भाटी)

अगर हम देखें तो 90 से 98 में भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी एक काम नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, 23,500 करोड़ रुपये का इन्होंने कर्जा लिया, उस कर्जे से कौनसी सम्पत्ति प्रदेश में खड़ी हुई? नैतिकता की बात करने वाले ये लोग इस तरह नैतिकता की बात करते हैं...(व्यवधान) + + + (सदन में नारेबाजी) जो नैतिकता की बात करते हैं। आज ये एक तरीके का होवा खड़ा कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि रक्षा सौदे...(व्यवधान)...प्रेशर किसने डाला। ये बात सुनना नहीं चाहते। ये + + + के लोग बात नहीं सुनना चाहते। मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

(सदन में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 4.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 13.11 बजे से 16.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(पुनः समवेत होने पर)

(16.00 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अनुरोध/मांग

विद्युत की बढ़ी दरों को वापस लेने की मांग

श्री उपाध्यक्ष : अनुपूरक अनुदान की मांग वर्ष 2000-2001 पर मतदान। (व्यवधान) विराजिए, (व्यवधान) हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : पूरा राजस्थान बंद था, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की गली-गली में, गांव-गांव में लोग आंदोलन कर रहे हैं। जिस सरकार ने वादा किया था 37 नये पैसे में किसान को बिजली देंगे और उसी सरकार ने बिजली की दरें बढ़ाकर किसान की कब्र खोद दी।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

माननीय सदस्य, आप इस बात को समझिए, यह कांस्टीट्यूशनल प्रोविजन है, इसको रोकने से आपको कोई फायदा नहीं है। आप अपने स्थान पर जाइए।

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : + + +

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : + + +

एक माननीय सदस्य : + + +

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति/नारेबाजी अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, हम आसन का पूरा सम्मान करते हैं। आपके हर आदेश को...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री शैलेन्द्र जोशी : + + +

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप बैठिए रामस्वरूपजी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : + + +

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, हम आसन का पूरा सम्मान करते हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : + + +

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा आपसे निवेदन है, हम आसन के हर आदेश का सम्मान करते हैं और हम सहयोग करना चाहते हैं। हम बाधा नहीं पैदा करना चाहते हैं। हमारी यह कोई मंशा नहीं है। (व्यवधान) सप्लीमेंट्री ग्रांट पास कराना एक वैधानिक प्रक्रिया है और इस वैधानिक प्रक्रिया में हमारा पूरा सहयोग शासन को रहेगा। हम इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि जो संवैधानिक प्रक्रिया आपको पूरी करनी है, सप्लीमेंट्री डिमाण्ड पास करानी है उसमें हम कोई बाधक नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि प्रातःकाल से लेकर अब तक हम अपनी बात को बराबर कह रहे हैं लेकिन इस सरकार पर बिलकुल असर नहीं हो रहा है। राजस्थान की गरीब जनता की जैसी हालत है और वह लगातार तीन अकाल को भुगत रही है ईमानदारी से इनमें से अधिकांश सदस्यों से इनके दिल पर हाथ रखा कर पूछा जाए कि क्या आज यह बिजली की बढ़ी हुई दर राजस्थान का गरीब किसान और गरीब व्यक्ति पेमेंट कर सकता है। वह तीन सालों से अकाल भुगत रहा है। मैं पूछता हूं कि सरकार चाहती क्या है? अगर आप इसी बात पर अड़े हुए हो कि हमें यह प्रक्रिया करानी है तो निश्चित रूप से मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि जनता के इस कष्ट के लिए बढ़े हुए दामों को वापस लें। इस संवैधानिक प्रक्रिया में हम बाधक नहीं बनना चाहते हैं। आज हम बहिष्कार कर रहे हैं, कल फिर से इसी प्रकार मैदान में उतरेंगे। जब तक सरकार अपना मन बनाकर इन बढ़े हुए दामों को वापस नहीं लेगी तब तक रोज इसी प्रकार की प्रक्रिया चलती रहेगी। इसलिए मैं और मेरा दल अपना बहिर्गमन करते हैं सरकार की इस हठधर्मिता के खिलाफ।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री शैलेन्द्र जोशी : + + + भारत की सभ्यता-संस्कृति की धरोहर की + + +

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, रामस्वरूपजी।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति/नारेबाजी अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग का पारण

अनुपूरक अनुदान की मांगें (वर्ष 2000-2001)

मांग संख्या-1

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-1 राज्य विधान मण्डल के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 52,27,000/- (बावन लाख सत्ताइस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-5

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-5 प्रशासनिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9000/- (नौ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-7

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-7 निर्वाचन के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,78,68,000/- (दो करोड़ अठत्तर लाख अड़सठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-8

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-8 राजस्व के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,000/- (चार हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-9

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-9 वन के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 22,35,84,000/- (बाइस करोड़ पैंतीस लाख चौरासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-10

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-10 विविध सामान्य सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये

(श्री उपाध्यक्ष)

1,10,000/- (एक लाख दस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-11

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-11 विविध सामाजिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-15

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-15 पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,30,31,73,000/- (पांच अरब तीस करोड़ इकतीस लाख तिहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-16

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-16 पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 25,00,000/- (पच्चीस लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-18

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-18 जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 66,00,000/- (छियासठ लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-19

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-19-लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 20001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,000/- (पन्द्रह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-20

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-20-आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में

(श्री उपाध्यक्ष)

किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 23,85,49,000/- (तेइस करोड़ पिचयासी लाख उनचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-22

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-22-क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,58,79,000/- (तीन करोड़ अट्ठावन लाख उनयासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-24

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-24 शिक्षा एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 71,66,07,000/- (इकहत्तर करोड़ छियासठ लाख सात हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-26

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-27

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-27 पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 83,89,82,000/- (तियासी करोड़ नवासी लाख बयासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-30

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,30,39,000/- (तेरह करोड़ तीस लाख

(श्री उपाध्यक्ष)

उनतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-31

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-31 पुनर्वास एवं सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 60,000/- (साठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-33

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,05,000/- (दस लाख पांच हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-34

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानि की मांग संख्या-34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,85,71,07,000/- (दो अरब पिचयासी करोड़ इकहत्तर लाख सात हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-35

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-35 विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 22,55,08,000/- (बाइस करोड़ पचपन लाख आठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-36

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-36 सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त

(श्री उपाध्यक्ष)

राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-37

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-37 कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 30,93,000/- (तीस लाख तिरानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-38

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,40,18,000/- (दो करोड़ चालीस लाख अट्ठारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-39

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-39 पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-40

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-40 राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,51,000/- (सोलह लाख इक्यावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-41

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-41 सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 58,40,71,000/- (अट्ठावन करोड़ चालीस लाख इकहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या-42

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-42 उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,000/- (छह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-43

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-43 खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-46

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-46 सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 69,34,76,000/- (उनहत्तर करोड़ चौंतीस लाख छिहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-48

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-48 विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,25,60,03,000/- (दो अरब पच्चीस करोड़ सांठ लाख तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-50

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-50 ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,07,99,000/- (पन्द्रह करोड़ सात लाख निन्यानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री प्रद्युम्नसिंह जी।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2001

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2001 (2001 का विधेयक

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

संख्या-11 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2001 (2001 का विधेयक संख्या-11 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विचारार्थ रखिये।

विधेयक पर विचार

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2001 (2001 का विधेयक संख्या-1) को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं?

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2001 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2001 (2001 का विधेयक संख्या-1) को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2001 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2001 को पारित किया गया।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 29 मार्च, 2001 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.22 बजे गुरुवार; 29 मार्च, 2001 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्नोत्तर

संत कंवर राम मण्डल पड़ाव, अजमेर के न्यासियों द्वारा मण्डल सम्पत्ति का अवैध बेचान

1. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या अमर शहीद संत कंवर राम मण्डल पड़ाव, अजमेर देवस्थान विभाग में पंजीकृत है? यदि हां, तो उक्त मण्डल के पास स्थायी व तरल कितनी व कौन-कौन सी संम्पत्ति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त मण्डल की सम्पत्ति के एक हिस्से पर स्व. श्री ज्ञानचन्द धर्मशाला व उसमें स्थित शिव मंदिर मण्डल के न्यासियों ने देवस्थान विभाग की बिना अनुमति के दिनांक 3 मार्च, 2000 को 31 लाख रुपयों में अल्प-संख्यक समुदाय के श्री हाजी पीर गुलाम मोहम्मद नियाजी, सैयद सल्ले मोहम्मद, श्रीमती जीनत नियाजी तथा श्री एस. एस. रियासत हुसैन को बेच दी है? क्या देवस्थान की अनुमति के बिना धार्मिक व सामाजिक बेचान धोखाधड़ी व न्यास भंग का आपराधिक कृत्य है? यदि हां, तो क्या सरकार ने न्यासी व खरीदारों एवं उप पंजीयक सम्पत्ति बेचान के विरुद्ध पुलिस में उक्त अवैध बेचान के विरुद्ध कोई प्राथमिकी दर्ज कराई है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त सम्पत्ति विक्रय निरस्त कर दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायेगी? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) उक्त मण्डल देवस्थान विभाग में पंजीकृत नहीं है, अतः उक्त सम्पत्ति के बेचान के लिए देवस्थान विभाग की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी।

जिला नागौर में भू-आवण्टन सलाहकार समिति की बैठकें

2. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) जिला नागौर के किसान गत कितने वर्षों से कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन/नियमन से वंचित हैं?

(2) उक्त जिले में भू-नियमन समिति की बैठकें कब से नहीं हो रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि भू-आवंटन/नियमन सलाहकार समिति की बैठकें लम्बे समय से नहीं होने से जिला नागौर के किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सलाहकार समिति की बैठकें आयोजित करने का विचार रखती

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मरुस्थलीय जिलों में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.4.76 द्वारा एक हैक्टेयर से अधिक भूमि के आवंटन पर प्रतिबन्ध है। उपखण्ड क्षेत्र नागौर में वर्ष 1984, मेड़ता में दिनांक 25.8.98, डीडवाना में जनवरी, 1988 तथा परबतसर उपखण्ड में दिनांक 28.6.84 के पश्चात् भूमि आवंटन/नियमन का कार्य नहीं हुआ है।

(2) इस जिले में उपखण्ड क्षेत्र, नागौर में वर्ष 1984 के बाद, मेड़ता में दिनांक 25.8.98 के बाद, डीडवाना में जनवरी, 1988 एवं परबतसर उपखण्ड में दिनांक 28.6.84 के बाद आवंटन सलाहकार समिति की बैठकें नहीं हुई हैं।

(3) मरुस्थलीय जिलों में दिनांक 21.4.76 के आदेश से एक हैक्टर से अधिक भूमि के कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन पर रोक है। इस रोक को हटाने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

जिला करौली में जन सम्पर्क अधिकारी का पदस्थापन

3. **श्री जनार्दन गहलोत** (करौली) : क्या सूचना एवं जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या जिला करौली में जन सम्पर्क अधिकारी का पद रिक्त है? यदि हां, तो क्यों और कब से?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पद भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

तहसील चूरू में कन्टीन्जेन्सी योजना पर व्यय

4. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सरकार द्वारा स्वीकृत बीसलपुर पेयजल योजना, राजीव गांधी नेशनल पेयजल योजना, राजीव गांधी नेशनल पेयजल मिशन योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि में फरवरी, 2001 तक कितनी राशि व्यय की गई तथा इनसे कितने गांवों को लाभान्वित किया गया?

(2) केन्द्र सरकार द्वारा राजीव गांधी नेशनल पेयजल मिशन में अब तक 102 करोड़ की राशि कब स्वीकृत की गई तथा उक्त राशि का क्या उपयोग किया गया?

(3) प्रदेश में कन्टीन्जेन्सी प्लान अन्तर्गत कितनी राशि किन-किन जिलों में कब-कब स्वीकृत की गई तथा कितनी राशि व्यय की गई?

(4) तहसील चूरू की कन्टीन्जेन्सी योजना कब बनी व उसके अन्तर्गत क्या-क्या कार्य प्रस्तावित किये गये व कितनी राशि व्यय हुई?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(5) उक्त तहसील में कितने भूमिगत जलाशय जल स्रोत से कब से नहीं जोड़े गये हैं? क्या सरकार पूर्व में निर्मित उक्त जलाशयों को जल स्रोतों से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(6) क्या सरकार ने नीति निर्धारण समिति की बैठक में पेयजल की दरों को बढ़ाने का निर्णय ले लिया है? यदि हां, तो प्रस्तावित बढ़ोत्तरी कितनी व कब से लागू होगी?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा बीसलपुर बांध से स्वीकृत विभिन्न पेयजल योजनाओं का नाम, लाभान्वित शहरों/गांवों की संख्या तथा फरवरी, 2001 तक व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:—

क्रम संख्या	योजना का नाम	प्रस्तावित कवरेज		अब तक किया गया कवरेज		फरवरी-2001 तक व्यय रु. (लाखों में)
		शहर	गांव/ढाणी	शहर	गांव/ढाणी	
1.	बीसलपुर अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर योजना	6	0	6	0	योजना पूर्ण
2.	फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना केकड़ी-सरवाड़ तहसील	—	94	—	62	3240.54
3.	फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना नसीराबाद तहसील	—	61	—	0	118.56
4.	फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना भिनाय-मसूदा सैक्टर (गांवों हेतु मात्र जल उत्पादन का प्रावधान शामिल)	2	232	0	0	1807.35
5.	जयपुर-बीसलपुर योजना	3	22	0	0	220.00

राजीव गांधी नेशनल पेयजल मिशन योजना के अन्तर्गत फरवरी, 2001 तक 15182 लाख रुपये (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) व्यय किये जा चुके हैं। इस वित्तीय वर्ष में फरवरी 2001 तक 26 मुख्य ग्राम, 465 अन्य हैबीटेशन तथा 5143 जो आंशिक रूप से लाभान्वित थीं, को पूर्ण लाभान्वित किया गया है। इस प्रकार कुल 5634 हैबीटेशन्स को लाभान्वित किया गया है।

(2) राजीव गांधी जल मिशन के अन्तर्गत सैक्टर रिफोर्म प्रोजेक्ट का नया प्रावधान सहभागिता सिद्धान्त अपनाने के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा लिया गया है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के तीन जिलों जयपुर, सीकर एवं अलवर हेतु प्रोजेक्ट अनुमानित लागत 10171 लाख रु. के भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा सितम्बर 2000 के अन्तिम सप्ताह में इस हेतु 2839 लाख

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

स्वीकृति कर प्रथम किश्त उपलब्ध करवाई गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रान्त व जिला स्तर पर वाटर एण्ड सेनीटेशन मिशन का गठन किया जा चुका है। अब कार्य प्रगति में आना आशान्वित है। इस कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय वाटर एण्ड सैनीटेशन मिशन तथा ग्राम स्तरीय वाटर एण्ड सैनीटेशन कमेटी द्वारा सभी निर्माण कार्य किये जाने हैं।

(3) प्रदेश में वर्ष 2001 की गर्मियों के लिये कन्टीजेन्सी प्लान के अन्तर्गत कुल 210.9 करोड़ रु. के विभिन्न कार्य प्रस्तावित किये गये हैं। फरवरी 2001 तक कुल रु. 27.24 करोड़ राशि का व्यय हो चुका है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(4) तहसील चूरू का कन्टीजेन्सी प्लान सितम्बर, 2001 में तैयार किया गया। इसके अन्तर्गत निम्न कार्य प्रस्तावित किये गये हैं।

ग्रामीण क्षेत्र

1. जल परिवहन (टैंकर द्वारा)	14 ग्राम
2. नलकूपों का निर्माण	2
3. कुओं में डी.सी.बी. का कार्य	11
4. विभिन्न एजेन्सियों द्वारा स्वीकृत एवं विभाग द्वारा निर्मित जी.एल.आर. को योजना से जोड़ने के कार्य	
5. पाइप लाइन	3000 मीटर
6. नये पम्पसैट एवं पुराने पम्प सैट बदलने का कार्य	26
7. वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाना	12
8. किराये पर जीप रखना	3
9. ठेके पर श्रमिक रखना	10

शहरी क्षेत्र

1. नये नलकूपों का निर्माण	6
2. डी.सी.बी. का कार्य	18
3. पाइप लाइन	1500 मीटर

उक्त कार्यों पर 23 मार्च, 2001 तक कुल 6.00 लाख रुपये का व्यय हो चुका है।

(5) तहसील चूरू में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा वर्ष 1997-98 एवं वर्ष 1998-99 में स्वीकृत 13 भूतल जलाशयों को योजना से जोड़ा जाना शेष है। मूल स्वीकृति में पाइप लाइन की स्वीकृति जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा जारी नहीं किये जाने के कारण उक्त जलाशयों को जोड़ने में देरी हुई है। जलाशयों को पाइप लाइन द्वारा जोड़ने के प्रस्ताव बना लिये गये हैं। बजट उपलब्धता के आधार पर उक्त कार्य करवाना संभव हो सकेगा।

(6) जी, नहीं।

परिशिष्ट-"अ"

कन्टीन्जेन्सी प्लान

क्रम संख्या	जिला	स्वीकृत राशि (लाख रु.)	खर्च की गई राशि (लाख रु.)
1	2	3	4
1.	अलवर	406.00	45.75
2.	भरतपुर	420.50	10.00
3.	धौलपुर	105.20	9.60
4.	दौसा	111.00	11.50
5.	जयपुर	1586.75	91.50
6.	झुन्झुनूं	328.33	14.75
7.	सीकर	401.22	31.00
8.	टोंक	421.07	25.50
9.	बीकानेर	317.97	34.28
10.	चूरू	1236.90	12.00
11.	श्रीगंगानगर	116.90	12.81
12.	हनुमानगढ़	84.65	6.00
13.	अजमेर	206.23	215.78
14.	नागौर	416.94	51.24
15.	बारां	108.19	154.05
16.	बूंदी	358.99	122.01
17.	झालावाड़	256.95	220.04
18.	करौली	333.15	32.62
19.	कोटा	405.96	134.94
20.	सवाईमाधोपुर	251.80	28.56
21.	बांसवाड़ा	187.48	6.83
22.	भीलवाड़ा	605.75	277.53
23.	चित्तौड़गढ़	1009.13	153.02
24.	डूंगरपुर	157.22	24.22

1	2	3	4
25.	राजसमंद	454.80	4.96
26.	उदयपुर	1243.54	101.09
27.	बाड़मेर	929.71	59.52
28.	जैसलमेर	329.94	82.00
29.	जालौर	298.00	216.96
30.	जोधपुर	835.71	152.79
31.	पाली	633.27	246.23
32.	सिरोही	352.00	155.00
33.	हैण्डपम्प रिपेयर	1000.00	
	पशु पेयजल	1000.00	उपरोक्त में सम्मिलित
जिला स्तर पर आपातस्थिति		1600.00	
हेतु व पारम्परिक जलस्रोत पुनरुद्धार कार्यक्रम		2500.00	
	सकल योग	21088.25	2733.88

बछड़ों की बिक्री पर रोक

5. श्री हरजी राम बुरड़क (लाडनूं) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि तीन वर्ष से कम उम्र के बछड़ों को राजस्थान से बाहर ले जाने पर रोक है? यदि हां, तो कब से और क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य में तीन वर्ष से पड़ रहे लगातार अकाल के कारण पशुपालकों की हालत खराब हो रही है? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार के समक्ष पशुपालकों अन्य संस्थाओं व जिला कलेक्टर, नागौर आदि ने उक्त रोक को हटाने की मांग की है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार ने उक्त रोक को हटाने की कई बार घोषणाएं भी की थी? यदि हां, तो कब-कब और उन पर अमल क्यों नहीं हुआ?

(5) उक्त सम्बन्ध में राज्य सरकार अब क्या कार्यवाही कब तक करेगी?

उत्तर

(1) जी, हां। 3 वर्ष से कम उम्र के बछड़ों को राजस्थान से बाहर ले जाने पर रोक माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा उनके आदेश दिनांक 27.1.2000 द्वारा लगायी गयी है।

(2) जी, हां। राज्य में लगातार अकाल पड़ने के कारण पशुपालकों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर चारा डिपो, पशु शिविर पशु पालकों की सुविधा के लिए खोले जा रहे हैं। वर्तमान में सहायता विभाग के निर्देशों के अनुरूप जिला प्रशासन द्वारा स्वीकृत पशु शिविरों एवं गौशालाओं में प्रत्येक बड़े पशु 10/- एवं छोटे पशु 5/- अनुदान दिया जा रहा है। पशुधन एवं डेयरी विकास विभाग द्वारा राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय अकाल नियंत्रण प्रकोष्ठ की स्थापना कर अभावग्रस्त क्षेत्रों में बीमारियों की रोकथाम हेतु कार्य योजना बनाकर कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में स्पेशियल लीव पीटीशन (एस. एल. पी.) दायर की गई है जो माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

(4) जी, नहीं। सरकार ने यह मत व्यक्त किया है कि वध के लिए तो किसी गोवंशीय पशु को बाहर नहीं जाने देंगे लेकिन कृषक एवं डेयरी के प्रयोजन के लिए चाहे वह वर्तमान में प्रयोजन में आये या कुछ दिन बाद भविष्य में, उनको राज्य से बाहर भेजने के लिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय में स्पेशियल लीव पीटीशन (एस.एल.पी.) दायर की जाए तथा यदि आवश्यक हुआ तो उक्त अधिनियम एवं नियम में भी संशोधन लाया जा सकता है, क्योंकि सरकार बोनाफाइड टेड के हक में है।

(5) राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में स्पेशियल लीव पीटीशन सं. 8200/2000 दायर की गई है जिसका निर्णय अभी लम्बित है। उक्त अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव प्ररूप निर्णयार्थ राज्य स्तर पर विचाराधीन है।

आबकारी ठेकेदारों में बकाया राशि

6. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) वर्ष 2001को समाप्त होने वाले गत पांच वर्षों में किस-किस समूह ठेकेदारों में शराब बिक्री के ठेकों की कितनी-कितनी राशि बकाया है?

(2) उक्त प्रकार के कौन-कौन से मामले हैं जिनमें गत वर्ष की राशि बकाया होने के बावजूद भी ठेके दिये गये हैं और उक्त बकाया राशि रहने के क्या कारण हैं तथा वसूली की क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) वर्ष 96-97 से फरवरी, 2001 को अन्त होने वाले पांच वर्षों में मदिरा समूहों के ठेकेदारों में बकाया राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जिन ठेकेदारों में पूर्व वर्षों के ठेकों की राशि बकाया रहती है, उन्हें बकाया राशि रहने के दौरान ठेका स्वीकृत नहीं किया जाता है। ठेका अवधि के अन्त तक अनुज्ञाधारियों द्वारा एकाकी विशेषाधिकार की मासिक किश्तों को जमा नहीं कराने के कारण बकाया रही है। बकाया राशि की वसूली राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 तथा सैण्ट्रल रेवेन्यू रिकवरी एक्ट, 1890 के तहत की जा रही है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय, बाड़मेर

7. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

क्या सरकार जिला मुख्यालय बाड़मेर पर सहायक श्रम आयुक्त का कार्यालय खोलने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी, नहीं। वर्तमान में जिला बाड़मेर के बालोतरा उपखण्ड में श्रम कल्याण अधिकारी का कार्यालय कार्यरत है। कार्य की अधिकता न होने के कारण बाड़मेर में सहायक श्रम आयुक्त का कार्यालय खोलने का अभी विचार नहीं है।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना की गडरा रोड शाखा का अपूर्ण कार्य

8. **श्री अमीन खान** (शिव) : क्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या सरकार इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की गडरा रोड शाखा को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर की गडरा रोड शाखा राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से पीने के पानी के लिये बहुत उपयोगी है? यदि हां, तो इसको पूर्ण कराने को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती है?

उत्तर

(1) इस उपशाखा का कार्य पूर्ण होना धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। धनराशि की उपलब्धता को आधार पर इस उपशाखा का कार्य पूर्ण होने की संभावना होगी।

(2) इस शाखा को पूर्ण करने हेतु आवश्यक धनराशि प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने हेतु प्रयास जारी है।

आयुर्वेदिक औषधालयों में रिक्त पद

9. **श्री नाथूराम अहारी** (डूंगरपुर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(श्री नाथूराम अहारी)

(1) राज्य में कितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं? क्या उक्त औषधालयों में चिकित्सकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विभागान्तर्गत राज्य में वर्तमान में 3532 आयुर्वेद औषधालय व चिकित्सालय है।

335 चिकित्सकों के पद दिनांक 28-2-2001 को रिक्त थे। रिक्त पदों की जिलेवार सूची परिशिष्ट "क" पर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। प्रथम चरण में 200 पदों को भरने की वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयन हेतु निवेदन किया जा रहा है। चयन होने पर 200 रिक्त पद भरे जा सकेंगे।

दिनांक 28-2-2001 को विभागीय आयुर्वेद औषधालयों/चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्सकों के रिक्त पदों की जिलेवार संख्या सूचना

क्र.सं.	नाम जिला	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3
1.	अजमेर	6
2.	भीलवाड़ा	17
3.	हनुमानगढ़	4
4.	नागौर	31
5.	जयपुर "अ"	2
6.	जयपुर "ब"	1
7.	जोधपुर	26
8.	जैसलमेर	5
9.	बारां	2
10.	पाली	26
11.	सिरोही	7
12.	कोटा	4
13.	झुंझुनूं	26

1	2	3
14.	चूरू	9
15.	जालौर	11
16.	गंगानगर	9
17.	बीकानेर	13
18.	उदयपुर	32
19.	सीकर	8
20.	चित्तौड़गढ़	18
21.	डूंगरपुर	20
22.	झालावाड़	11
23.	बांसवाड़ा	13
24.	अलवर	2
25.	सवाईमाधोपुर	2
26.	राजसमंद	14
27.	बाड़मेर	14
28.	टौंक	1
29.	दौसा	1
	योग	335

ब्यावर में जिला मुख्यालय की स्थापना

10. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जिला अजमेर के ब्यावर शहर की क्या आबादी थी?

(2) उक्त जनगणना के अनुसार जिला मुख्यालय के शहर करौली, धौलपुर, हनुमानगढ़, बारां, राजसमन्द, सिरोही, बूंदी व दौसा की क्या आवादी रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ब्यावर शहर के अलावा भी राज्य में ऐसा कोई बड़ा शहर शेष रहा है जिसको जिला मुख्यालय नहीं बनाया गया है? तुलनात्मक आंकड़ों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरासिंह चौहान)

(4) क्या ब्यावर शहर के उपखण्ड क्षेत्र व पड़ौसी जिला पाली की रायपुर व जैतारण तथा भीलवाड़ा जिले की उप तहसील आसींद तथा राजसमन्द जिले की भीम तहसील क्षेत्र को मिलाकर ब्यावर नया जिला बनाने योग्य है? यदि हां, तो अब कब तक जिला बना दिया जावेगा और नहीं, तो क्यों?

(5) जिला स्तर के कौन-कौन से कार्यालय ब्यावर में कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार ब्यावर शहर की जनसंख्या 1,06,721 थी।

(2) सन् 1991 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिला मुख्यालय के शहरों की आबादी निम्नानुसार थी:—

क्र. सं.	शहर का नाम	शहर की आबादी
1.	करौली	49008
2.	धौलपुर	68533
3.	हनुमानगढ़	82733
4.	बारां	57719
5.	राजसमंद	38831
6.	सिरोही	28117
7.	बून्दी	65047
8.	दौसा	38576

(3) ब्यावर शहर के अतिरिक्त राज्य में कुछ बड़े शहर निम्न प्रकार है, जिन्हें जिला मुख्यालय नहीं बनाया गया है: —

1.	कोटपूतली	31749
2.	प्रतापगढ़	29415
3.	बालोतरा	46858
4.	नीमकाथाना	22274
5.	शाहपुरा	17833

(4) राज्य के वृहद् जिलों का पुनर्गठन कर नये जिले स्थापित करने के प्रस्ताव पर जब विचार किया जावेगा तब इस प्रस्ताव पर भी विचार कर निर्णय लिया जावेगा।

(5) ब्यावर तहसील मुख्यालय पर जिला स्तर के वर्तमान में निम्न कार्यालय स्थापित है: —

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
2. जिला परिवहन अधिकारी
3. जिला भू-संरक्षण कार्यालय
4. कोषालय

डीग (भरतपुर) की पेयजल समस्या का समाधान

11. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या सरकार डीग शहर (भरतपुर) में पेयजल की कमी को दूर करने के लिए कोई कदम उठाने जा रही है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शहर में पेयजल व्यवस्था के सुधार के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं? क्या नई पाइप लाइन बिछाने का

(श्री अरुण सिंह)

प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार ने इस वर्ष विधान सभा क्षेत्र डीग में पेयजल संकट से निपटने के लिए कोई कारगर योजना तैयार की है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। डीग शहर में पेयजल की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 1999-2000 में 2 नग डी.सी.ब्री तथा 10 हैण्डपम्पों का निर्माण किया गया। वर्ष 2001 की गर्मियों में पेयजल समस्या के निदान के लिए एक आपात योजना अनुमानित लागत 25.16 लाख रुपये को बनाई गई है जिसमें 4 नलकूप, 2 नग डी.सी.ब्री.; पाईप लाइन, 15 हैण्ड पम्प इत्यादि का कार्य प्रस्तावित है।

दीर्घकालीन उपायों के अन्तर्गत चम्बल-भरतपुर पेयजल योजना के प्रथम चरण के द्वितीय भाग में चम्बल नदी से डीग तक पानी लाना भी प्रस्तावित है।

(2) डीग शहर में पेयजल वितरण व्यवस्था के सुधार हेतु स्रोत सुधार एवं जल उत्पादन के संवर्धन के पश्चात् वितरण प्रणाली में आवश्यक सुधार किये जाने प्रस्तावित हैं।

(3) जी, हां। दीर्घकालीन उपायों के अन्तर्गत प्रश्न के भाग संख्या-1 पर वर्णित योजना के अन्तर्गत चम्बल नदी से पानी लाना प्रस्तावित है। साथ ही ग्रीष्म ऋतु 2001 में अपेक्षित पेयजल की कमी को देखते हुए आपात योजना के अन्तर्गत डीग शहर में 4 नलकूप, 2. डी.सी.ब्री एवं 15 नगर हैण्ड पम्प इत्यादि के कार्यों के लिए योजना बनाई गई है। ग्रामीण क्षेत्र में आपातकालीन उपायों के अन्तर्गत 10 योजनाएं अनुमानित लागत रु. 19.037 लाख की स्वीकृत की गई जिनमें मुख्य रूप से स्रोत संवर्धन, पाइप लाइन एवं हैण्ड पम्प के कार्य सम्मिलित हैं।

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

12. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में कितने पशु चिकित्सालय हैं? उक्त पशु चिकित्सालयों में कितने कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कौन-कौन से पद किस-किस दिनांक से रिक्त हैं?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में 6 पशु चिकित्सालय क्रमशः छबड़ा, जेपला, छीपाबड़ोद, बंजारी, हरनावड़ा साहजी एवं सारथल में कार्यशील हैं।

इन चिकित्सालयों में सृजित पदों एवं रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के पशु चिकित्सालयों में सृजित एवं रिक्त पदों की सूची

क्र. सं.	पशु चिकित्सालय का नाम	पद नाम	सृजित पद	रिक्त पद	कब से
1.	प्रथम श्रेणी, पशु चिकित्सालय, छबड़ा	व.प.चि.अ. पशुधन	1	1	8.12.2000 से
		सहायक	1	—	—
		सफाइकर्ता	1	—	—
2.	पशु चिकित्सालय, जैपला	पशु चिकित्सा अधिकारी	1	1	21.11.99 से
		पशुधन सहायक		—	—
		अनुबंधित सईस	1	—	—
		अनुबंधित सफाइकर्ता	1	1	मार्च, 97 से
		जलधारी	1	1	मार्च, 98 से
3.	पशु चिकित्सक, छीपाबड़ौद	पशु चिकित्सा अधिकारी	1	1	27.7.2000 से
		पशुधन सहायक	1	—	—
		सफाईकर्ता	1	—	—
		जलधारी	1	—	—
4.	पशु चिकित्सालय, बंजारी	पशु चिकित्सा अधिकारी	1	1	29.7.2000 से
		पशु चिकित्सा सहायक	1	1	1.9.2000 से
5.	पशु चिकित्सालय, हरनावड़ा, साहजी	पशु चिकित्सा अधिकारी	1	1	30.11.99 से
		पशु चिकित्सक सहायक	1	—	—
		सईस	1	—	—
6.	पशु चिकित्सालय, सारथल	पशु चिकित्सा अधिकारी	1	1	1.9.2000 से
		पशु चिकित्सक सहायक	1	1	मार्च, 96 से
		सईस	1	—	—
		जलधारी	1	—	—

कोषाधिकारी, कोटा के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही

13. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या वर्ष 1999 से फरवरी, 2001 तक कोषाधिकारी, कोटा के विरुद्ध पेंशन एवं बिल पारित करने के सम्बन्ध में अनियमितताओं बाबत मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, वित्त सचिव, संभागीय आयुक्त व जिला कलेक्टर, कोटा को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त शिकायतों की जांच कब-कब, किस-किस अधिकारी द्वारा की गई? जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त जांच अनुसार कोषाधिकारी, कोटा को दोषी करार दिया गया? यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त अधिकारी के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं? क्या सरकार उक्त अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य सचिव, वित्त सचिव, संभागीय आयुक्त व जिला कलेक्टर, कोटा को कोषाधिकारी, कोटा के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई है। निदेशालय कोष एवं लेखा को श्री महेश चंद शर्मा, क. लेखाकार, कार्यालय ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति-इटावा, जिला कोटा (तत्कालीन क. लेखाकार, कोषालय, कोटा) से कोषाधिकारी, कोटा के विरुद्ध बिल पारित करने में अनियमितता तथा कोषालय, कोटा में उनकी कार्यावधि में उनको परेशान करने आदि संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी। उक्त शिकायत की जांच श्री के. एल. शर्मा, संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, कोटा से विभागीय पत्रांक स्पेशल 1. दिनांक 20.9.2000 से कराई गई। जांच अधिकारी के अनुसार श्री महेश चंद शर्मा पूर्ण रूप से कोषाधिकारी, कोटा के विरुद्ध मनगढ़ंत, झूंठी एवं दुर्भावनापूर्ण शिकायत करने के दोषी प्रतीत होते हैं।

इस विषय पर कुछ अन्य बिन्दुओं के बारे में जांच श्री एस. डब्ल्यू. गोस्वामी, संयुक्त निदेशक, कोष एवं लेखा, क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट प्रतिक्षित है।

(2) जी नहीं। क्योंकि प्रथम जांच में कोषाधिकारी, कोटा दोषी नहीं पाये गये। द्वितीय जांच प्रतिवेदन प्रतिक्षित है।

(3) जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार विचार किया जाएगा।

पूर्व सहायक कलेक्टर, बीकानेर के विरुद्ध कार्यवाही

14. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(श्री मानिक चन्द सुराना)

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1996 में बीकानेर जिले में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थापित पदाधिकारी ने कई अनियमिततायें की थी?

(2) क्या उक्त सहायक कलेक्टर के विरुद्ध आचरण की व राजस्व न्यायालय ने न्यायिक रिकार्ड में टैम्परिंग व काट-छांट किये जाने के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को ज्ञापन प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो ज्ञापन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने डिविजनल कमिश्नर द्वारा उक्त शिकायत की जांच करवाई थी? यदि हां, तो डिविजनल कमिश्नर द्वारा सरकार को क्या रिपोर्ट पेश की गई? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) डिविजनल कमिश्नर की राज्य सरकार को प्रस्तुत रिपोर्ट पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि सम्बन्धित अधिकारी ने न्यायालय की पत्रावली सं. 39/96 जिसमें उनके द्वारा टेम्परिंग व काट-छांट की गई थी, उसे इन्क्वायरी से बचने के लिए पूर्णतः गायब कर दिया और उक्त शिकायत को डिविजनल कमिश्नर ने सही माना है? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा ऐसे अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किये जाने हेतु क्या कदम अब तक उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1996 में सहायक कलेक्टर (मु), बीकानेर के पद पर पदस्थापित श्री नानूराम मदेरणा के विरुद्ध अनियमितता करने के बारे में एक शिकायत श्री मंगलाराम पुत्र श्री गुलाबाराम जाति जाट से प्राप्त हुई थी।

(2) जी नहीं।

(3) जुलाई, 1996 में प्राप्त शिकायत पर राज्य सरकार द्वारा कलेक्टर, बीकानेर से जांच रिपोर्ट चाही थी। जिला कलेक्टर द्वारा जांच करवाकर शिकायत निराधार मानते हुए नस्तीबद्ध करने योग्य बताई गई। अतः राज्य सरकार द्वारा अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री मंगलाराम पुत्र श्री गुलाबाराम द्वारा अलग से एक शिकायत पूर्व शिकायत के क्रम में सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर को प्रस्तुत की गई। जिसे संभागीय आयुक्त, बीकानेर द्वारा जांच हेतु कलेक्टर, बीकानेर को भिजवाया गया। जिला कलेक्टर, बीकानेर ने अति. जिला कलेक्टर (शहर), बीकानेर से जांच करवाकर संभागीय आयुक्त को भिजवाई। संभागीय आयुक्त द्वारा जिला कलेक्टर, बीकानेर को अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये गये थे। संभागीय आयुक्त द्वारा राज्य सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं भिजवाई गयी।

(कार्मिक मंत्री)

(4) संभागीय आयुक्त, बीकानेर द्वारा अति. कलेक्टर (शहर), बीकानेर की जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री नानूराम मदेरणा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु कार्मिक विभाग को लिखने के निर्देश जिला कलेक्टर, बीकानेर को दिये गये। कलेक्टर, बीकानेर द्वारा दिनांक 25.1.2001 के पत्र द्वारा श्री नानूराम मदेरणा, आर.ए.एस. के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील, नियम-1958 के नियम-16 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के प्रस्ताव शासन सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग को भिजवाये थे। उक्त प्रस्ताव राजस्व विभाग के माध्यम से भिजवाने के बजाय सीधे कार्मिक विभाग में भिजवाने के कारण प्रस्ताव जिला कलेक्टर को लौटाते हुए राजस्व विभाग के माध्यम से भिजवाने के निर्देश कार्मिक विभाग द्वारा जिला कलेक्टर को पत्र दिनांक 24.2.2001 से दिये गये। जिला कलेक्टर द्वारा उक्त प्रस्ताव राजस्व विभाग में भिजवाये गये हैं, जिनका परीक्षण किया जा रहा है।

(5) अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर) बीकानेर की जांच रिपोर्ट में श्री मदेरणा को ओवर राइटिंग करने तथा असल पत्रावली सं. 39/96 सीगेदार श्री गंगाराम से प्राप्त कर वापिस नहीं लौटाने के तथ्य को प्रथम दृष्टया सही माना है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है।

आयुर्वेदिक कम्पाउण्डर्स की नियुक्ति

15. श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने दिनांक 24 अप्रेल, 1999 को आयुर्वेद नर्सेज की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी कर 200 पदों के लिए आवेदन-पत्र मांगे थे? यदि हां, तो अब तक नियुक्तियां क्यों नहीं [illegible] दी गई?

(2) क्या सरकार के पक्ष में राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने दिनांक 30.9.99 को एवं डबल बैंच ने भी दिनांक 11.10.2000 को मेरिट के आधार पर नियुक्तियां देने का निर्णय दिया था? यदि हां, तो लगभग 5 माह तक नियुक्तियां नहीं देकर उच्च न्यायालय की अवमानना क्यों की जा रही हैं?

(3) वर्तमान में नर्स/कम्पाउण्डर्स के कुल कितने पद रिक्त हैं और उन पर नियुक्तियां देने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? गत ढाई वर्षों में कितने नर्सेज को नियुक्तियां दी गई हैं?

(4) अब तक उक्त रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या कदम उठाये हैं?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के पत्रांक प6(2) आयुर्वेद/99 दिनांक 19.4.99 के अनुसरण में नर्स/कम्पाउण्डर की नियुक्ति हेतु 200 रिक्त पदों की विज्ञप्ति जारी करते हुए आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये।

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

न्यायालय का नियुक्तियों के संबंध में स्थगन आदेश होने तथा स्थगन आदेश के निरस्त होने के पश्चात् कार्मिक एवं वित्त विभाग द्वारा नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा देने के कारण अब तक नियुक्तियां नहीं की जा सकी है।

(2) जी हां। न्यायालय ने निर्णय में नर्स/कम्पाउण्डर पद पर निश्चित समयावधि में नियुक्ति देने का कोई निर्देश नहीं दिया है। अतः न्यायालय निर्णय की अवमानना की कोई स्थिति नहीं बनती है।

(3)वर्तमान में आयुर्वेद विभागान्तर्गत नर्स/कम्पाउण्डर के कुल 511 पद रिक्त हैं। 250 पदों को तत्काल भरे जाने की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है। गत ढाई वर्षों में नर्स / कम्पाउण्डर्स पद पर विभागान्तर्गत 10 आशार्थियों को नियुक्तियां दी गई है।

(4) बिन्दु संख्या-1, 2 व 3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में पानी के अभाव में खराबा

16. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में कुल 18 लाख हैक्टेयर सिंचित भूमि में पानी देना प्रस्तावित है?

(2) क्या यह भी सही है कि अब तक मात्र 10 लाख हैक्टेयर भूमि सिंचाई हेतु खोली है?

(3) क्या यह सही है कि 10 लाख खोली भूमि के दो लाख हैक्टेयर में सिंचाई के खाले नहीं बने हुए हैं?

(4) क्या यह भी सही है कि वर्षा के अभाव में वर्ष 2000 में मूल स्रोत हरीके बैराज में पानी की कमी रही जिसके कारण काश्तकार बुवाई नहीं कर पाये?

(5) क्या यह सही है कि जिन काश्तकारों को बुवाई हेतु पानी दिया गया बाद में फसल पकने हेतु पानी नहीं दिया गया?

(6) उक्त क्षेत्र में बोई हुई फसल कुल कितने हैक्टेयर में थी, कितने हैक्टेयर में पानी के अभाव में खराबा हुआ?

(7) क्या सरकार जिन काश्तकारों का पानी के अभाव में खराबा हुआ है को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में कुल 19.63 लाख हैक्टेयर सिंचित भूमि में पानी देना प्रस्तावित है।

(2) जनवरी, 2001 तक 12.78 लाख हैक्टेयर भूमि सिंचाई हेतु खोली है।

(3) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 12.78 लाख हैक्टेयर क्षेत्र नहर निर्माण द्वारा खोला गया है, जबकि 9.78 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में खालों का निर्माण किया जा

(सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री)

चुका है। अतः 3.00 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में खालों का निर्माण कार्य बाकी है। लेकिन इस क्षेत्र में द्वितीय चरण की जलोत्थान नहरों का 0.42 लाख हैक्टेयर क्षेत्र भी सम्मिलित है। जहां सी.एस.एस. नहीं मिलने के कारण खालों का निर्माण प्राथमिकता से करवाया जाना सम्भव नहीं है।

(4) यह सही है कि वर्षा के अभाव में वर्ष 2000 में मूल स्रोत पोंग एवं भाखड़ा बांधों में पानी की कमी रही एवं इससे राजस्थान के हिस्से के पानी में भी कमी रही। अतः सभी नहरों को चार समूहों में बांटकर एक बार में एक ही समूह को चलाया जाकर फरवरी, 2001 तक पानी सिंचाई हेतु दिया गया, जिसके कारण काश्तकारों द्वारा उपलब्ध पानी को देखते हुए बुवाई कम की गई।

(5) बुवाई के समय पानी था इसलिए काश्तकारों ने सभी फसलों की बुवाई कर दी हालांकि पानी की उपलब्धता के मद्देनजर सभी काश्तकारों को यथा समय आगाह कर दिया गया था कि वे कम पानी से पकने वाली फसलें यथा जौ, चना एवं सरसों इत्यादि ही बोयें, गेहूं की फसल न बोयें। इस प्रकार गेहूं की फसल के अलावा अन्य फसलों को पूरा पानी मिला व गेहूं की फसल को अन्तिम पानी नहीं मिल सका।

(6) सिंचित क्षेत्र विकास विभाग के अधीन मुख्य नहर की बुर्जी कि.मी. 74 से 189 का सिंचित क्षेत्र ही आता है जिसमें वर्ष 2000 में खरीफ में 48484 हैक्टेयर तथा रबी में फरवरी, 2001 तक 29472 हैक्टेयर क्षेत्र में फसल बोई गई है। रबी की फसल अभी खड़ी है एवं राजस्थान सिंचाई एवं जल निकास अधिनियम, 1954 एवं राजस्थान सिंचाई एवं जल निकास नियम, 1955 के नियम 20 (2) सेक्शन-32 (बी) के तहत काश्तकार द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर सम्बन्धित पटवारी द्वारा सर्वेक्षण उपरान्त खराबे बाबत आंकलन किया जाकर आगे कार्यवाही की जाती है। अभी तक फसलों के खराबे बाबत कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(7) राजस्थान सिंचाई एवं जल निकास नियम, 1955 के नियम 20 (2) सेक्शन-32 (बी) के अन्तर्गत काश्तकारों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर ही कार्यवाही संभव हो सकेगी। वर्तमान में कोई प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं होने से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

ब्यावर नगर की पेयजल आपूर्ति में सुधार

17. डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) ब्यावर नगर में कितने घण्टों के अन्तराल से कितने समय तक जल वितरण किया जाता है ?

(2) बीसलपुर पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने पर ब्यावर नगर को कितने घण्टों के अन्तराल से जल वितरण किया जाता है, इस समस्या से निपटने हेतु सरकार के पास क्या कोई वैकल्पिक योजना है ?

(डा. के. सी. चौधरी)

(3) उक्त शहर में जलदाय विभाग द्वारा उपभोक्ताओं से राजस्व वसूली की कितनी प्रणालियां लागू हैं और उन प्रणालियों से कितना राजस्व वसूल होता है?

(4) क्या उक्त शहर में विभाग द्वारा राजस्व वसूली हेतु दोहरी प्रणाली न्यायोचित है? यदि नहीं, तो इस हेतु सरकार क्या विचार कर रही है?

उत्तर

(1) ब्यावर शहर में प्रतिदिन जल उत्पादन कर शहर के विभिन्न जोनों में 48 घंटे के अन्तराल पर 40-45 मिनट तक जल वितरण किया जाता है।

(2) बीसलपुर पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने पर 96 से 120 घण्टे के अन्तराल में जल वितरण किया जाता है, इस समस्या से निपटने के लिए ब्यावर शहर में अतिरिक्त जल भण्डारण क्षमता विकसित करने का प्रस्ताव है।

(3) ब्यावर शहर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा उपभोक्ताओं से राजस्व वसूली की दो प्रणाली क्रमशः फ्लेट रेट के आधार पर एवं मीटर जल सम्बन्ध के आधार पर लागू है। फ्लेट रेट प्रणाली से प्रतिवर्ष लगभग 49 लाख रुपये की राशि एवं मीटर जल सम्बन्ध से प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख रुपये की राशि की वसूली की जाती है।

(4) विभाग में सामान्यतः दोनों ही प्रणालियां लागू हैं जिनके आधार पर नियमानुसार राजस्व वसूली की जाती है।

दी गंगानगर शुगर मिल का आधुनिकीकरण

18. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि दी गंगानगर शुगर मिल, श्रीगंगानगर की मशीनरी अत्यधिक पुरानी हो चुकी है? क्या उक्त कारण चीनी की पूरी रिकवरी न कर पाने की वजह से मिल घाटे में चल रही है? क्या सरकार इसमें सुधार के लिए कोई कदम उठाने का विचार रखती है?

(2) क्या यह भी सही है कि पिराई सीजन में चिमनी से उठने वाली काली राख से इसके आसपास निवास करने वाले व्यक्तियों का सांस लेना दूभर हो जाता है? क्या इसमें सुधार हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु संयंत्र स्थापित करने के लिए बजट भी स्वीकृत हो चुका है? क्या सरकार उक्त व्यवस्था में सुधार कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में गन्ना पिराई हेतु अत्याधुनिक शुगर मिल स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। गंगानगर शुगर मिल्स की मशीनरी वर्ष 1935 में खरीदी गई थी।

(वित्त मंत्री)

शुगर डिविजन में घाटा रहता है परन्तु लिकर डिविजन को मिलाकर गंगानगर शुगरमिल्स घाटे में नहीं रहती है। इसके अतिरिक्त शुगर डिविजन के घाटे के अन्य कई कारण भी हैं, जैसे गन्ने का अधिक क्रय मूल्य, दैनिक पिराई क्षमता कम होना आदि। शुगर डिविजन के चरणबद्ध आधुनिकीकरण हेतु आवश्यकता अनुसार बजट प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की जाती है। फलस्वरूप पिराई सत्र 1999-2000 में रिकवरी 7.40% के स्थान पर पिराई सत्र 2000-2001 में रिकवरी 8.75% रही है।

(2) वायु प्रदुषण दूर करने हेतु फैक्टरी द्वारा वायु प्रदुषण यन्त्र लगाये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं एवं कार्य शुरू हो चुका है।

(3) जी नहीं।

पंजीयक बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा प्रशिक्षण में अनियमितताएं

19. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि रजिस्ट्रार बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसिन, राजस्थान, जयपुर में दिनांक 17 से 22 अगस्त, 1998 तक अपने निजी चिकित्सकों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था? यदि हां, तो उक्त प्रशिक्षण के चयन के लिए किस प्रचार माध्यम से प्रचार किया गया और चयन किस आधार पर किया गया? उनके आवेदन-पत्र व शुल्क किस व्यक्ति द्वारा किस नाम से जमा कराया गया?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं उसके लिए बजट की राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही आयोजित किया गया है? क्या यह राजस्थान चिकित्सा नियम, 1956 के नियम 19 के विरुद्ध है?

(3) क्या यह सही है कि मुद्रणालय के बिल के अनुसार उक्त प्रशिक्षण के 100 प्रमाण-पत्र छपवाये गये हैं, जबकि बोर्ड में 107 प्रमाण-पत्र उपलब्ध पाये गये हैं, जिनका भी बोर्ड के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज नहीं है?

(4) क्या यह भी सही है कि बोर्ड के संशोधित आनियम 1998 के नियम संख्या 1 एवं बोर्ड के तत्कालीन रजिस्ट्रार द्वारा उक्त प्रशिक्षण क्रम में राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभागों एवं अन्य संस्थाओं आदि को जो पत्र दिनांक 17.6.98, 12.8.98, 13.8.98, 14.8.98, 22.8.98 को लिखे गये एवं जो प्रशिक्षण कार्यक्रम/नियम आदि बनाकर भेजे गये उनमें यह स्पष्ट उल्लेख किया गया कि उक्त बोर्ड द्वारा पंजीकृत चिकित्सक जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सूची की योग्यता रखते हैं, उन चिकित्सकों का ही प्रशिक्षण हेतु चयन किया जाएगा, जबकि प्रशिक्षण ऐसे व्यक्तियों को दिया गया जो इस बोर्ड से रजिस्टर्ड ही नहीं थे और न ही राजस्थान में शिक्षा कार्य करने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

को अधिकृत थे? क्या जिसके विरोध में बोर्ड के सदस्य श्री महेश चंद शर्मा एवं श्री ताराचंद शर्मा आदि ने भी बोर्ड को पत्र लिखे थे?

(5) क्या यह सही है कि उक्त प्रशिक्षण में अनेक प्रकार की अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त होने पर राज्य सरकार ने उक्त प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगाकर उक्त प्रशिक्षण में हुई अनियमितताओं की जांच कराई है? यदि हां, तो किस आदेश से और उसकी जांच रिपोर्ट कब प्राप्त हुई? उसमें क्या-क्या अनियमितताएं होना तथा उसके लिए किसे दोषी पाया गया एवं उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? उक्त आदेशों, नियमों एवं सम्बन्धित समस्त पत्राचार एवं प्राप्त शिकायतों आदि की प्रति एवं जांच रिपोर्ट सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रशिक्षण के लिए सूचना बोर्ड के सूचना पट्ट पर लगाई गई थी। उक्त सूचना के अनुसार अध्यक्ष आयुर्वेद चिकित्सक परिषद्, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित की गई सूची के सभी चिकित्सकों का चयन इस प्रशिक्षण हेतु किया गया। उनके आवेदन-पत्र व शुल्क भी अध्यक्ष, आयुर्वेद चिकित्सक परिषद्, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के नाम से जमा करवाये।

(2) राजस्थान देशीय चिकित्सा अधिनियम, 1953 की धारा 4 के अन्तर्गत बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसिन, राजस्थान, जयपुर एक कारपोरेट निकाय है। बोर्ड की बैठक दिनांक 20.7.98 में यह निर्णय लिया गया था कि प्रशिक्षण में होने वाली आय बोर्ड के विकास शुल्क में जमा की जावेगी और खर्च भी विकास शुल्क से किया जावेगा। उक्त स्थिति में राज्य सरकार से स्वीकृति लिया जाना आवश्यक नहीं समझा गया और प्रशिक्षण व्यय राजस्थान भारतीय चिकित्सा नियम, 1956 के नियम 19 के विरुद्ध नहीं है।

(3) जी हां। प्रेस द्वारा छपवाये गये 100 प्रमाण-पत्रों के साथ 7 कम्पोजिंग एवं प्रूफ की प्रतियां भी उपलब्ध करवाई गई थीं, जो बोर्ड कार्यालय में उपलब्ध है।

(4) जी हां।

(5) जी हां। उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, जयपुर को जांच करने हेतु दिनांक 10-11-2000 को नियुक्त किया गया है। जांच प्रतिवेदन अभी भी अपेक्षित है। आदेश नियम एवं सम्बन्धित समस्त पत्राचार की प्रति सदन की मेज पर परिशिष्ट "क", "ख", "ग" एवं "घ" पर रख दी गई है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला बांसवाड़ा के तालाबों की नहरें

20. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) जिला बांसवाड़ा में कितने तालाबों की नहरें कच्ची हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री फतेह सिंह)

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के बियापाड़ा, टाडीबड़ी, जोयका प्रसाद, भमरीटाड़ी, नागदा, क्लींजरा, सोनारीया आदि तालाबों की नहरें कच्ची हैं ?

(3) क्या सरकार उक्त तालाबों की नहरें पक्की कराने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत 100 तालाब हैं जिनकी नहरें आंशिक लम्बाई में कच्ची है। सूची परिशिष्ट-"अ" सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के बियापाड़ा, टाडीबड़ी, जोयका प्रसाद, भमरीटाड़ी, नागदा, क्लींजरा, सोनारिया आदि तालाबों की नहरें आंशिक लम्बाई में कच्ची हैं।

(3) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

परिशिष्ट-"अ"

जिला बांसवाड़ा के अन्तर्गत आने वाले तालाबों की नहरों के कच्ची होने का विवरण

क्र. सं.	तालाब का नाम	मुख्य/माइनर नहर का नाम	नहर की कुल लम्बाई (मी. में)	पक्की (मी. में.)	कच्ची (मी. में)
1	2	3	4	5	6
1.	सोनारिया	दाईं नहर	4800	4027	773
		बाईं नहर	1860	1860	—
		टीमेडा माइनर	1800	1200	600
		नाथपुरा माइनर	5760	5760	—
2.	खानापाडा	मुख्य नहर	3500	500	3000
3.	सुरवन	मुख्य नहर	1800	500	1300
4.	बोडादरा	बाईं मुख्य नहर	4000	1360	2640
		दाईं मुख्य नहर	5000		
5.	झाकरीया	मुख्य नहर	1746	269	1477
6.	अखपुरा	मुख्य नहर	2500	1430	1070
7.	करमंदिया	मुख्य नहर	3500	930	2570
8.	पाणदा	दाईं मुख्य नहर	4590	2460	2130
9.	खरियापाडा	बाईं मुख्य नहर	1620		
		मुख्य नहर	2100	576	1524

1	2	3	4	5	6
10.	बडीसरवा	मुख्य नहर	1200	880	320
		माइनर	900	—	900
11.	नागदा	मुख्य नहर	4500	3300	1200
		माइनर	1200	800	400
12.	रामगढ़	मुख्य नहर	700	30	670
13.	रसोडी	मुख्य नहर	1000	165	835
14.	सारनटेलका नाका	मुख्य नहर	1400	900	500
		माइनर	1000	220	780
15.	झीकली	मुख्य नहर	1200	1200	—
		माइनर	180	180	—
16.	बिजौरी	मुख्य नहर	1770	610	1160
17.	बडवास	मुख्य नहर	660	120	480
18.	चरखनी	दाईं मुख्य नहर	1600	1600	—
		बाईं मुख्य नहर	1620	935	685
19.	कलिंजरा	दाईं मुख्य नहर	4950	4200	750
		पोटलीया माइनर	2100	2100	—
		बाईं मुख्य नहर	8600	8145	455
		लोहारिया माइनर	5040	2900	2140
		चुडादा माइनर	1830	200	1630
		वागोल माइनर	2270	—	2270
		पिपलीपाडा माइनर	1350	—	1350
20.	लाम्बाबरा	बाईं मुख्य नहर	3500	3015	485
		माइनर	1350	850	500
21.	सोडलपुर	बाईं नहर	1830	1830	—
22.	मोरवानीया	बाईं मुख्य नहर	1350	1350	—
		दाईं मुख्य नहर	1610	1610	—
		राजौरापाडा माइनर	350	350	—
23.	मेल	दाईं मुख्य नहर	7620	1851	5769
24.	आमलीखंडा	बाईं मुख्य नहर	4710	4565	145
		दाईं मुख्य नहर	2385	2300	85
25.	डूंगलावानी	बाईं मुख्य नहर	3940	3465	475
		दाईं मुख्य नहर	2052	1093	959

1	2	3	4	5	6
		खंडा माइनर	965	775	190
26.	खाटीया	दाईं मुख्य नहर	3300	1680	1620
		बाईं मुख्य नहर	785	785	—
27.	भाटीया	दाईं मुख्य नहर	1100	1100	—
		बाईं मुख्य नहर	840	690	150
28.	सागबारी	दाईं मुख्य नहर	2700	1260	1440
		बाईं मुख्य नहर	1800	310	1490
		दाईं मुख्य नहर माइनर	300	—	300
29.	महुवा लभुंखडा	दाईं मुख्य नहर	1020	300	720
		बाईं नहर	1220	510	710
30.	गोरछा	दाईं मुख्य नहर	1140	1020	120
		बाईं मुख्य नहर	1600	1470	130
		दाईं मुख्य नहर माइनर	250	—	250
31.	आयापाडा	बाईं मुख्य नहर	735	315	420
		दाईं मुख्य नहर	350	—	350
32.	पाडला	दाईं नहर	1200	1200	—
33.	बोरदा	दाईं मुख्य नहर	3410	1350	2060
		बाईं मुख्य नहर	2000	1100	900
34.	फाटा	दाईं मुख्य नहर	2010	390	1620
		बाईं मुख्य नहर	1050	250	800
35.	दूदका-II	दाईं मुख्य नहर	2075	1100	975
36.	कुण्डला	दाईं मुख्य नहर	1600	1290	310
		सनारी नहर	620	—	620
		बाईं मुख्य नहर	600	600	—
37.	जगपुरा	दाईं मुख्य नहर	3200	2160	1040
		बाईं नहर	1100	550	550
38.	महुवालदेलवाडा	बाईं नहर	1200	810	390
39.	चुण्डई	बाईं नहर	2600	2430	170
40.	भेमखोर	दाईं नहर	9000	8450	550
41.	छापरो का नाका	कुण्डला तालाब की नहर प्रणाली के माध्यम से सिंचाई हो रही है ।			
42.	बोरपिकेरींग	मुख्य नहर	1200	400	800
43.	श्यामपुरा	मुख्य नहर	900	—	900
44.	नया तालाब	मुख्य नहर	300	300	—

1	2	3	4	5	6
45.	सोमपुरा	मुख्य नहर	1000	600	400
46.	चनावाला	दाईं मुख्य नहर	885	650	235
47.	भमरीटाण्डी	बाईं नहर	4530	3985	545
		दाईं नहर	3840	3640	200
		पाडला वडकिया माइनर	840	—	—
		जुनापाडा माइनर	720	100	620
48.	टिम्बामहुडी	मुख्य नहर	1650	200	1450
49.	छोटी टाण्डी	बाईं मुख्य नहर	4000	1367	2633
		दाईं मुख्य नहर	2760	2040	720
50.	मगरदा	बाईं नहर	1900	300	1600
		माइनर	2000	300	1700
51.	अन्देश्वर	मुख्य नहर	3710	345	3365
		माइनर	1550	—	1550
52.	नवागांव	मुख्य नहर	3900	3150	800
53.	बियापाडा	बाईं मुख्य नहर	6120	1113	5007
		दाईं मुख्य नहर	3480	465	3015
		डूगरामाइनर	5460	1755	3705
54.	मस्का	बाईं नहर	990	180	810
		दाईं मुख्य नहर	2560	550	2010
55.	सज्जनगढ़	दाईं मुख्य नहर	1600	1160	440
56.	भुरा कुआ	दाईं मुख्य नहर	2550	500	2050
५७.	चत्राखूंटा	बाईं मुख्य नहर	3570	3000	570
		गोडा माइनर	2500	540	1960
		पिडी माइनर	510	—	510
58.	गोयका प्रसाद	बाईं मुख्य नहर	5940	2940	3000
		जालम पुरा माइनर	330	330	—
		पारगीसाथ माइनर	1200	500	700
		दाईं मुख्य नहर	3000	3000	—
59.	बारीगामा	बाईं मुख्य नहर	2430	1650	780
		दाईं मुख्य नहर	1500	585	915
60.	काजलिया	बाईं नहर	720	620	100
		दाईं मुख्य नहर	2000	510	1490
61.	करजी	दाईं मुख्य नहर	900	420	480

1	2	3	4	5	6
62.	चिरोला	बाईं मुख्य नहर	900	620	280
63.	उदयपुरा बड़ा	बाईं मुख्य नहर	1500	750	750
64.	बुडवा	दाईं मुख्य नहर	2000	1670	330
65.	भमरिया	बाईं नहर	2100	725	1375
		दाईं मुख्य नहर	1500	–	1500
66.	शरगढ खूंटा	बाईं मुख्य नहर	2500	980	1520
		दाईं मुख्य नहर	750	180	570
67.	सालीया	बाईं मुख्य नहर	1260	600	660
68.	गांगडतलाई	बाईं मुख्य नहर	1800	980	820
69.	झेर	बाईं मुख्य नहर	3750	2460	1290
		दाईं मुख्य नहर	2580	1600	980
70.	बडीयाला	बाईं मुख्य नहर	3150	1800	1350
		दाईं मुख्य नहर	1200	400	800
71.	सुन्दराव	बाईं मुख्य नहर	930	100	830
		दाईं मुख्य नहर	300	120	180
72.	चिकलीतेजा	बाईं नहर	900	270	630
		दाईं नहर	750	230	520
73.	वरेठ	बाईं मुख्य नहर	2150	1030	1120
		दाईं मुख्य नहर	2400	1230	1170
74.	भगौरा	बाईं मुख्य नहर	2100	577	1523
		दाईं मुख्य नहर	5000	3669	1331
75.	खोडालिम	बाईं मुख्य नहर	1350	210	1140
76.	रामका मुन्ना	बाईं मुख्य नहर	1500	270	1230
77.	आम्बा	बाईं मुख्य नहर	2100	300	1800
		दाईं मुख्य नहर	600	240	360
78.	फुटन	बाईं मुख्य नहर	4230	675	3555
		दाईं मुख्य नहर	3750	904	2846
		पाराहेडा माइनर	1800	800	1000
79.	नालदा	मुख्य नहर	1300	1033	267
80.	वगेरी	दाईं मुख्य नहर	7020	4730	2290
		बाईं मुख्य नहर	1110	647	463
		गोडा माइनर	1020	620	400

1	2	3	4	5	6
		रूपारेल माइनर	1060	—	1060
81.	छापदेवा	मुख्य नहर	1620	1008	612
		दाईं मुख्य नहर की ब्रांच नहर	2100	1685	415
82.	झरनीया	मुख्य नहर	1550	951	599
83.	महेशपुरा	मुख्य नहर	1130	930	200
		ब्रांच नहर	700	400	300
84.	डाबरीमाल	मुख्य नहर	1200	850	350
85.	बोरखाबर	दाईं मुख्य नहर	2200	1420	780
		बाईं मुख्य नहर	2600	1500	1100
86.	भूतपाडा	बाईं मुख्य नहर	1530	630	900
		दाईं मुख्य नहर	1650	1650	
		बाईं ब्रांच नहर	1030	230	800
87.	लालाहेडा	दाईं मुख्य नहर	730	418	312
		बाईं मुख्य नहर	820	420	400
88.	बरवाला मठार	मुख्य नहर	900	740	160
89.	सामरिया	मुख्य नहर	1260	1110	150
		ब्रांच नहर	860	660	200
90.	नवाटा परा	मुख्य नहर	810	810	—
91.	देवगढ़	मुख्य नहर	590	590	—
92.	नाथपुरा खरवाली	मुख्य नहर	820	562	258
93.	रूजीयादानपुर	बाईं मुख्य नहर	1290	90	1200
		दाईं मुख्य नहर	1650	890	760
94.	बारीदानपुरा	मुख्य नहर	1875	1200	675
95.	मोडीतेजपुर	मुख्य नहर	1355	600	755
96.	गमेला अरथूना	मुख्य नहर	900	100	800
97.	सिगोडिया	मुख्य नहर	1200	180	1020
98.	बसरेला	मुख्य नहर	6900	180	720
99.	करेटा	मुख्य नहर	600	—	600
100.	रामोर बस्सी	मुख्य नहर	900	900	—

सवाईमाधोपुर शहर की पेयजल समस्या का समाधान

21. श्रीमती यासमीन अबरार (सवाईमाधोपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या सवाईमाधोपुर शहर की पेयजल की समस्या के स्थाई हल के लिए चम्बल नदी से पेयजल उपलंब्ध कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्यों?

(2) विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में आने वाली भीषण गर्मी एवं अकाल की स्थिति में लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं और कितनी राशि स्वीकृत की है तथा कितने नए हैण्ड पम्प, नए नलकूप एवं कितनी नई पानी की टंकी बनाने की योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सीमेन्ट फैक्ट्री सवाईमाधोपुर के मजदूरों के घर में पानी का कनेक्शन देने एवं अन्य साधनों से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में सवाईमाधोपुर शहर की पेयजल की समस्या के स्थाई हल के लिए चम्बल नदी से पेयजल उपलब्ध कराने की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में आने वाली भीषण गर्मी एवं अकाल की स्थिति में लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए "ग्रीष्म आकस्मिकता कार्यक्रम" 200-2001 के तहत 23.00 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। जिसके अन्तर्गत 1 नलकूप व 37 हैण्ड पम्पों का निर्माण कार्य किया जाना है। स्वीकृत 37 हैण्ड पम्पों के विरुद्ध 24 हैण्ड पम्पों का वेधन कार्य पूर्ण कर 9 हैण्ड पम्प वर्तमान में चालू कर दिये गये हैं व शेष कार्य प्रगति पर है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पानी की टंकी बनाने की कोई योजना नहीं है।

(3) सीमेन्ट फैक्ट्री, सवाईमाधोपुर के निवासियों को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु एक दीर्घकालीन योजना स्वीकृत पूर्व तकनीकी जांच की प्रक्रिया में है। वर्तमान में सीमेन्ट फैक्ट्री क्षेत्र में 20 हैण्ड पम्पों से पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

जगपुरा कैनाल (माही परियोजना) का अपूर्ण कार्य

22. श्री नानालाल नीनामा (घाटोल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या जगपुरा कैनाल (माही परियोजना) की द्वितीय फेस में पानी देने की सरकारी योजना थी? यदि हां, तो अब तक पूर्ण क्यों नहीं की गई? अब सरकार इसे कब तक पूर्ण कर सिंचाई हेतु पानी देने का विचार रखती है?

(2) उक्त कैनाल के कितने कार्य अपूर्ण हैं? उक्त कार्यों को कब तक पूर्ण करने की योजना है?

(श्री नानालाल नीनामा)

(3) क्या उक्त कैनाल की अपूर्ण कार्यों की निविदाएं आमंत्रित की गई हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या उक्त कैनाल की स्वीकृत राशि अन्य कार्यों में खर्च हो रही है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पर्याप्त वित्तीय संसाधन की अनुपलब्धता के कारण यह योजना पूर्ण नहीं की जा सकी है परियोजना में उपलब्ध बजट के अनुरूप अब तक 657 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र में पानी दिया जा चुका है। पर्याप्त वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर आगामी वर्षों में यह कार्य पूर्ण कर सिंचाई हेतु पूर्ण क्षेत्रों में पानी दिया जाना प्रस्तावित है।

(2) जगपुरा कैनाल का 8.5 किमी. लम्बाई में खुदाई, तीन पक्के कार्य एवं लाइनिंग का अधिकांश कार्य तथा इससे निकलने वाली चार माइनरों का कार्य अपूर्ण है। खुदाई का कार्य एवं माइनरों का कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करना प्रस्तावित है। लाइनिंग का कार्य वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर आगामी वर्षों में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी नहीं। इस नहर के शेष खुदाई कार्य अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रगति पर है। इसके पूर्ण होने के पश्चात् ही इनकी लाइनिंग कार्यों की निविदाएं आमंत्रित की जावेंगी।

(4) जी नहीं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य की वार्षिक योजना में कमी

1. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि राज्य का वर्ष 1999-2000 का बजट 5022 करोड़ का स्वीकृत कराया गया तथा वार्षिक योजना खर्च की सीमा घटाई गई? यदि हां, तो कितनी?

(2) क्या वर्ष 1999-2000 में विभिन्न योजना मद में विभागानुसार रखी गई राशि का उपयोग कर लिया गया? यदि हां, तो कब तक?

(3) स्वीकृत बजट अनुसार व्यय नहीं होने से कितनी राशि दिनांक 31 मार्च, 2000 को शेष रही तथा शेष रहने का क्या कारण रहा?

उत्तर

(1) राज्य का वर्ष 1999-2000 का बजट 19 हजार 8 करोड़ 30 लाख रुपये व्यय हेतु स्वीकृत कराया गया था जिसमें योजनान्तर्गत व्यय 5022.18 करोड़ रुपये का था। संशोधित अनुमानों में योजनान्तर्गत व्यय 4059.71 करोड़ रुपये किया गया था। इस प्रकार 962.47 करोड़ रुपये की आयोजना व्यय में कमी की गई।

(वित्त मंत्री)

(2) उक्त संशोधित अनुमानों (4059.71 करोड़ रुपये) में से 1154.26 करोड़ रुपये की राशि का राज्य के राजकीय उपक्रमों के आन्तरिक स्रोतों के अन्तर्गत प्रावधान था। शेष राशि 2905.45 करोड़ रुपये राज्य के बजट में प्रस्तावित थी जिसके विरुद्ध 2755.63 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

(3) संशोधित बजट प्रावधानों के अन्तर्गत वास्तविक व्यय 2755.63 करोड़ रुपये होने के कारण 149.82 करोड़ रुपये अनुपयुक्त शेष रहे।

जिला श्रीगंगानगर में सम्मानित स्वतन्त्रता सेनानी

2. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) जिला श्रीगंगानगर में गणतन्त्र दिवस, 2001 पर किन-किन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त व्यक्तियों की क्या उपलब्धियां रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या गणतन्त्र दिवस पर स्वतन्त्रता सेनानियों को भी सम्मानित किया गया है? यदि हां, तो कितने स्वतन्त्रता सेनानियों को?

उत्तर

(1) जिला श्रीगंगानगर के मुख्यालय एवं उप खण्ड स्तर पर गणतन्त्र दिवस, 2001 के अवसर पर जिन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, उनकी सूची परिशिष्ट-"क", "ख", "ग" एवं "घ" पर उपलब्ध है।

(2) गणतन्त्र दिवस, 2001 पर सम्मानित किये गये व्यक्तियों की उपलब्धियों का विवरण परिशिष्ट-"क", "ख", "ग" एवं "घ" पर अंकित कर दिया गया है।

(3) गणतन्त्र दिवस पर स्वतंत्रता सैनानियों को विशिष्ट आमंत्रितों के रूप में आमन्त्रित किया गया था।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्रीगंगानगर के राजकीय आवासों की मरम्मत

3. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) श्रीगंगानगर में विभिन्न श्रेणी के कुल 310 सरकारी आवास बने हुए हैं। सूची अनुसूची एक अनुसार संलग्न है।

(2) जी, हां। जो 9 आवास ज्यादा असुरक्षित है उन्हें गिराये जाने का विचार है। 136 आवासों की मरम्मत हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी कर दी गई है। मरम्मत कार्य करवाया जा रहा है।

(3) सूची अनुसूची दो के अनुसार संलग्न है।

अनुसूची-एक

श्रीगंगानगर में स्थित विभिन्न श्रेणी के सरकारी आवासों की श्रेणीवास सूची

क्र.सं.	श्रेणी आवास	कुल आवास
1.	ए	1
2.	बी	1
3.	सी	14
4.	डी	1
5.	ई	54
6.	एफ	24
7.	जी	130
8.	एच	52
9.	फोर्थ	17
10.	पंचम	11
11.	जे. आर. द्वितीय श्रेणी	2
12.	जे. आर. तृतीय श्रेणी	3
	कुल योग	**310**

अनुसूची-दो

बिन्दू संख्या-3 में वांछित आवासियों की सूची

क्र.सं.	आवास संख्या	नाम आवंटी	विभाग का नाम
1	2	3	4
1.	जी-1	श्री चण्डीप्रसाद	च. श्रे. क., कलेक्ट्रेट
2.	जी-2	नीना	लाइब्रेरियन, शुगर मिल स्कूल
3.	जी-3	श्री अश्वनी कुमार	व. प्र. जन. स्वा. अभि. विभाग
4.	जी-4	श्री डण्डाप्रसाद	च. श्रे. क., कलेक्ट्रेट
5.	जी-5	श्री इन्द्रसिंह	च. श्रे. क., कलेक्ट्रेट
6.	जी-6	श्री विजय कुमार	क. लि., कलेक्ट्रेट
7.	जी-7	श्री बच्चे सिंह	व. आ. क, अर्थन होम कोर्ड
8.	जी-8	श्री आनन्द प्रकाश	व. लि., जिला न्यायाधीश
9.	जी-9	श्री हरबन्स लाल	इलेक्ट्रीशियन, राजकीय चिकित्सालय

1	2	3	4
10.	जी-10	श्री कुलानन्द	च. श्रे. क., राजकीय महाविद्यालय
11.	जी-11	श्री शंकर सिंह	वाहन चालक, कलेक्ट्रेट
12.	जी-12	श्री सत्यदेव	व. लि., कोष कार्यालय
13.	जी-13	श्री सत्यनारायण	क. लि., राजकीय चिकि.
14.	जी-14	श्री विजय कुमार	क. लि., राजकीय चिकि.
15.	जी-16	श्री भीनबहादूर	च. श्रे क., राज. महाविद्यालय
16.	जी-17	श्री पृथ्वीराव	वाहन चालक, जनसम्पर्क कार्या.
17.	जी-10	श्री उदय सिंह	च. श्रे. क., कलेक्ट्रेट
18.	जी-19	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा	च. श्रे. क., राजकीय विमहाविद्यालय
19.	जी-20	श्री ओमप्रकाश यादव	व. लि., राजकीय चिकि.
20.	जी-21	श्री सुरेन्द्र साही	डी. आर. ए., नागरिक सुरक्षा
21.	जी-22	श्री ओमप्रकाश अरोड़ा	व. लि., जिला न्यायालय
22.	जी-23	श्री अर्जुनराम	च. श्रे. क., जनसम्पर्क कार्या.
23.	जी-24	श्री मनी राम (सेनि.)	पलम्बर, सा. नि वि.
24.	जी-25	श्री गणेश सिंह	च. श्रे. क., कलेक्ट्रेट
25.	जी-26	श्री जगदीश कुमार	क. लि., कलेक्ट्रेट
26.	जी-27	श्री लीलाधर भट्ट	च. श्रे. क., बोर्ड होम गार्ड
27.	जी-28	श्री सुरेन्द्र कुमार	लैब असिटेन्ट, राजकीय विद्यालय
28.	जी-29	श्री साहब राम	च. श्रे. क., कलेक्ट्रेट
29.	जी-30	श्री चन्द्रन सिंह	च. श्रे. क., सा. नि. वि. उपखण्ड
30.	जी-31	श्री मातबर सिंह	च. श्रे. क., जिला न्यायालय
31.	जी-32	श्रीमती कैन्टी	स्टाफ नर्स, राजकीय चिकित्सालय
32.	जी-33	श्री मनमोहन	क. लि., एस. डी. एम. कोर्ट
33.	जी-34	श्रीमती शशि सहगल	अध्यापिका, रा. बा. वि. नं.-2
34.	जी-35	श्री शंकर सिंह	क. लि. राज., चिकित्सालय
35.	जी-89	श्रीमती पुष्पा देवी	च. श्रे. क., तहसील
36.	जी-91	श्री सोहन सिंह	क. लि., जिला न्यायालय
37.	जी-92	श्री जुगल सिंह शेखावत	लेब आपरेटर, सा नि वि.
38.	जी-105	श्री दुलीचन्द्र	च. श्रे. क., कलेक्ट्रेट
39.	जी-108	श्री दिलीप सिंह	स्टेनों, न्याय विभाग

1	2	3	4
40.	एच-10	श्री ओमप्रकाश	राजकीय महाविद्यालय
41.	एच-19	श्री करणी सिंह	सा. नि. वि., उपखण्ड
42.	एच-20	श्रीमती पुष्पादेवी	च.श्रे.क., राजकीय कन्या महाविद्यालय
43.	एच-21	श्रीमती सावित्री	च.श्रे.क., राजकीय कन्या महाविद्यालय
44.	एच-23	श्रीमती इन्द्रादेवी	च.श्रे.क., जिला ग्रा. विकास अभिकरण
45.	एच-24	श्रीमती भंवरी बाई (से.नि.)	च. श्रे. क., समाज कल्याण
46.	एच-25	श्री नानक चन्द	च. श्रे. क., कलेक्ट्रेट
47.	एच-27	सा. नि. वि. स्टोर	
48.	एच-28	सा. नि. वि. स्टोर	
49.	एच-29	श्रीमति रुक्मणी शर्मा	च. श्रे. क., कलेक्ट्रेट
50.	एच-30	श्री मन्जित बहादुर	च. श्रे. क., राजकीय चिकित्सालय
51.	एच-31	श्रीमती कलावंती	च. श्रे. क., जिला एवं क्षेत्र न्यायाधीश
52.	एच-32	श्री देवीलाल गोयल	च. श्रे. क., एसडीएम कोर्ट
53.	एच-33	श्री दीनाराय शर्मा	च. श्रे. क., तहसील
54.	एच-35	श्री रामपाल	च. श्रे. क., सी.एम.ओ.
55.	एच-36	श्रीपालूराम	च. श्रे. क., जिला न्यायालय
56.	एच-37	श्री पवन कुमार	च. श्रे. क., जिला न्यायालय
57.	एच-38	श्री सीताराम	च. श्रे. क., कलेक्ट्रेट
58.	एच-39	श्रीमान् बहादुर	च. श्रे. क., कलेक्ट्रेट
59.	एच-40	श्री लखबहादुर	च. श्रे. क., डी. आर. डी. ए.
60.	एच-43	श्रीमती मंथा देवी	च. श्रे. क., तहसील
61.	एच-45	श्री केदार सिंह	च. श्रे. क., कोष कार्यालय
62.	जी-40	श्रीमती मेरी कुटी	नर्स, राजकीय चिकित्सालय
63.	जी-41	श्री गिरधारी लाल	कम्पाउण्डर, राजकीय चिकित्सालय
64.	जी-42	श्रीमती कुलदीप कौन	नर्स, राजकीय चिकित्सालय
65.	जी-43	श्रीमती ओमना	नर्स, राजकीय चिकित्सालय
66.	जी-44	श्रीमती सरनजीत कौर	नर्स, राजकीय चिकित्सालय
67.	जी-45	श्री पूर्णमल	च. श्रे. क., राजकीय चिकित्सालय
68.	जी-47	श्री चेतन मेहता	कम्पाउण्डर, राजकीय महाविद्यालय
69.	जी-48	श्री कन्हैया लाल	वाहन चालक, राजकीय चिकित्सालय

1	2	3	4
70.	जी-49	श्री वी.पी. तगमा	स्टाफ नर्स, राजकीय चिकित्सालय
71.	जी-50	श्री अम्बालाल	वाहन चालक, राजकीय चिकित्सालय
72.	जी-69	श्रीमति शांति देवी	च. श्रे. क., जिला शिक्षा अधि.
73.	जी-70	श्री सुरेन्द्र वस्त	अध्यापक, राज. वि. पुरानी आबादी
74.	जी-72	श्री गौरीशंकर शुक्ला	च. श्रे. क., सा. नि. वि.
75.	जी-73	श्री मोहनलाल	च. श्रे. क., कलेक्ट्रेट
76.	जी-74	श्री देवेन्द्र कौशल	क. लि., कलेक्ट्रेट
77.	जी-75	श्री रामस्वरूप	क. लि., उपमुख्य चिकि. स्वा. अधिकारी
78.	जी-76	श्री अनोपसिंह	च. श्रे. क., सहा. निदेशक कृषि
79.	जी-70	श्री रिछपाल सिंह	व. लि., राज. चिकित्सालय
80.	जी-79	श्री केवल कृष्ण शर्मा	व. लि., उपमुख्य स्वा. चिकित्सा अधिकारी
81.	जी-80	श्री पूर्ण चन्द्रदत्त	व. लि., सहा. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
82.	जी-82	श्रीमती भंवरी देवी	च. श्रे. क., सा. नि. वि.
83.	जी-83	श्रीमती सुरेन्द्र कौर	स्टाफ नर्स, राजकीय चिकित्सालय
84.	जी-84	श्रीमती दीपा गुप्ता	अध्यापक, राज. बा. मा. वि., पुरानी आबादी
85.	जी-85	श्रीमती शशि	क. लि., कोष कार्यालय
86.	जी-86	श्री लीलाधर	च. श्रे. क., कलेक्ट्रेट
87.	जी-87	श्री विद्यासागर शर्मा	क. लि., राजकीय कन्या महाविद्यालय
88.	जी-88	श्री भूप महेन्द्र	कम्पाउण्डर राजकीय चिकित्सालय
89.	जी-89	श्रीमती पुष्पा देवी	च. श्रे. क., तहसील
90.	जी-96	श्री हसन अली	च. श्रे. क., जिला रसद अधिकारी
91.	जी-97	श्री जगदीश जसूजा	व. लि., कलेक्ट्रेट
92.	जी-98	श्री कलम सिंह	च. श्रे. क., राज. चिकित.
93.	जी-101	श्री रामप्रताप व्यास	क. लि., पुलिस अधीक्षक
94.	जी-102	श्री कुसुम लाहटा	व. लि., कोष कार्यालय
95.	जी-103	श्री भंवर लाल शर्मा	व. लि., सानिवि
96.	जी-104	श्री कमल किशोर	वाहन चालक, कलेक्ट्रेट

1	2	3	4
97.	जी-106	श्री गोपीराम	च. श्रे. क., कलेक्ट्रेट
98.	जी-107	श्री अजय कुमार गुप्ता	क. लि., कलेक्ट्रेट
99.	जी-109	श्री किशन कुमार खोचड़	व. लि., सहा. निदेश. राज्य बीमा
100.	जी-110	श्री पूनम चन्द	लैब असिस्टेन्ट, राज. महाविद्यालय
101.	जी-111	श्री महेश सिंह/गणेश सिंह	च. श्रे. क., कृषि विभाग
102.	जी-112	श्री राजेन्द्र सिंह	क. लि., जेल विभाग
103.	जी-113	श्री प्रभू सिंह	प्रहरी, जेल विभाग
104.	जी-114	श्री अजय कुमार	च. श्रे. क., कृषि विभाग
105.	जी-115	श्री सुरेन्द्र सिंह	वायरमैन, सा. नि. वि
106.	जी-116	श्री राजेश कुमार	क. लि., कलेक्ट्रेट
107.	जी-117	श्री बहादुर सिंह	इलेक्ट्रीशियन, सा. नि. वि
108.	जी-118	श्री रामूराम	च. श्रे. क., जिला एवं क्षेत्र न्यायाधीश
109.	जी-119	श्री चैनसिंह	च. श्रे. क., राज. कन्या महाविद्यालय
110.	जी-120	श्री अवतार सिंह	च. श्रे. क., कलेक्ट्रेट
111.	जी-121	श्री राकेश श्रीवास्तव	क. लि., जिला एवं क्षेत्र न्यायाधीश
112.	जी-122	श्री गोपालसिंह खडगावल	क. लि., उपजिलाधीश
113.	जी-124	श्री मोहनलाल शर्मा	वाहन चालक, कलेक्ट्रेट
114.	जी-125	श्री लक्ष्मण राम	क. लि., कलेक्ट्रेट
115.	जी-126	अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संघ	
116.	जी-127	श्री मानसिंह	वाहन चालक, कलेक्ट्रेट
117.	जी-128	श्री जगबहादुर/हरक बहादुर	च. श्रे. क., राजकीय महाविद्यालय
118.	जी-130	श्री बाबूलाल	भूमि एवं भवन कर विभाग
119.	एच-41	श्री भंवर लाल	च. श्रे. क., राजकीय कन्या महाविद्यालय
120.	एच-42	श्री भागीरथ	च. श्रे. क., कृषि विभाग

उपरोक्त के अलावा निम्न 16 आवास रिक्त हैं:—जी-15, जी-53, जी-46, जी-151, जी-71, जी-77, जी-81, जी-94, जी-100, जी-122, (डिस्मेन्टलड), जी-129 एवं एच-17, एच-22, एच-26, एच-34 एवं एच-44.

निम्न 9 आवास गिराये जाने का निर्णय है: —

जी-90, 95, 99 एवं एच-46 से 51

वाणिज्यिक कर विभाग के निरीक्षकों को चयनित वेतन का लाभ

4. **श्री नन्दलाल बंशीवाल** (दौसा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) वाणिज्यिक कर विभाग में राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम (जनरल ब्रान्च), 1975 के परिशिष्ट–प्रथम में किये गये प्रावधानों के अनुरूप नियमों के लागू होने से अब तक निरीक्षक ग्रेड द्वितीय से निरीक्षक ग्रेड प्रथम में कितनी पदोन्नतियां दी गई हैं?

(2) क्या वाणिज्यिक कर विभाग में दिनांक 6.10.2000 को की गयी विभागीय पदोन्नति समिति सेवा नियमों के अनुरूप की गई है? यदि हां, तो उसका परिणाम अभी तक घोषित क्यों नहीं किया है? यदि हां, तो उसका परिणाम अभी तक घोषित क्यों नहीं किया है? यदि नियमों के अनुरूप नहीं है तो क्या इस विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों को निरस्त किया जा रहा है?

(3) वाणिज्यिक कर विभाग में अब तक निरीक्षकों की पदोन्नति किस पद पर की जाती रही है तथा नौ वर्ष की सेवा पूरी करने वाले निरीक्षकों को चयनित वेतनमान निरीक्षक ग्रेड प्रथम वाला (5500 से 9000) अथवा सहायक, वाणिज्यिक कर अधिकारी वाला (6500 से 10500) दिया जा रहा है?

(4) क्या 9 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले निरीक्षक को चयनित वेतनमान निरीक्षक ग्रेड प्रथम (5500 से 9000) दिया जाता है? यदि हां, तो फिर प्रथम ग्रेड में पदोन्नतियां क्यों नहीं दी जा रही है?

उत्तर

(1) निरीक्षक ग्रेड-II से प्रथम में कोई पदोन्नति नहीं दी गई है।

(2) जी, हां। विचाराधीन है।

(3) वाणिज्यिक कर विभाग में निरीक्षकों की पदोन्नति सहायक, वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर की जाती रही है। 9 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी करने वाले निरीक्षकों को चयनित वेतनमान ग्रेड (5500-175-9000) दिया जा रहा है, एवं 18 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी किये जाने पर द्वितीय चयनित वेतनमान (6500-200-10500) दिया जाता है।

(4) जी, हां। निरीक्षक ग्रेड प्रथम को समाप्त करने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है।

जन सम्पर्क विभाग के निदेशक का पदस्थापन

5. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि जन सम्पर्क विभाग में निदेशक का पद रिक्त है? यदि हां, तो इसे कब तक भर दिया जावेगा?

(2) क्या सरकार जन सम्पर्क विभाग में निदेशक भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग से पदस्थापित करना चाहती है? यदि हां,

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

तो कब तक यह पदस्थापन कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्तमान में निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क का पद रिक्त है तथा अभी इस पद का चार्ज अतिरिक्त निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क के पास है। निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क का पद शीघ्र ही भर दिया जावेगा।

(2) जी, हां। निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क का पद शीघ्र ही भर दिया जावेगा।

प्रश्न संख्या–6

स्थगित

राजस्थान प्रशासनिक/पुलिस सेवा के अधिकारियों हेतु आचार संहिता

7. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) राजस्थान प्रशासनिक सेवा व राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिये क्या कोई आचार संहिता बनी हुई है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अधिकारियों के लिये सम्पत्ति खरीदने के सम्बन्ध में क्या उल्लेख है तथा बिना सरकार की अनुमति लिए किस राशि की सीमा तक सम्पत्ति स्वयं व स्वयं की पत्नी व बच्चों के नाम खरीद सकते हैं?

(3) क्या उक्त अधिकारी सीमा से अधिक सम्पत्ति, जमीन, जायदाद खरीदते हैं तो वह अनुशासनहीनता व सरकारी आदेशों की अवहेलना के अन्तर्गत आता है? यदि हां, तो सरकार ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) राजस्थान प्रशासनिक सेवा व राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिये अलग से कोई आचार संहिता नहीं है। राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 बने हुए हैं जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा व राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होते हैं।

(2) राजस्थान सिविल सेवायें (आचरण) नियम, 1971 के नियम-21 के अन्तर्गत प्रावधान है कि राज्य स्तरीय अधिकारी बिना पूर्व सूचना के अचल सम्पत्ति की खरीद एवं बेचान नहीं करेगा। इस प्रावधान में राशि की सीमा वर्णित नहीं है। इसके अतिरिक्त राज्यस्तरीय सेवा के अधिकारी चल सम्पत्ति के संव्यवहार की सूचना निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। यदि इस प्रकार की सम्पत्ति का मूल्य 10,000/- रु. से अधिक है।

उक्त दोनों ही प्रकार के प्रकरणों में यदि अधिकारी का संव्यवहार चल-अचल सम्पत्ति के संदर्भ में कार्यालय से सम्बन्धित कार्यकलापों से सम्बन्धित व्यक्ति से है अथवा नियमित या प्रतिष्ठित डीलर के

(कार्मिक मंत्री)

अलावा अन्य से है, तो राज्य सरकार का पूर्व अनुमति आवश्यक होती है।

(3) राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के प्रावधानों का उल्लंघन करना अनुशासनहीनता है। इस प्रकार के प्रकरण राज्य सरकार के ध्यान में आने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न संख्या-8

(स्थगित)

डेगाना तहसील मुख्यालय पर अवैध शराब की दुकान

9. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) डेगाना (नागौर) तहसील मुख्यालय पर कुल कितनी शराब की दुकानों को अनुज्ञा पत्र जारी किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि डेगाना कस्बे में अजमेर रोड पर स्थित सहायक अभियन्ता, विद्युत विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, राणा बाई छात्रावास, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति छात्रावास एवं वीर तेजा छात्रावास के पास ऐसी कोई शराब की दुकान चलाई जा रही है? यदि हां, तो क्या उसके पास अनुज्ञा-पत्र है? यदि नहीं, तो अवैध दुकान क्यों चलाई जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त संचालित अवैध दुकान को बंद कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) डेगाना (नागौर) तहसील मुख्यालय पर स्वीकृत शराब की दुकानें निम्न अनुसार है: —

देशी मदिरा: —

1. रेलवे ग्राउण्ड
2. डेगाना-ईडवा रोड
3. डेगाना-अजमेर रोड

भा.नि.वि.म./बीयर: —

1. रेलवे ग्राउण्ड
2. डेगाना-ईडवा रोड

(2) डेगाना कस्बे में अजमेर रोड पर स्थित देशी दुकान राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 के अनुरूप होकर आबकारी विभाग द्वारा स्वीकृत है।

(3) उक्त दुकान नियमानुसार होकर आबकारी विभाग द्वारा स्वीकृत है, अतः इसे बंद करने का विचार नहीं है।

सीकर समूह के आबकारी ठेकेदारों से बकाया राशि की वसूली

10. श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) मैसर्स अश्वनी कुमार पवन कुमार देशी एवं विदेशी मदिरा, सीकर समूह में वर्ष 2000-2001 में दिनांक 28 फरवरी, 2001 तक कितनी विशेषाधिकार राशि तथा कम्पोजिट मद में होने वाली कितनी राशि

(श्री मोहन लाल मोदी)

सरकार की बकाया है? उक्त बकाया राशि पर ब्याज सहित कुल कितनी राशि उक्त ठेकेदार पर बकाया है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदार के द्वारा ठेका प्राप्त करने में प्रस्तुत सोलवेन्सी कूटरचित मिथ्या प्रमाण-पत्रों के बारे में सन्तोष काबरा एवं पवन कुमार के विरुद्ध थाना कोतवाली सीकर में मुकदमा नं. 403/2000 दिनांक 12.9.2000 को दर्ज कराया है? यदि हां, तो उसमें क्या प्रगति हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त ठेकेदार से 860.34 लाख की बकाया में कितनी राशि वसूल की गई है और शेष रही बकाया राशि अब कब तक वसूल की जावेगी?

उत्तर

(1) मैं. अश्विनी कुमार पवन कुमार अनुज्ञाधारी, देशी-विदेशी मदिरा समूह, जिला सीकर के विरुद्ध वर्ष 2000-2001 की दिनांक 28.2.2001 तक एकाकी विशेषाधिकार राशि रुपये 1187.19 लाख एवं ब्याज राशि रुपये 104.59 लाख बकाया है। इस प्रकार कुल बकाया राशि मय ब्याज रुपये 1291.78 लाख रहती है। कम्पोजिट मद में कोई राशि एवं उस पर ब्याज बकाया नहीं है।

(2) जी, हां। अनुज्ञाधारी सन्तोष काबरा एवं पवन कुमार द्वारा प्रस्तुत सोलवेन्सी कूटरचित एवं मिथ्या पाये जाने पर सन्तोष काबरा एवं पवन कुमार के विरुद्ध थाना कोतवाली सीकर में मुकदमा नं.-403/2000 दिनांक 12.9.2000 दर्ज कराया गया, जिसकी पुलिस तफतीश की कार्यवाही चल रही है।

(3) उक्त ठेके की कमी राशि रुपये 860.34 लाख के विरुद्ध कमी राशि रुपये 145.89 लाख एवं ब्याज राशि रुपये 9.61 लाख कुल राशि रुपये 155.50 लाख जमा कराई गई है। बकाया राशि वसूली के लिये वांछित प्रक्रिया जारी है।

भूमिगत जलाशयों की पाइप लाइन हेतु स्वीकृत राशि का उपयोग

11. श्री अमीन खान (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) गत दो वर्षों में राज्य में सासंद/विधायक मद से कितनी राशि भुमिगत जलाशयों की पाइप लाइनों के लिये स्वीकृत की गई?

(2) उक्त मद की स्वीकृत राशि का अब तक कहां-कहों उपयोग किस कारण से नहीं हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में सांसद/विधायक मद से वित्तीय वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में भूमिगत जलाशयों को पाइप लाइन से जोड़ने हेतु कुल रु. 98.68 लाख राशि स्वीकृत की गई।

(2) उक्त मद में स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं होने के कारणों सहित जिलेवार स्थिति परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

भूतल जलाशयों हेतु स्वीकृत पाइप लाइनों के कार्य

क्र. सं.	जिला	स्वीकृत कार्य				पूर्ण किये गये कार्य			
		99-2000		2000-2001		99-2000		2000-2001	
		संख्या	राशि (लाखों में)	संख्या	राशि (लाखों में)	संख्या	राशि (लाखों में)	संख्या	राशि (लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अलवर	2	1.37	1	1.90	2	0.68	1	1.42
2.	भरतपुर	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	धोलपुर	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	दौसा	1	0.20	–	–	1	0.20	–	–
5.	जयपुर	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	झुन्झुनूं	3	0.63	–	–	2	0.30	–	–
7.	सीकर	7	2.66	5.	2.41	9	2.26	3	1.95
8.	टौंक	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	बीकानेर	1	1.10	0	0	1	1.10	8	0
10.	चूरू	19	12.61	26	12.77	0	0	0	0
11.	श्रीगंगानगर	0	0	0	0	0	0	0	
12.	हनुमानगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	अजमेर	1	1.39	1	1.11	1	1.39	–	–
14.	नागौर	10	6.84	65	41.67	8	5.97	36	18.38
15.	बारां	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	बूंदी	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	झालावाड़	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	करोली	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	कोटा	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	सवाईमाधोपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	बांसवाड़ा	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	भीलवाड़ा	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	चित्तौड़गढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	डूंगरपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	राजसमंद	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उदयपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	बाड़मेर	2	0.90	11	6.62	1	0.18	3	5.68
28.	जैसलमेर	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	जालौर	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	जिला जोधपुर	1	0.74	2	3.76	1	0.74	2	2.23
31.	पाली	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	सिरोही	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	47	20.44	110	70.24	23	12.90	45	20.76

परिशिष्ट "अ

क्र. सं.	जिला	स्थान जहां पर राशि उपयोग नहीं की गई	वित्तीय स्वीकृति की दिनांक	स्वीकृत राशि (लाखों में)	कारण
1	2	3	4	5	6
1.	अलवर	0	0	0	0
2.	भरतपुर	—	—	—	—
3.	धौलपुर	—	—	—	—
4.	दौसा	—	—	—	—
5.	जयपुर नगर	—	—	—	—
6.	झुन्झुंनूं	1	25.2.2000	0.24	विवाद

1	2	3	4	5	6
7.	सीकर	3	19.2.2000 10.12.99	1.76	पाइप प्राप्त न होना विवाद
8.	टौंक	—	—	—	—
9.	बीकानेर	—	—	—	—
10.	चूरू	45	—	35.38	पाइप प्राप्त न होने के कारण
11.	श्रीगंगानगर	—	—	—	—
12.	हनुमानगढ़	—	—	—	—
13.	अजमेर-बी	बवाईयां	24.7.2000	1.11	पाइप प्राप्त नहीं हुए
14.	नागौर	31	—	24.15	पाइप प्राप्त नहीं हुए
15.	बारां	0	0	0	0
16.	बूंदी	0	0	0	0
17.	झालावाड़	0	0	0	0
18.	करौली	0	0	0	0
19.	कोटा	0	0	0	0
20.	सवाईमाधोपुर	0	0	0	0
21.	बांसवाड़ा	—	—	—	—
22.	भीलवाड़ा	—	—	—	—
23.	चित्तौड़गढ़	—	—	—	—
24.	डूंगरपुर	0	0	0	0
25.	राजसमंद	0	0	0	0
26.	उदयपुर	0	0	0	0
27.	बाड़मेर	9 कार्य	—	7.52	कार्य प्रगति पर
28.	जैसलमेर	—	—	—	—
29.	जालौर	—	—	—	—
30.	जोधपुर	—	23.6.2000 13.11.2000	2.32	कार्य प्रगति पर
31.	पाली	0	0	0	0
32.	सिरोही	0	0	0	0

बाड़मेर व जैसलमेर के स्वीकृत नलकूप

12. श्री अमीन खान (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में बी.एडी.पी. के तहत कितने नलकूप स्वीकृत किए गए थे?

(2) उक्त स्वीकृत नलकूपों में से कितने नलकूप खुदाए गए और उनमें से कितने चालू किए गए? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में बी.एडी.पी. के तहत क्रमशः 20 एवं 50 नलकूप स्वीकृत किये गये।

(2) उक्त स्वीकृत नलकूपों का विवरण निम्नानुसार है: —

जिला	स्वीकृत नलकूप	नलकूप खुदवाये गये	नलकूप चालू किए गए
1. बाड़मेर	20	17	14
2. जैसलमेर	50	48	38

विधान सभा क्षेत्र डेगाना के स्वीकृत नलकूप

13. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में वर्ष 1997-98 से 2000-2001 के दौरान कुल कितने नये नलकूप किस-किस योजनान्तर्गत खोदे गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वर्षों के दौरान खोदे गए नलकूपों में से कितने नलकूप कहां-कहां पर चालू कर दिए गए हैं और कितने नलकूप अभी तक चालू नहीं किए गए हैं? विवरण ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम खींवताना एवं चुवा के नलकूप अभी तक चालू नहीं किए गए हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त नलकूपों को चालू कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में वर्ष 1997-98 से वर्ष 2000-01 के दौरान कुल 41 नये नलकूप विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत खोदे गये सूची योजनावार व ग्रामवार परिशिष्ट-"क" में अंकित है।

(2) उक्त वर्षों के दौरान खोदे गये 41 नलकूपों में से 26 नलकूप चालू कर दिए गए हैं और 12 नलकूप अभी चालू किये जाने हैं। तीन नलकूप असफल हो गये हैं। सूची ग्रामवार परिशिष्ट-"क" में अंकित है।

(3) जी, नहीं। ग्राम खींवताना में क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना, खींवताना भियासर के अन्तर्गत तीन नलकूपों का निर्माण करवाया गया जिनमें से एक चालू कर दिया गया है तथा एक अन्य पर भी विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर लिया गया है जिसे चालू किया जा रहा है तथा तीसरे के लिए विद्युत कनेक्शन हेतु प्रार्थना-पत्र दिनांक 8.3.2001 को दिया गया है। ग्राम चुआ का नलकूप चालू कर दिया गया था इसमें बाद में मिट्टी आ गई थी। अतः इसके इसके पुनः विकसित की कार्यवाही की जा रही है।

क्र.सं.	स्वीकृति वर्ष	योजना का नाम जिसमें नलकूप खोदे गये	नलकूप का स्थान	नलकूपों की संख्या	क्र.सं.-5 के तहत चालू नलकूपों की संख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	97–98	राईकों की ढाणी, पालियास	पालियास	एक	एक	
2.	97–98	चोयलों की ढाणी, बुटाटी	बुटाटी	एक	एक	
3.	97–98	बुगालियों की ढाणी, कितलसर	कितलसर	एक	एक	
4.	97–98	भांबियों की ढाणी, चांदारूण	चांदारूण	एक	एक	
5.	97–98	लामरोड़ नायकों की ढाणी	करासोडा	एक	एक	
6.	98–99	गुंणसली	जाखेड़ा	एक	एक	
7.	98–99	चुआ	चुआ	एक	एक	
8.	98–99	पण्डवाला	पण्डवाला	एक	एक	
9.	98–99	आकेली बी	आकेली बी	एक	एक	
10.	98–99	निम्बोला कलां-खुर्द	निम्बोला कलां	एक		

1	2	3	4	5	6	7
11.	98—99	निम्बड़ी चांदावतां	निम्बड़ी चांदावतां	एक	एक	
12.	98—99	ईटावड़ा भोजा-लाडखानी	ईटावड़ा भोजा	दो	—	
13.	98—99	देवला कलां-माधा	डोटोलाई	एक	एक	इन नलकूपों को चालू करने के लिए विद्युत कनेक्शन एवं पाइप लाइन हेतु द्वितीय चरण की योजना बनाकर प्रस्तुत कर दी गई।
14	98—99	सूण्डायों की ढाणी, बोफली	बोफली	एक	दो	असफल
15	98—99	लूणियास-टीवली	लूणियास	एक	दो	
16	98—99	बैड़ास कलां-बैड़ास खुर्द	नथावड़ा	एक	एक	असफल
17	98—99	बुचेरा-बुटाटी	कुंचेरा	चार	एक	विद्युत सम्बन्ध लम्बित है।
18	98—99	करासोडा-पुनास	करासोडा	दो	एक	
19	98—99	सांजू खैरवा	सांजू	दो	एक	

1	2	3	4	5	6	7
20	98—99	खींवताना-मियांसर	खींवताना	तीन	—	एक नलकूप चालू कर दिया गया। दूसरे का विद्युत सम्बन्ध अभी जारी हुआ है एवं तीसरे के विद्युत सम्बन्ध हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
21	98—99	मौगास-जालसू	मौगास बैरां की ढाणीं	एक	एक	नलकूप चालू करने हेतु विद्युत सम्बन्ध हेतु प्रार्थना-पत्र दे दिया
22	98—99	सारसण्डा तामड़ोली	सारसण्डा	एक	एक	
23	98—99	पालियास-पुनियांस	पुनियास	—	—	
24	98—99	लूणियास-हरसोर	लूणियास	एक	एक	एक असफल एवं शेष दो नलकूप चालू करने हेतु विद्युत सम्बन्ध प्रस्तुत किये जा चुके हैं.।
25	98—99	रलियावता-राजलोता	रलियावता-राजलोता	एक	एक	
26	98—99	बोफली-गुलाबपुरा	बोफली	—	एक	एक नलकूप हेतु विद्युत संबंध लम्बित है।
27	98—99	गोठड़ा-पचरण्डा	पचरण्डा	एक	दो	
			योग	41	26	

विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर के स्वीकृत हैण्डपम्प

14. श्रीमती यासमीन अबरार (सवाईमाधोपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में जनवरी, 1999 से फरवरी, 2001 तक कितने हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये हैं तथा उनमें से कितने हैण्डपम्प लगाये जा चुके हैं एवं कितने लगाये जाने शेष हैं, जिन्हें अब तक क्यों नहीं लगाया गया और अब कब तक लगा दिये जावेंगे ?

(2) क्या यह भी सही है कि सवाईमाधोपुर शहर के लिये पूर्व में 5 करोड़ रुपये की कोई योजना बनाई गई थी ? यदि हां, तो वर्तमान में उसकी क्या प्रगति है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में जनवरी-1999 से फरवरी, 2001 तक कुल 217 हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये जिनमें से 177 हैण्डपम्प खोदे जाकर 170 हैण्डपम्प चालू कर दिये गये हैं व 7 हैण्डपम्पों की स्थापना कार्य प्रगति पर है। शेष 40 हैण्डपम्पों का ड्रिलिंग कार्य भी वर्तमान में प्रगति पर है, जिन्हें माह जून, 2001 के अन्त तक लगाया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी, हां। सवाईमाधोपुर शहर की पुनर्गठित पेयजल योजना की स्वीकृति माह जनवरी, 1997 में 695.54 लाख रु. की हुई थी। उक्त स्वीकृत योजना में 18 नलकूप, 2 उच्च जलाशय, 1 स्वच्छ जलाशय, लगभग 50 कि. मी. वितरण एवं 27 कि. मी. राइजिंग पाइप लाइन तथा सिविल कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। जनवरी, 2001 तक योजना पर रु. 390.54 लाख व्यय किया जा चुका है।

विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के स्वीकृत हैण्डपम्प

15. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ की पंचायत समिति-प्रतापगढ़ एवं अरनोद में दिसम्बर, 2000 तक कुल कितने ग्रामों में से कितने ग्रामों को पेयजल किन स्रोतों से उपलब्ध करवा दिया गया है ? पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र के कितने ग्रामों को सरकार द्वारा पेयजल सप्लाई स्कीम से जोड़कर पंचायतों को सौंप दी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उपखण्ड प्रतापगढ़ में दिसम्बर, 2000 तक स्वीकृत हैण्डपम्पों में से कितने हैण्डपम्प चालू कर दिये और खराब हैण्डपम्पों की दुरुस्ती की किन-किन

(श्री नन्दलाल मीणा)

पंचायतों में आवश्यकता है जो कब तक पूर्ण कर दी जावेगी?

(4) ग्रीष्मकाल में किन-किन ग्रामों में पेयजल की समस्या रहेगी और समाधान के लिये क्या कदम उठाये हैं।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ की पंचायत समिति–प्रतापगढ़ एवं अरनोद में क्रमशः 320 एवं 171 आबादीत ग्राम है। जिनमें से सभी ग्रामों को विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित किया जा चुका है। जिसका विवरण निम्नानुसार है: —

क्र. सं.	तहसील का नाम	कुल आबादित ग्राम	पेयजल योजना				कुल स्थापित हैण्डपम्प
			पाइप्ड	क्षेत्रीय	पनघट/ जेजेवाई	हैण्डपम्प	
1.	प्रतापगढ़	320	—	4	13	291	1432
			(16 गांव)				
2.	अरनोद	171	3	1	12	154	763
			(02 गांव)				

पंचायतवार सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त क्षेत्र तहसील प्रतापगढ़ एवं अरनोद की 19 जनता जल योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। जिनमें से तहसील प्रतापगढ़ की 10 में से 7 योजनाएं एवं तहसील अरनोद की 9 योजनाओं में से 7 योजनाओं को पूर्ण कर संबंधित ग्राम पंचायतों को सुपुर्द कर दी गई है। शेष का कार्य प्रगति पर है। जिन्हें शीघ्र ही पूर्ण कर ग्राम पंचायतों को सुपुर्द कर दी जावेगी। ग्राम पंचायतों को सुपुर्द योजनाओं की सूची परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(3) उपखण्ड प्रतापगढ़ में दिसम्बर, 2000 तक ग्रीष्म 2001 के तहत 13 हैण्डपम्प स्वीकृत हुए जिनमें से 1 हैण्डपम्प का वेधन किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा माह दिसम्बर, 2000 से चलाये जा रहे 27वें हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के प्रथम सर्वेक्षण में पंचायत समिति–प्रतापगढ़ व अरनोद में क्रमशः 448 एवं 286 हैण्डपम्प खराब पड़े हैं जिनमें से क्रमशः 437 एवं 282 हैण्डपम्पों को दुरुस्त किया जा चुका है एवं अभियान के दौरान खराब हैण्डपम्पों की सूचना प्राप्त होने पर तुरन्त मरम्मत किया जाता है। सूची परिशिष्ट-"स" पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(4) ग्रीष्म 2001 में उपखण्ड प्रतापगढ़ के तहसील प्रतापगढ़ व अरनोद में आने वाली पेयजल समस्या के समाधान हेतु क्रमशः 24, 24 हैण्ड पम्प एवं तहसील अरनोद में एक नलकूप की स्वीकृति हुई है। हैण्ड पम्पों का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं एक नलकूप का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। परिशिष्ट-"द"संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बाड़मेर व जैसलमेर की योजनाओं हेतु पाइपों की आपूर्ति

16. श्री अमीन खान (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में कितनी योजनाओं का कार्य प्रगति पर है और उसमें कितने पाइपों की कौन-कौनसी साइजों की जरूरत खण्डवार है? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिला बाड़मेर व जैसलमेर में चालू स्वीकृत योजनाओं का आवश्यक सामान जरूरत अनुसार पूर्ण है? यदि नहीं, तो कब तक उपलब्ध करा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) (अ) जिला जैसलमेर में 121 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। पीवीसी तथा एसी पाइप बाबत स्थिति निम्नानुसार है:—

पाइप प्राप्त हो चुका	357015	मीटर
पाइप आदेशित पर आना बाकी	227800	मीटर
पाइप आदेशित होना शेष	128550	मीटर

(ब) जिला बाड़मेर में 119 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। पी.वी.सी. तथा ए.सी. पाइप बाबत स्थिति निम्नानुसार है: —

पाइप प्राप्त हो चुका	1694106	मीटर
पाइप आदेशित पर आना बाकी	192766	मीटर
पाइप आदेशित होना शेष	152832	मीटर

(स) खण्डवार सूचना परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

2. आवश्यकता के अनुसार सामान उपलब्ध है आपूर्ति हो रही है।

परिशिष्ट "अ"

जिला—बाड़मेर

खण्ड का नाम	योजना संख्या प्रगति में	पाइप प्रकार व साइज	पाइप लम्बाई (मीटर)			
			आ चुका	आदेशित पर आना बाकी	आदेश होना बाकी	योग
1	2	3	4	5	6	7
नगर खण्ड	**25**	**पी.वी.सी.**				
		63 मी.मी.	152350	0	9215	161565
		75 मी.मी.	30065	0	5285	35350
		90 मी.मी.	5940	0	0	5937
		110 मी.मी.	0	0	0	0
		125 मी.मी.	0	0	0	0
		ए.सी.पाइप				
		60 मी.मी.	49428	0	2000	51428
		100 मी.मी.	42357	-	3000	45357
		125 मी.मी.	27887	0	0	27887
		150 मी.मी.	21018	0	9500	30518
		200 मी.मी.	27863	0	0	27663
		250 मी.मी.	17950	0	0	17950
		300 मी.मी.	0	0	0	0
उत्तर खण्ड	**16**	**पी.वी.सी.**				
		63 मी.मी.	719044	62870	0	781914
		90 मी.मी.	172206	6770	0	178976
		110 मी.मी.	49897	0	0	49897
		125 मी.मी.	0	0	0	0
		ए.सी. पाइप				
		80 मी.मी.	0	0	0	0
		100 मी.मी.	17116	0	8700	25816
		125 मी.मी.	29391	0	5350	34741
		150 मी.मी.	32500	0	0	32500

1	2	3	4	5	6	7
		200 मी.मी.				
		250 मी.मी.	7218	0	0	7218
		300 मी.मी.	3000	0	0	3000
दक्षिण	37	**पी.वी.सी.**				
		63 मी.मी.	40992	16541	0	57533
		75 मी.मी.	4407	11384	0	15791
		90 मी.मी.	4000	2916	0	6916
जिला—बाड़मेर						
		पी.वी.सी				
		110 मी.मी.	2000	0	0	2000
		125 मी.मी.	6000	0	0	6000
		ए.सी.पाइप				
		80 मी.मी.	0	3150	0	3150
		100 मी.मी.	0	0	800	800
		125 मी.मी.	0	0	0	0
		150 मी.मी	0	0	0	0
		200 मी.मी.	0	0	0	0
		250 मी.मी.	0	0	0	0
		300 मी.मी.	0	0	0	0
राइजेप	26	**पी.वी.सी**				
		63 मी.मी.	31800	11355	50745	93900
		75 मी.मी.	14630	0	18000	32630
		90 मी.मी.	17230	0	0	17230
		110 मी.मी.	6710	0	0	6710
		125 मी.मी.	0	0	0	0
		ए.सी.पाइप				
		80 मी.मी.	0	0	13650	13650
		100 मी.मी.	2600	0	0	2600
		125 मी.मी.	0	0	0	0
		150 मी.मी.	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
		200 मीमी.	0	0	0	0
		250 मीमी.	0	0	0	0
		300 मीमी.	0	0	0	0
बालोतरा	**15**	**पी.वी.सी**				
		63 मीमी.	56000	26770	0	82770
		75 मीमी.	0	0	2100	2100
		90 मीमी.	0	0	5500	5500
		110 मीमी.	0	0	0	0
		125 मीमी.	0	0	0	0
		150 मीमी.	0	0	7457	7457
		200 मीमी.	0	0	430	430
		250 मीमी.	6990	51010	0	58000
		300 मीमी.	0	0	0	0
योग	**110**		**1694106**	**192756**	**152832**	**2046910**
जिला-जालोर						
नगर खण्ड	**46**	**पी.वी.सी**				
		63 मीमी.	12000	8500	2000	22500
		75 मीमी.	21000	7000	—	28000
		90 मीमी.	—	—	—	—
		110 मीमी.	—	—	—	—
		125 मीमी.	—	—	—	—
		ए.सी. पाइप				
		60 मीमी.	15600	27200	42800	
		100 मीमी.	22200	—	—	22200
		125 मीमी.	35000	—	—	35000
		150 मीमी.	—	—	—	—
		200 मीमी.	—	—	—	—
		250 मीमी.	—	—	—	—
		300 मीमी.	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
जिला खण्ड	**58**	**पी.वी.सी**				
		63 मी.मी.	59850	1300	61150	
		75 मी.मी.	13750	2700	—	16450
		90 मी.मी.	—	—	—	—
		110 मी.मी.	—	—	—	—
		125 मी.मी.	—	—	—	—
		ए.सी. पाइप				
		80 मी.मी.	30100	—	—	30100
		100 मी.मी.	6360	—	—	6360
		ए.सी. पाइप				
		125 मी.मी.	7800	—	—	7800
		150 मी.मी.	9000	—	—	9000
		200 मी.मी.	100	—	—	100
		250 मी.मी.	80	—	—	80
		300 मी.मी.	—	—	—	—
पोकरण	**17**	**पी.वी.सी**				
		63 मी.मी.	47880	142200	2900	192980
		75 मी.मी.	4200	61600	0	65800
		90 मी.मी.	0	0	0	0
		110 मी.मी.	0	0	7700	7700
		125 मी.मी.	0	0	0	0
		ए.सी. पाइप				
		80 मी.मी.	43244	4500	44400	92144
		100 मी.मी.	4571	0	15500	20071
		125 मी.मी.	3280	0	9200	12480
		200 मी.मी.	21000	0	10200	31200
		250 मी.मी.	0	0	550	550
		300 मी.मी.	0	0	0	0
योग		**121**	**357015**	**227800**	**128550**	**713365**

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की पेयजल योजनाएं

17. **डा. रतन लाल जाट** (सहाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा में पेयजल की समस्या है और जल स्तर काफी नीचे चला गया है? सरकार इस क्षेत्र की पेयजल समस्या के समाधान के लिए अब तक क्या-क्या कदम उठाये हैं? स्वीकृत कार्यों व उनकी प्रगति क्या है?

(2) विधायक व सांसद कोटे से गत तीन वर्षों में विभाग के माध्यम से क्या-क्या कार्य स्वीकृत हुए हैं? उक्त कार्य कब स्वीकृत हुए व कितने-कितने समय बाद इनको पूर्ण किया गया है और विलम्ब के क्या कारण रहे हैं तथा कार्य संपादन में देरी के लिये कौन जिम्मेदार है व जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

(3) गांव नान्दशा जागीर, पंचायत समिति–रायपुर में विधायक/सांसद कोटे से ट्यूबवैल कब स्वीकृत हुआ? उक्त स्वीकृति के बाद इसके संधारण की क्या स्थिति है और देरी के लिये कौन जिम्मेदार है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने हैण्डपम्प हैं? उक्त में से कितने चल रहे हैं, कितने खराब हैं और खराब हैण्डपम्पों को कब तक ठीक करा दिया जावेगा?

(5) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौनसी किस-किस प्रकार की पेयजल योजनाएं सरकार द्वारा संचालित हैं? उक्त योजनाओं के पुनरुद्धार के लिये क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं और कौन-कौनसी नई पेयजल योजनाएं विभाग के पास स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं? उक्त को कब तक स्वीकृत करके बचे हुए गांवों में पेयजल की कब तक व्यवस्था कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) हां, यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा जिला भीलवाड़ा में पिछले 3 वर्षों से लगातार कम वर्षा के कारण पेयजल की समस्या है और जल स्तर काफी नीचे चला गया है। इस समस्या के समाधान हेतु एक कन्टीन्जेन्सी प्लान बनाया गया है। जिसके अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में निम्न कार्य प्रस्तावित किए हैं: —

क्र. सं.	तहसील	हैण्ड पम्प संख्या	नलकूप संख्या	जल परिवहन (गांवों की सं.)
1	सहाड़ा	19	1	1
2	रायपुर	26	–	–

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

इन कार्यों में से ग्राम कोशीथल में एक नलकूप बनाकर चालू कर दिया गया है व इसी ग्राम में टैंकरों द्वारा जल परिवहन किया जा रहा है। हैण्ड पम्प मार्च, 2001 में स्वीकृत हुए हैं। जिनके वेधन कार्य का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में विधायक/सांसद कोटे के माध्यम से स्वीकृत व सम्पादन की स्थिति परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है। इस प्रकार कुल स्वीकृत 69 कार्यों में से 66 कार्य पुर्ण किए जा चुके हैं तथा 3 कार्य प्रगति में हैं। कार्य पूर्ण होने में असामान्य समय नहीं लगा है।

(3) ग्राम नान्दशा जागीर, पंचायत समिति-रायपुर में सांसद कोटे से 1995-96 में नलकूप स्वीकृत हुआ था जो कि वर्तमान में पंचायत द्वारा संधारण किया जा रहा है।

(4) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में कुल 1176 हैण्डपम्प स्थापित हैं, जिनमें से 211 हैण्डपम्प सूखे व 57 परित्यक्त हैं। शेष 908 हैण्डपम्पों में 27 हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के प्रारम्भ में 260 हैण्डपम्प खराब (मरम्मत योग्य) पाए गए थे जिनमें से 238 को मरम्मत कर चालू कर दिया है शेष 22 हैण्डपम्पों को वर्तमान में चालू अभियान के अन्तर्गत मार्च, 2001 के अन्त तक मरम्मत कर चालू करवाना प्रस्तावित है।

(5) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में कुल 177 ग्राम हैं जिनमें से 16 ग्राम क्षेत्रीय योजनाओं से, 7 ग्राम पी. एण्ड टी. से 12 पाइप्ड योजनाओं से, 7 टी.एस.एस. योजना से व 135 ग्राम हैण्डपम्प योजनाओं से लाभान्वित हैं। इस योजनाओं के संवर्धन के लिए 45 नये हैण्डपम्प, 1 नलकूप स्वीकृत किया गया है, जिसमें से ग्राम कोशिथल में एक नलकूप लगाकर चालू कर दिया गया व शेष कार्य प्रगति पर है।

सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र की एक क्षेत्रीय योजना, रायपुर दोराना लागत रु. 163 लाख स्वीकृति पूर्व तकनीकी जांच की प्रक्रिया में है वर्तमान में बांध में पानी नहीं है। बांध के जलाशय में पानी आने के बाद ही योजना पर विचार सम्भव होगा।

परिशिष्ट-"अ"

एम.पी./एम.एल.ए. फण्ड से स्वीकृत कार्य (तीन वर्ष में)

वर्ष	एम.पी.फण्ड		एम.एल.के. फण्ड	
	हैण्डपम्प	पाइप लाइन	हैण्डपम्प	पाइप लाइन
1998–1999	–	–	–	–
1999–2000				
रायपुर तहसील	19	3	1	1
सहाड़ा तहसील	7	–	4	–
कुल	26	3	5	1
2000–2001				
रायपुर तहसील	14	1	–	–
सहाड़ा तहसील	16	–	–	–
कुल	30	1	–	–

कार्य पूर्ण करने की स्थिति

वर्ष	एम.पी.फण्ड	स्वीकृत	कार्य पूर्ण	दिनांक (वर्ष)
1998–1999	–	–	–	–
1999–2000	हैण्डपम्प	26	26	दिसम्बर-2000
	पाइप लाइन	3	3	दिसम्बर-2000
2000–2001	हैण्डपम्प	30	30	दिसम्बर-2000
	पाइप लाइन	1	1	दिसम्बर-2000
कुल		60	60	
एम.एल.ए. फण्ड				
1998–1999	–	–	–	–
1999–2000	हैण्डपम्प	8	5	दिसम्बर-2000
	पाइप लाइन	1	1	दिसम्बर-2000
2000–2001	शून्य	शून्य	–	–
		9	6	दिसम्बर-2000
	सकल योग	69	66	

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के स्वीकृत उच्च जलाशय

18. डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या आगामी गर्मी के मौसम में पीने के पानी की विकट समस्या को ध्यान में रखते हुए भीलवाड़ा जिले के लिये कोई योजना/कन्टीन्जेन्सी प्लान तैयार की गई है? यदि हां, तो क्या?

(2) उक्त जिले में स्वीकृत हैण्डपम्पों को लगाने हेतु क्या व्यवस्था की जा रही है व कुल कितने हैण्डपम्प विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत होते हुए भी अब तक लगाये नहीं गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त हैण्डपम्पों को लगाने में क्या कठिनाई आ रही है तथा उक्त कठिनाइयों को दूर करने की क्या व्यवस्था की जा रही है?

(4) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में गत 3 वर्षों में कुल कितने नलकूप शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वीकृत किये गये और स्वीकृत नलकूपों में से कितने चालू किये गये हैं?

(5) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने उच्च जलाशय स्वीकृत हैं? क्या कई जलाशय चालू नहीं किये गये? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में पानी की विकट समस्या को देखते हुए शहरी क्षेत्र हेतु रु. 75.25 लाख की योजना स्वीकृत की गई। जिसके तहत शहरी क्षेत्र भीलवाड़ा में 300 एम.एम की 1200 मीटर पाइप लाइन, मेजा बांध के नलकूपों एवं खुले कुओं को पुनः चालू करना, दो कम गहराई वाले कुओं का निर्माण व पूर्व में स्थापित कुओं को गहरा करना, शहर सब जोन हेतु पाइप लाइन कार्य, 25 वर्तमान नलकूपों पर पनघट योजना चालू करना, 50 नये हैण्डपम्पों का निर्माण, रेल द्वारा जल परिवहन कार्य, दो एक्सजोरेटरी नलकूप खोदना व वर्तमान नलकूपों हेतु उचित डिस्चार्ज के पम्पसैट उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। दो अन्य शहरी योजना हेतु स्रोत सुधार, पावर कनेक्शन, पम्प सैट एवं 15 हैण्डपम्प की स्वीकृति की गई है। ग्रामीण क्षेत्र हेतु राशि रु. 231.62 लाख के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। उनके तहत 231 हैण्डपम्प, 10 खुले कुएं, 22 नलकूप, 35 स्रोत सुधार, तीन डी.सी.बी. एवं पाइप लाइन तथा पावर कनेक्शन व कुओं को किराये पर लेने की स्वीकृति की गई है।

(2) स्वीकृत हैण्डपम्पों को लगाने के लिए विभागीय 4 मशीनें कार्यरत हैं। विभिन्न योजनाओं में कन्टीजेन्सी के तहत कुल 296 हैण्डपम्प स्वीकृत हुए थे, उनमें से 222 हैण्डपम्प लगाये जाने शेष हैं। इनकी सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी)

(3) कोई कठिनाई नहीं है। कार्य प्रगति पर है।

(4) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में गत तीन वर्षों में कुल 5 नलकूप ग्रामीण क्षेत्र में स्वीकृत हुए हैं। जिनमें से चार नलकूप वैधित हो चुके हैं। एक असफल रहा है। शेष एक नलकूप के लिए भू जल वैज्ञानिक की राय में पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण वैधित नहीं किया गया है। स्थिति निम्नानुसार है: —

स्वीकृत नलकूप का स्थान	**संख्या**	**वेधन की स्थिति**
नान्दसा जागीर	1	भू-जल वैज्ञानिक की राय से जल उपलब्ध नहीं होने के कारण वेधन नहीं।

शहरी क्षेत्र में कोई नलकूप स्वीकृत नहीं हुआ है।

(5) विधान सभा क्षेत्र में दो उच्च जलाशय गंगापुर शहर के स्वीकृत हैं एवं दोनों निर्मित हो चुके हैं। इनमें से एक उच्च जलाशय चालू कर दिया गया है व दूसरे जलाशय के पाइप लाइन का कार्य चल रहा है।

परिशिष्ट-"अ"

शेष हैण्डपम्पों की सूची

क्रम सं.	तहसील	गांव का नाम	कोड नं.	हैण्डपम्प सं.
1	2	3	4	5
1.	आसींद	बासा की कांकर	8	1
2.	भीलवाड़ा	हासीयारा	118	1
3.	भीलवाड़ा	दरीबा	4	1
4.	भीलवाड़ा	दूदिया	82	1
5.	कोटड़ी	मनकन्डी	121	1
6.	कोटड़ी	विरमीयास	120	1
7.	कोटड़ी	सोलकीया का खेडा	114	1
8.	कोटड़ी	करड	111	1
9.	मांडलगढ़	नया नगर	200	1
10.	मांडलगढ़	आटी	291	1
11.	मांडलगढ़	फतेहपुरा	237	1
12.	मांडलगढ़	देवगढ़	270	1
13.	मांडलगढ़	मानपुरा	165	1
14.	मांडलगढ़	बिगोट	87	1
15.	मांडलगढ़	बडवा	250	1
16.	मांडलगढ़	पवानपुरा	226	1
17.	मांडलगढ़	मोहनपुरा	130	1
18.	मांडलगढ़	बीड का खेडा	107	1
19.	मांडलगढ़	सुरास	86	1
20.	मांडलगढ़	मेहताजी का गुढा	83	1
21.	मांडल	टोकरा	10	1
22.	मांडल	मोटा का खेडा	11	1
23.	मांडल	चितान्दा	18	1
24.	मांडल	देतेडी	22	1
25.	मांडल	गुंदली खेडा	24	1
26.	मांडल	गरवाई	28	1
27.	मांडल	गोरधनपुरा	29	1
28.	मांडल	सलया	30	1

1	2	3	4	5
29.	मांडल	बडडू	31	1
30.	मांडल	आमदला	32	1
31.	मांडल	करेहा	40	1
32.	मांडल	सुरगटी	50	1
33.	मांडल	डोड. खेडा	54	1
34.	मांडल	खेडी माता	64	1
35.	मांडल	हिसनिया	85	1
36.	मांडल	रुपपुरा	114	1
37.	मांडल	करनवास	136	1
38.	मांडल	बागोर	139	1
39.	मांडल	माकलिया	147	1
40.	मांडल	समरथपुरा	149	1
41.	मांडल	चतुरभुजापुरा	151	1
42.	मांडल	कालू खेडा	157	1
43.	बनेडा	रायसिंहपुरा	61	1
44.	बनेडा	डाबला	4	1
45.	बनेडा	सरदारनगर	49	1
46.	बनेडा	बनेडा	70	1
47.	बनेडा	चमनपुरा	64	1
48.	बनेडा	गोर का खेडा	14	1
49.	बनेडा	दांता निलांबर	60	1
50.	बनेडा	बरसा	59	1
51.	बनेडा	जोरावरपुरा	48	1
52.	बनेडा	लापिया	30	1
53.	बनेडा	कुंडिया खुर्द	12	1
54.	बनेडा	रायला	16	1
55.	बनेडा	उपरेडा	27	1
56.	बनेडा	रामपुरा	58	1
57.	बनेडा	रूपाहेली खुर्द	35	1
58.	सहाड़ा	अरनोटा	1	1
59.	सहाड़ा	कोशीथल	2	1
60.	सहाड़ा	उम्मेदपुरा	4	1

1	2	3	4	5
61.	सहाड़ा	उल्लाई	13	1
62.	सहाड़ा	सालेरा	16	1
63.	सहाड़ा	रूपारेल	114	1
64.	सहाड़ा	फूंकिया	23	1
65.	सहाड़ा	काला खेड़ा	27	1
66.	सहाड़ा	नान्दसा	43	1
67.	सहाड़ा	चीड़ खेड़ा	45	1
68.	सहाड़ा	महेन्द्रगढ़	48	1
69.	सहाड़ा	माकड़ीया	49	1
70.	सहाड़ा	काला ढूंडा	52	1
71.	सहाड़ा	गणेशपुरा	58	1
72.	सहाड़ा	मगेरा	61	1
73.	सहाड़ा	मेहंदी	69	1
74.	सहाड़ा	सूरावास	75	1
75.	सहाड़ा	जबरकिया	92	1
76.	सहाड़ा	अरनीया	95	1
77.	रायपुर	पीथलपुरा	12	1
78.	रायपुर	थला	13	1
79.	रायपुर	बोराना	18	1
80.	रायपुर	बोराना	18	1
81.	रायपुर	पट्टियों का खेड़ा	14	1
82.	रायपुर	सुरास	16	1
83.	रायपुर	राभा	20	1
84.	रायपुर	मंडी	23	1
85.	रायपुर	कोट	28	1
86.	रायपुर	रायपुर	32	1
87.	रायपुर	रायपुर	32	1
88.	रायपुर	रायपुर	32	1
89.	रायपुर	जगपुरा	33	1
90.	रायपुर	भोखमपुरा	35	1
91.	रायपुर	पनोतिया	38	1
92.	रायपुर	रेवाड़ा	46	1

1	2	3	4	5
93.	रायपुर	खूंटीया	54	1
94.	रायपुर	मेरनिया	59	1
95.	रायपुर	खामरिया	60	1
96.	रायपुर	टूंगच	66	1
97.	रायपुर	डांगरी	71	1
98.	रायपुर	ज़ड़ोल	73	1
99.	रायपुर	गलवा	81	1
100.	रायपुर	बाड़ीया खुर्द	85	1
101.	रायपुर	मोखूंदा	67	1
102.	रायपुर	ठीकरिया	69	1
103.	मांडल	यानसेन	7	1
104.	मांडल	गोराना	8	1
105.	मांडल	सरेडी खेडी	43	1
106.	मांडल	बरवाली का खेडा	44	1
107.	मांडल	खुमानपुरा	47	1
108.	मांडल	राजपुरा	48	1
109.	मांडल	सोढ़ा का खेडा	48	1
110.	मांडल	सबलपुरा	62	1
111.	मांडल	डेलास	63	1
112.	मांडल	चावंडिया	65	1
113.	मांडल	मलास	73	1
114.	मांडल	सज्जनपुरा	91	1
115.	मांडल	गम्भीरपुरा	101	1
116.	मांडल	मानकी चाल	137	1
117.	मांडल	दौलतपुरा	128	1
118.	मांडल	धुवाला	96	1
119.	मांडल	नाहरगढ़	127	1
120.	मांडल	सेहलूदा	27	1
121.	आसीन्द	कामेरिया	2	1
122.	आसीन्द	भादसी	4	1
123.	आसीन्द	सोहनपुरा	5	1
124.	आसीन्द	रतनपुरा	6	1

1	2	3	4	5
125.	आसीन्द	खेडली	9	1
126.	आसीन्द	बिछून्दा	11	1
127.	आसीन्द	सवार्दपुरा	15	1
128.	आसीन्द	रामपुरा	23	1
129.	आसीन्द	लक्ष्मणगढ़	33	1
130.	आसीन्द	बलेव	53	1
131.	आसीन्द	बाजून्दा	55	1
132.	आसीन्द	चोटीयास	62	1
133.	आसीन्द	दुल्हेपुरा	67	1
134.	आसीन्द	जीवार	68	1
135.	आसीन्द	रूपपुरा	75	1
136.	आसीन्द	जयनगर	79	1
137.	आसीन्द	आमेसर	86	1
138.	आसीन्द	मालासरी	87	1
139.	आसीन्द	कावलास	69	1
140.	आसीन्द	हायान	99	1
141.	आसीन्द	रायहा	100	1
142.	आसीन्द	मेफलियास	125	1
143.	आसीन्द	नेगडिया	126	1
144.	आसीन्द	जीन्दरास	167	1
145.	आसीन्द	कोरनास	181	1
146.	जहाजपुर	मोलीपुरा	21	1
147.	जहाजपुर	जामोली	62	1
148.	हुरडा	भीमलात	2	1
149.	हुरडा	शिवनगर	12	1
150.	हुरडा	सुलानपुरा	25	1
151.	कोटडी	हरपुरा	3	1
152.	कोटड़ी	भैरूखेडा	—	1
153.	कोटड़ी	आखापुरा	—	1
154.	कोटड़ी	सतोला खेडा	—	1
155.	कोटड़ी	रेडवाव	—	1
156.	कोटड़ी	साव सियाव	—	1

1	2	3	4	5
157.	कोटड़ी	हडताडा	—	1
158.	कोटड़ी	गोधरी	—	1
159.	कोटड़ी	देवली	—	1
160.	कोटड़ी	अमरवासी	—	1
161.	कोटड़ी	रोपड़	—	1
162.	कोटड़ी	रोपड	—	1

शहरी भीलवाड़ा = 50
शहरी जहाजपुर = 8
शहरी शाहपुरा = 2

योग = 60
कुल योग : 162 + 60 = 222

पंचायत समिति-रायपुर (भीलवाड़ा) के ग्रामों हेतु पेयजल व्यवस्था

19. डा. रतनलाल जाट (सहाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

क्या गांव दुल्हेपुरा, पंचायत नाहरी, पंचायत समिति-रायपुर, जिला भीलवाड़ा में पेयजल समस्या है? क्या सरकार उक्त पंचायत के देवनगर (छापरीया खेड़ा) में जहां पानी के पर्याप्त भंडार होने की संभावना है, एक ट्यूबवैल लगाकर गाडरी खेड़ा, देवनगर एवं दुल्हेपुरा पंचायत नाहरी को पेयजल प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

ग्राम दुल्हेपुरा 1991 की जनगणना के अनुसार गैर आबाद था। इस गांव की वर्तमान जनसंख्या इस गांव के मजरे देवनगर (छापरिया खेड़ा) तथा गाडरी खेडा (मुख्य गांव से 1 कि.मी. दूरी में स्थित) लगभग 875 है। वर्तमान में 7 स्थापित हैण्डपम्प चालू स्थिति में है तथा इस गांव में पेयजल समस्या नहीं है। वर्तमान में ट्यूबवैल लगाकर योजना बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि यहां विभागीय मानदण्डों के अनुरूप पर्याप्त जल व्यवस्था है।

विधान सभा क्षेत्र सांचोर के नेहड़ क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति

20. श्री हीरालाल विश्नोई (सांचोर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सांचोर की तहसील सांचोर के नेहड़ क्षेत्र में ऐसे राजस्व ग्राम व ढाणियां हैं जहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है? यदि हां, तो कौन-कौन से? उक्त ग्रामों में सरकार कब तक पानी पहुंचाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, हां। विधान सभा क्षेत्र सांचोर की तहसील सांचोर के नेहड़ क्षेत्र में कुल 61 राजस्व गांव, 9 नये राजस्व गांव एवं दो गैर आबाद गांव हैं। इनमें से 41 राजस्व गांव, 7 नये राजस्व गांवों में जल वितरण नियमित रूप से हो रहा है। शेष 20 राजस्व गांवों में से 10 गांवों में अनियमित रूप से जल वितरण हो रहा है एवं 10 गांवों में जल सेवा स्तर शून्य है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र को 6 ढाणियों में पानी नहीं पहुंचता है। नये राजस्व गांवों में से 2 गांवों को लाभान्वित करना शेष है। जिन गांवों एवं ढाणियों में पानी नहीं पहुंचता है, इनकी सूची परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है। इन प्रभावित गांवों/ढाणियों में पेयजल की स्थाई समाधान हेतु कार्य योजना का विवरण संलग्न परिशिष्ट-"ब" पर उपलब्ध हैं।

परिशिष्ट-"अ"

नेहड़ क्षेत्र के लाभान्वित गांवों व ढाणियों की सूची जिनमें पानी नहीं पहुंचता

विधान सभा क्षेत्र—सांचोर तहसील—सांचोर

क्रम संख्या	गांव का नाम	कोड संख्या	ढाणी का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	सरवाणा	89		अनियमित जल सप्लाई होती है।
2.	बालेरा	33		——"——
3.	नलदरा	87		——"——
4.	भाटकी	31		——"——
5.	गलीफा	39		——"——
6.	जानवी	85		——"——
7.	केसुरी	86	1. कलबियों की गोलिया 2. मालियों की ढाणी 3. रेबरीयों की ढाणी	शून्य सप्लाई ——"—— ——"——
8.	मेलावास गुसाई	54		अनियमित जल सप्लाई होती है।
9.	धरनावास	58		——"——
10.	सउओं व डउकियों की ढाणी	56		——"——
11.	रिडका	27		शून्य सप्लाई
12.	बरणवा	34		——"——
13.	सांकरिया	22	कोलियों की ढाणी	——"——
14.	मण्डाली	30		——"——
15.	सिलोसण	43		——"——

1	2	3	4	5
16.	रामपुरा	44		शून्य सप्लाई
17.	रतनपुरा	77	5 मेगवालों की ढाणी	——"——
18.	गोमी	79		——"——
19.	इसरोलु	82		——"——
20.	रणोदर	53		——"——
21.			6. ढेलिया (चितलवाणा) 7. लुहारों की ढाणी (सेवाड़ा)	——"—— ——"——
	10 गांव अनियमित 10 गांव शून्य जल सेवा स्तर		7 शून्य जल सेवा स्तर	——"——

अधिशासी अभियन्ता
जन. स्वा. अभि. विभाग, खण्ड भीनमाल

परिशिष्ट-"ब"

विधान सभा क्षेत्र — सांचोर के अन्तर्गत प्रभावित गांवों/ढाणी की पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु कार्य योजना का विवरण

क्र. सं.	स्वीकृत योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक व दिनांक	तकनिकी स्वीकृति क्रमांक व दिनांक	राशी (लाखों में)	प्रभावित गांवों / ढाणियों का विवरण	योजना पूर्ण होने की संभावित तिथी
1	2	3	4	5	6	7
1.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना पादरली—हेमागुड़ा	एफ.सी/ 367/17.11.99	एसई/7/30.12.99	24.34	1. मलावास गुंसाई (54) 2. धरनावास (58) 3. सउओं एवं डउकियों की ढाणी (56)	30.6.2001
2.	परावा—रतनपुरा	एफ.सी/ 367/17.11.99	सीई/117/20.10. 2000	185.66	1. रामपुरा (44 2. गोमी (79) 3. ईसरोल (81) 4. रतनपुरा (77) 5. मेगवालों की ढाणी (रतनपुरा) 6. ठेलिया (चितलवाणा) 7. लुहारों की ढाणी (सेवाड़ा) 8. रणोदर (53)	30.10.2003

1	2	3	4	5	6	7
3.	सुरावा—हाडेचा	एफ.सी/ 367/17.11.99	सीई/125/ 25.10.2000	149.74	1. गलिफा (39) 2. जानवी (85) 3. केसुरी (86) 4. कलबियों की ढ़ाणी केसुरी	30.10.2003
4.	नेहड एरिया प्रथम				1. मण्डाली (30) 2. रिड़का (27) 3. वरणवा (34) 4. सिलोसण (43) 5. कोलियों की ढाणी (सांकरिया) 6. सांकरिया (22) 7. मालियों की ढाणी (केसुरी) 8. रेबारीयों की ढाणी (केसुरी)	प्रस्तावित योजना अनुमानित लागत रुपये 296.00 लाख की स्वीकृति पूर्व तकनीकी जांच में है। जांच व स्वीकृति के पश्चात् वित्तीय संसाधनों के अनुरूप क्रियान्विति सम्भव होगी।
5.	सिल्लू—जैसला भाटकी				1. सरवाणा (89) 2. बालेरा (33) 3. नलदरा (87) 4. भाटकी (31)	प्रस्तावित योजना अनुमानित लागत रुपये ६२७.५६ लाख की स्वीकृति पूर्व तकनीकी जांच में है। जांच एवं स्वीकृति के पश्चात् वित्तीय संसाधनों के अनुरूप क्रियान्विती सम्भव होगी।

श्यारी (जयपुर) के हैण्डपम्प की मरम्मत

21. **श्री मोहन लाल बारूपाल** (जायल) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) विधान सभा क्षेत्र आमेर में कितने हैण्डपम्प लगे हुए हैं, वर्तमान में कितने खराब एवं कितने चालू हैं ?

(2) उक्त क्षेत्र के किस-किस हैण्डपम्प को ठीक करने के लिए गत दो वर्षों में क्या-क्या सामान, कब-कब जारी किया गया एवं कब-कब खराब हैण्डपम्पों में लगाया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र कांट के अधिकतर हैण्डपम्प लगभग 6 महीने से खराब हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसा हैण्डपम्प कब से खराब है एवं कब-कब शिकायत प्राप्त हुई? उक्त शिकायतों पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम श्यारी की ढाणी पंथाली में लगा हुआ हैण्डपम्प लगभग 6 महीने से खराब है जिसकी लिखित में शिकायत एवं संबंधित अभियंताओं को दूरभाष पर शिकायत भी की गई है? यदि हां, तो उक्त शिकायत पर कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई एवं उक्त हैण्डपम्प को ठीक करने हेतु कब-कब, क्या-क्या सामान जारी किया गया एवं उक्त हैण्डपम्प में कब लगाया गया ?

(5) क्या यह भी सही है, कि उक्त हैण्डपम्प को ठीक करने हेतु जारी किया गया सामान अभी तक भी कार्यस्थल पर नहीं पहुंचा है? यदि हां, तो क्यों एवं अब तक उक्त सामान किस-किस के पास किस कारण से रहा ?

(6) क्या सरकार अब उक्त हैण्डपम्प ठीक करवाते हुए दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आमेर में कुल 2160 हैण्डपम्प लगे हुए हैं। वर्तमान में 20.3.2001 की स्थिति के अनुसार 1696 हैण्डपम्प चालू अवस्था में है तथा 234 सूखे एवं 46 हैण्डपम्प परित्यक्त हैं। शेष 184 खराब हैण्डपम्प का मरम्मत कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

(2) विधान सभा क्षेत्र आमेर में जन स्वा. अभि. विभाग द्वारा गत 2 वर्षों में दो हैण्डपम्प मरम्मत अभियान पूर्ण किये गये एवं तृतीय मरम्मत अभियान वर्तमान में चालू है। गत 2 वर्षों में इस क्षेत्र के हैण्डपम्पों को ठीक करने के लिए निर्गम सामान की सूची ग्रामवार एवं हैण्डपम्पवार परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(3) जी, नहीं। विकास अधिकारी, पं. समिति, आमेर से दिनांक 22.12.2000 को प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम पंचायत कांट में कुल 9 हैण्डपम्प खराब थे। वर्तमान में मरम्मत योग्य सभी हैण्डपम्प, ठीक कर दिये गये हैं। इसके अनुसार कुल स्थापित 39 हैण्डपम्पों में से 34 हैण्डपम्प चालू अवस्था में हैं। 3 हैण्डपम्प सूखे एवं 2 परित्यक्त हैं।

(4) जी, नहीं। ग्राम श्यारी की ढाणी पंथाली में स्थापित हैण्डपम्प के खराब होने की शिकायत दिनांक 5.3.2001 को दूरभाष पर प्राप्त हुई। हैण्डपम्प में पाइप गिरे हुए थे। उक्त हैण्डपम्प को दिनांक 16.3.2001 को ठीक कर चालू कर दिया गया।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

ठीक करने में निम्न सामान लगाया गया: —

1.	रबर पम्प बकेट	2 नग
2.	रबर शीट रिटेनर	1 नग
3.	रबर शीट बिग	1 नग
4.	बोल्ट एम-12 × 40	5 नग
5.	नट एम-12	5 नग

हैण्डपम्प को ठीक कर दिनांक 16.3.2001 को पुनः स्थापित किया गया।

(5) जी, नहीं। शेष बिन्दु संख्या–4 के उत्तर के अनुसार।

(6) जी, नहीं। हैण्डपम्प की अवस्था को देखते हुए ठीक करने में लगा समय सामान्य से ज्यादा नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र सांचोर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति

22. श्री हीरालाल विश्नोई (सांचोर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

क्या सरकार की विधान सभा क्षेत्र सांचोर में फ्लोराइड मुक्त पेयजल उपलब्ध कराने की कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक फ्लोराइड मुक्त पेयजल उपलब्ध हो सकेगा और नहीं तो क्यों?

उत्तर

जी, हां। विधान सभा क्षेत्र सांचोर में फ्लोराइड मुक्त पेयजल उपलब्ध कराने की पांच क्षेत्रीय जल योजनाएं 36 गांवों के लिए स्वीकृत हैं जिनका कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। इन योजनाओं को बजट एवं संसाधनों की उपलब्धतानुसार संलग्न परिशिष्ट-"अ" में दर्शायी गयी अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट-"अ"

विधान सभा क्षेत्र सांचोर के अन्तर्गत फ्लोराइड मुक्त स्वीकृत पेयजल योजनाओं का विवरण

क्रम सं.	स्वीकृत योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक व दिनांक	राशि (लाखों में)	लाभान्वित गांवों की संख्या	योजना पूर्ण होने की संभावित तिथि
1.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना झाब—देवडा	एफ.सी/367/ 17.11.99	24.34	3	30.6.2001
2.	क्षे. ज. प्रदाय योजना पादरली—तेतरोल	एफ.सी/367/ 17.11.99	18.17	4	30.6.2001
3.	क्षे. ज. प्र. यो. पादरली—हेमागुडा	एफ.सी/367/ 17.11.99	28.46	5	30.11.2001
4.	क्षे. ज. प्र. यो. परावा—रतनपुरा	एफ.सी/367/ 17.11.99	196.78	10	30.10.2003
5.	क्षे. ज. प्र. यो. सुरावा—हाडेचा	एफ.सी/367/ 17.11.99	156.68	14	30.10.2003
	योग		424.43	36	

उपखण्ड कार्यालय, सांचोर में रिक्त पद

23. श्री हीरालाल विश्नोई (सांचोर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) जलदाय विभाग सांचोर के अधीन उपखण्ड कार्यालयों में कितने-कितने पद सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता, पम्प चालक एवं हैल्पर के स्वीकृत हैं?

(2) उक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध कहां-कहां कितने पद रिक्त हैं?

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सांचोर के अधीन दो उपखण्ड स्वीकृत/कार्यरत हैं। जिनमें 2 सहायक अभियन्ता, 6 कनिष्ठ अभियन्ता, 43 पम्प चालक व 106 सहायक (हैल्पर) के पद स्वीकृत हैं। उपखण्डों के अधीन स्वीकृत पदों व रिक्त पदों का उपखण्डवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(2) दोनों उपखण्डों के अधीन 2 कनिष्ठ अभियन्ताओं के, 16 पम्प चालकों तथा 31 सहायकों के पद रिक्त हैं। दो कनिष्ठ अभियन्ताओं के स्थानान्तरण रिक्त पदों के विरुद्ध हुआ है लेकिन उन्होंने अभी तक कार्यभार से मुक्त होकर इन उपखण्डों में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। विवरण परिशिष्ट-"अ" में समाहित है।

(3) विभाग में नई नियुक्ति पर पाबन्दी है।

परिशिष्ट-"अ"

विधान सभा क्षेत्र सांचोर के अन्तर्गत विभाग के उप खण्डों के अधीन विभिन्न संवर्गों के स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद		योग	कार्यरत		योग	रिक्त पद		योग
		उपखण्ड प्रथम	उपखण्ड द्वितीय		उपखण्ड प्रथम	उपखण्ड द्वितीय		उपखण्ड प्रथम	उपखण्ड द्वितीय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	सहायक अभियन्ता	1	1	2	1	1	2	—	—	—
2.	कनिष्ठ अभियन्ता	4	2	6	3	1	4	1	1	2
द्वितीय नगर जल योजना सांचोर										
नियमित श्रेणी										
1.	सहायक	—	1	1	—	—	—	—	1	1
कार्य प्रभारीत										
1	पम्प चालक द्वितीय	—	4	4	—	4	4	—	—	—
2	सहायक	—	5	5	—	5	5	—	—	—
	योग	—	9	9	—	9	9	—	—	—
	महायोग	10	10	—	9	9	—	1	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	तृतीय ग्रामीण क्षेत्र तकनीकी संवर्ग									
1.	पम्प चालक प्रथम	3	6	9	2	3	5	1	3	4
2.	पम्प चालक द्वितीय	7	23	30	4	14	18	3	9	12
3.	सहायक	54	46	100	36	34	70	18	12	30
	योग	64	75	139	42	51	93	22	24	46

जिला उदयपुर के ठिकानों के समायोजित कर्मचारियों को पेंशन

24. श्री भाणजी (दानपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) उदयपुर जिले के किन-किन ठिकानों के कर्मचारियों की सेवायें राज्य सरकार के अधीन किन-किन शर्तों पर समायोजित की गई थी? मय पदवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा समायोजित ठिकानों में से सनवाड़ व अन्य ठिकानों के कर्मचारियों को पेंशन एवं अन्य लाभों का भुगतान कर दिया गया लेकिन लकड़वास ठिकानों के सेवानिवृत्त कर्मियों को कई वर्षों पश्चात् भी पूर्व सेवाओं का पेंशन लाभ नहीं दिया गया? यदि हां तो इसके लिए कौन दोषी है? सरकार अब कब तक लकड़वास ठिकाने के कर्मियों को पेंशन व अन्य लाभ सहित भुगतान कर देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले के सनवाड़ एवं लकड़वास ठिकानों के कर्मचारियों की सेवाएं दी राज. लैण्ड रिफार्मस एण्ड जागीर रिजम्पशन (एब्जोरशन आफ जागीर एम्पलाइज) नियम, 1954 में विहित शर्तों के अनुसार राज्य सरकार के अधीन की गई थी। पदवार कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार है: —

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पद	ठिकाना
1.	श्री रामप्रसाद कोठारी	पटवारी	सनवाड़
2.	श्री लक्ष्मीलाल चंडालिया	पटवारी	लकड़वास

(2) हां, यह सही है कि उदयपुर जिले में एक कार्मिक श्री रामप्रसाद कोठारी, पटवारी, ठिकाना–सनवाड़ को पेंशन योग्य माना जाकर वर्ष 1993 में लाभ दिया गया। ठिकाना लकड़वास से संबंधित कोई प्रकरण लम्बित नहीं है। इस जिले में ठिकाना लकड़वास का एक प्रकरण श्री लक्ष्मीलाल चंडालिया का पेंशन प्रकरण राज्य सरकार को विशेष स्वीकृत हेतु भेजा गया था, इसकी स्वीकृति बाबत वित्त (नियम) विभाग ने लकड़वास को पेंशन योग्य नहीं मानकर स्वीकृति नहीं दी है।

श्री रामप्रसाद कोठारी, पूर्व पटवारी, ठिकाना–सनवाड़ को पेंशन योग्य कलेक्टर, उदयपुर की स्वीकृति के आधार पर पेंशन स्वीकृत की गई थी। वित्त (नियम) विभाग ने सनवाड़ ठिकाने को भी पेंशन योग्य मानना त्रुटी बताकर पेंशन विभाग को भविष्य में पेंशन के प्रकरणों के निस्तारण नियमानुसार ही करने हेतु कहा है।

ग्राम लवाण (दौसा) में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि पर अवैध कब्जा

25. श्री मोहन लाल बारूपाल (जायल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(श्री मोहन लाल बारूपाल)

(1) ग्राम लवाण, तहसील दौसा, जिला दौसा में वर्तमान में किस-किस अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम कितनी-कितनी भूमि किस-किस खसरा नम्बर में स्थित है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि पर कतिपय सवर्ण जाति के व्यक्तियों ने कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो किस-किस खसरा नम्बर की कितनी-कितनी भूमि पर?

(3) उक्त ग्राम की खसरा नम्बर–505, 506, 508, 509, 681, 682, 684, 686, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 736, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 765, 766 एवं 764 की कितनी-कितनी भूमि पर किस-किस का कितने-कितने रकबे पर सवर्ण जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों का कब्जा है? नाम, पिता का नाम, खसरा नम्बर की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अब उक्त अतिकर्मियों का कब्जा हटाकर पुनः अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उनकी भूमि वापिस दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम लवाण, तहसील दौसा, जिला दौसा में वर्तमान में अनुसूचित जाति के संयुक्त एवं एकल खातेदारों की संख्या 144 है। इन कृषकों द्वारा धारित भूमि (रकबा एवं खसरा नम्बरान सहित) की सूची परिशिष्ट-"अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी, नहीं। ग्राम लवाण में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि पर सवर्ण जाति के लोगों का कब्जा नहीं होकर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों का कब्जा है।

(3) ग्राम लवाण, तहसील दौसा, जिला दौसा स्थित भूमि खसरा नम्बर 505, 506, 508, 509, 681, 682, 684, 686, 708, लगायत 715, 736, 758, 759, 760 लगायत 766 कुल किता 26 रकबा 3.08 हैक्टर भूमि भोरया पुत्र बालू, बिरदा, पांचू पि. मंसा, कल्याण पुत्र लक्ष्मण, भोमा, प्रभात, तेजा, बाबू, छोट्या पि. क़ाना, उमराव पुत्र मु. भोरी बेवा भैरू, बद्री पुत्र छोट्या, ग्यारसा, नारायण पिता रेवड़, मु. चौथी बेवा महादेव, राजू पुत्र पूरण, मु. रामप्यारी बेवा पूरण, सीताराम, गंगासहाय, बद्री पि. रामपाल प्रभात्या, गेंदा, चन्दा पि. मंगला कोली साकिन लवाण की सम्मिलित खातेदारी में राजस्व रेकार्ड में अंकित है। उक्त खातेदारी भूमि में से ख. नं.–505 रकबा 0.12 हैक्टेयर एवं ख. नं.–506 रकबा 0.20 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.32 हैक्टेयर पर नन्दलाल पुत्र पांचू मीना निवासी लवाण अनु. जनजाति के व्यक्ति का कब्जा है एवं ख. नं.–508 रकबा 0.17 हैक्टेयर एवं ख. नं.–509 रकबा 0.19 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.36 हैक्टेयर पर हीरालाल

(राजस्व मंत्री)

पुत्र ऊदा कौम गूजर निवासी लवाण का कब्जा है जो अन्य पिछडे वर्ग में आता है। प्रश्न में अंकित शेष खसरा नम्बरान की भूमि पर राजस्व रेकार्ड में अंकित खातेदारान का कब्जा काश्त है।

(4) जी, हां। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 (बी) एवं 183 (सी) के अन्तर्गत दो अतिक्रमियों को दिनांक 19.3.2001 को नोटिस जारी कर दिनांक 27.3.2001 को वास्ते सुनवाई नियत है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम जेतपुर (अलवर) की कब्जे शुदा भूमि का मुआवजा

26. श्री मोहन लाल बारूपाल (जायल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 23 जुलाई, 1986 को ग्राम जेतपुर, पटवार हल्का पाख़र, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को पास बुक जारी की गई थी? यदि हां, तो किस-किस को, किस-किस खसरा नम्बर की कितनी-कितनी भूमि के लिए? विवरण कृषक के नाम, पिता का नाम, आवंटित भूमि का रकबा एवं खसरा नम्बर सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम के श्री रामचरण पुत्र श्री मांगीलाल, जाति कोली खाता संख्या–231 को भी पास बुक जारी की गई थी? यदि हां, तो कब कितनी भूमि के लिए? जारी की गई पास बुक की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में उक्त खातेदार को जारी की गई पास बुक में अंकित भूमि खसरा नम्बर–314/323 रकबा तीन एकड़ की क्या स्थिति है? क्या उक्त भूमि को कभी कब्जे राज लिया गया था? यदि हां, तो कब? उक्त सम्बन्ध में जारी की गई अधिसूचना की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त खातेदार को उक्त भूमि के बदले कहीं अन्यत्र भूमि आवंटित की गई है? यदि हां, तो कब, कहां और कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त खातेदार को अन्यत्र भूमि आवंटित के अभाव में मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। दिनांक 23.7.86 को ग्राम जेतपुर में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को पास बुक जारी की गई थी सूची निम्न प्रकार है: —

1. रामचरण पुत्र मांगी लाल कोली, सा. पाखर ख. नं.–314/323 रकबा 3 बीघा

2. किशोरी पुत्र पून्या राम बैरवा, सा. पाखर ख. नं.–317/329 रकबा 2 बीघा

3. सम्पत पुत्र पून्याराम बैरवा, सा. पाखर ख. नं.–317/327 रकबा 2 बीघा

(राजस्व मंत्री)

4. हरिप्रसाद पुत्र पुन्याराम बैरवा सा.पाखर ख.नं. 317/326 रकबा 2 बीघा।

5. रामजीलाल पुत्र पून्याराम बैरवा सां.पाखर ख.नं. 314/321 रकबा 3 बीघा।

(2) जी, हां। पासबुक रजिस्टर के क्रमांक 231 पर दर्ज कर श्री रामचन्द्र पुत्र मांगीलाल कोली को पासबुक जारी की गई थी। यह पासबुक ख.नं. 314/323 रकबा 3 बीघा भूमि के लिए जारी की गई थी। जमाबन्दी सम्वत् 2054 खाता सं. 48 ख.नं. 314/323 रकबा 3 बीघा भूमि की डुप्लीकेट पासबुक तैयार कर क्रमांक 14/21.3.01 संलग्न डुप्लीकेट पासबुक परिशिष्ट-"अ" पर है।

(3) उक्त खातेदार को जारी की गई पासबुक में अंकित ख.नं. 314/323 रकबा 3 बीघा भूमि वर्तमान रेकार्ड में भी इसी के नाम खातेदारी में दर्ज है। मौके पर खाली है। यह भूमि कभी कब्जेराज नहीं ली गई है एवं कोई अधिसूचना इस बाबत जारी नहीं की गई है।

(4) उक्त खातेदार की उक्त भूमि अधिग्रहण ही नहीं की गई एवं न ही कब्जे राज ली गई। इसलिए उक्त खातेदार को अन्यत्र भूमि आवंटित नहीं की गई है।

(5) सरकार उक्त खातेदार को मुआवजा देने का कोई विचार नहीं रखती है। क्योंकि उक्त खातेदार की भूमि अधिग्रहण नहीं की गई है। एवं नहीं कब्जेराज ली गई है उक्त भूमि वर्तमान में भी उक्त खातेदार के खाते में दर्ज है।

(डुप्लीकेट पास बुक विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

केन्द्रीय मरु अनुसंधान संस्थान जैसलमेर को आवंटित भूमि

27. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) जिला जैसलमेर में केन्द्रीय मरु अनुसंधान संस्थान (काजरी) को कितनी राजस्व भूमि आवंटित की गई है? स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में काजरी को भूमि आवंटन की क्या शर्तें हैं?

(3) क्या जो भूमि आवंटित की गई है उस पर अनुसंधान कार्य हो रहा है?

(4) क्या यह सही है कि जैसलमेर नगर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग नं.-15 के किनारे बहुमूल्य भूमि पर काजरी का कब्जा है?

(5) क्या सरकार काजरी को दी भूमि का उपयोग के आधार पर परिवर्तन करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले की तहसील जैसलमेर में केन्द्रीय मरु अनुसंधान संस्थान, (काजरी) को ग्राम जैसलमेर में 5625 बीघा 3 बिस्वा एवं ग्राम चांधन में 576 बीघा 16 बिस्वा कुल 6201 बीघा 19 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया है।

(2) उक्त क्षेत्र में काजरी को भूमि वर्ष 1965 से 2015 तक अर्थात 50 वर्ष के

(राजस्व मंत्री)

लिए 1/- रु. वार्षिक लीज पर आवंटित की गई है। राजकीय स्वीकृति के अनुसार 1/- रु. वार्षिक लीज के अतिरिक्त अन्य किसी शर्त का उल्लेख नहीं है।

(3) जी, हां।

(4) जी, हां। जैसलमेर नगर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग नं.-15 के किनारे सड़क को छोड़कर आवंटनशुदा भूमि पर काजरी का कब्जा है।

(5) काजरी के द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की जा रही है। अतः भूमि के उपयोग परिवर्तन का विचार नहीं है।

तहसील चाकसू का भू-आवंटन प्रकरण

28. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि तहसीलदार चाकसू द्वारा कलेक्टर, जागीर, जयपुर को पत्रांक एल.एफ./92/3992 दिनांक 20.12.93 को पत्र भेजा था? यदि हां, तो किस संबंध में? उक्त संबंध में कलेक्टर जागीर, जयपुर से प्राप्त पत्र एवं तहसीलदार चाकसू द्वारा लिखे गए पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पत्र में तहसीलदार चाकसू ने लिखा था कि उक्त प्रकरण में मूल पत्रावली नहीं मिल पा रही है? यदि हां, तो उक्त पत्रावली नहीं मिलने के क्या कारण हैं? क्या सरकार संबंधित दोषी कर्मी के विरुद्ध कार्यवाही कर उक्त पत्रावली को दस्तयाब करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

(3) उक्त प्रकरण में प्रार्थी को सरकार द्वारा अब तक कितनी भूमि का कब्जा कहां-कहां दिया जा चुका है? उक्त संबंध में जारी अधिसूचना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी श्री राव किस्तूर चन्द जैन को शेष 42 बीघा 8 बिस्वा भूमि अभी तक भी आवंटित नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक उक्त भूमि दे दी जावेगी?

उत्तर

(1) हां, श्री राव किस्तूर चन्द जैन, भू.पू. जागीरदार को ग्राम राधोपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर में खुदकाश्त आवंटन के संबंध में कलेक्टर (जागीर) व तहसीलदार चाकसू द्वारा लिखे गये पत्र की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट "अ" एवं "ब")

(2) हां, यह सही है परन्तु मामला सन् 1956 का है उक्त मामले की कार्यवाही पटवारी की मूल रिपोर्ट पर ही की गई है। इस मामले की कोई पत्रावली संधारित की गई थी या नहीं, कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार जानकारी नहीं लग पा रही है।

(3) श्री राव किस्तुर चन्द जैन, भूतपूर्व जागीरदार को जयपुर जिले में ग्राम राधोपुर, तहसील चाकसू में 97 बीघा 3 बिस्वा भूमि का कब्जा दिया जा चुका है। अधिसूचना की कोई प्रति उपलब्ध नहीं है।

(राजस्व मंत्री)

(4) जी, हां। उक्त प्रकरण में प्रार्थी श्री राव किस्तूर चन्द जैन को शेष 42 बीघा 0.8 बिस्वा भूमि अभी तक आवंटित नहीं की गई है। क्योंकि उक्त भूतपूर्व जागीरदार ने शेष भूमि आवंटन करवाने के लिए 32 वर्ष पश्चात् 1993 में आवेदन किया था जिसमें 41 बीघा भूमि और आवंटन करवाने की प्रार्थना की थी परन्तु जागीरदार द्वारा अन्य कोई भूमि आवंटन हेतु चिन्हित नहीं की गई जिससे भूमि आवंटन नहीं की जा सकी।

(पत्रों की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम नांगल सिरस (जयपुर) में मंदिर भूमि पर अवैध कब्जा

29. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि मंदिर भेंट द्वारिका (गुजरात) की ग्राम नांगल सिरस, तहसील आमेर, जयपुर स्थित भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जे को हटाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

ग्राम सिरस की नांगल, तहसील आमेर की खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2010 से 2023 के अनुसार खतौनी बन्दोबस्त के कालम संख्या–3 "नाम थोक पट्टी मय नाम पटलान में माफी मन्दिर श्री द्वारिकाधीशजी का अंकन है। इसी खतौनी के कालम संख्या-4 नाम खातेदार मय बल्दियत, को नियत व सकूनत में विभिन्न कृषकों के नाम अंकित हैं। इस ग्राम का कुल रकबा 1829 बीघा 19 बिस्वा है। इसमें 1759 बीघा 09 बिस्वा भूमि माफी मन्दिर द्वारिकाधीशजी के नाम कालम नं.–3 के अनुसार दर्ज है। भू-प्रबन्ध के पश्चात् बने राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2057 में कालम 3 भू-धारकों का नाम में राजस्थान सरकार व कालम नं.–4 काश्तकार का नाम मय पिता का नाम निवास स्थान के पते सहित एवं भू-धृति का स्वरूप में विभिन्न काश्तकारों का नाम अंकित है। इस रेकार्ड में माफी मन्दिर द्वारकाधीशजी का नाम अंकित नहीं है। उक्त भूमि में पूरा गांव बसा हुआ है व ये लोग ही पूर्वजों से ही काश्त करते आ रहे हैं।

ग्राम नावां, जिला नागौर में अवैध नामान्तरकरण

30. **श्री मोहन लाल बारूपाल** (जायल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम नावां, तहसील नावां, जिला नागौर में दिनांक 24.11.1995 को किस-किस के नाम नामान्तरकरण खोला गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नामान्तरकरण संख्या–336 के सम्बन्ध में पीड़ित पक्षकार ने शिकायत कर जांच की मांग की थी? यदि हां, तो जांच कब एवं किस स्तर के अधिकारी द्वारा की गई? शिकायत व जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोहन लाल बारूपाल)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त जांच में उक्त तहसील के कस्बा नावां के खसरा नम्बर–141, 144, 835, 836, 837, 844, 1855/145, 1932/144 कुल रकबा 4.76 हैक्टेयर के सम्बन्ध में खोला गया नामान्तरकरण फर्जी एवं अवैधानिक साबित हुआ है? यदि हां, तो उक्त दोषी अधिकारी/कर्मचारी एवं खातेदारी प्राप्त करने वालों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सरकार द्वारा विभागीय जांच भी करवाई गई है? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त दोषी अधिकारी (तत्कालीन तहसीलदार) को निलम्बित कर फर्जी नामान्तरकरण को दुरुस्त करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(6) अब उक्त नामान्तरकरण को कब तक दुरुस्त करवा दिया जावेगा?

(7) भविष्य में उक्त प्रकार की घटना/प्रकरण घटित न हो इसके लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) ग्राम नावां, तहसील नावां, जिला नागौर में दिनांक 24.11.95 को परिशिष्ट "अ" के अनुसार नामान्तरकरण खोले गये। संबंधित नामान्तरकरणों की प्रतियां संलग्न है (परिशिष्ट अ-1 से अ-7)।

(2) जी, हां। नामा. संख्या–336 ग्राम नावां के संबंध में पीड़ित पक्षकार मालचंद पुत्र जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, जाति ब्राह्मण निवासी नावां द्वारा जन अभियोग निराकरण विभाग, जयपुर को दिनांक 10.4.96 को शिकायत की गई। इस संबंध में एक अन्य शिकायत श्री भीमराज शर्मा, भाजपा सदस्य जिला कार्या. समिति, नागौर एवं अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ ग्रामीण मण्डल, भारतीय जनता पार्टी, नावां ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज., जयपुर को दिनांक 6.4.96 को प्रस्तुत कर जांच की मांग की गई। शिकायत प्राप्त होने पर उपखण्डाधिकारी परबतसर से जांच करवाई गई, जो दिनांक 27.5.96 को प्राप्त हुई। शिकायत व जांच प्रतिवेदन की प्रति क्रमशः परिशिष्ट "ब"1, 2 व "स" पर संलग्न है।

(3) ग्राम नावां के ख. नं.–141, 144, 835, 836, 837, 844, 1855/145, 1932/144 कुल रकबा 4.76 हैक्टेयर के संबंध में खोला गया नामा. संख्या–336 प्राथमिक तौर पर अवैधानिक पाये जाने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना के न्यायालय में मु. नं. 88/97 दर्ज हुआ।

(राजस्व मंत्री)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना ने नामा. संख्या–336 को पुनः निर्णय हेतु तहसीलदार, नावां को रिमाण्ड किया, परन्तु एक पक्षकार हनुमान प्रसाद पुत्र सूरजमल अग्रवाल द्वारा उक्त नामान्तरकरण रिमाण्ड आदेश के विरुद्ध न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, अजमेर के यहां अपील संख्या 76/99 प्रस्तुत की गई, जो अभी विचाराधीन है। दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय स्तर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए पटवारी को दण्डित किया जा चुका है। संबंधित तहसीलदार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव राजस्व मण्डल, अजमेर को प्रेषित किये जा चुके हैं। राजस्व मण्डल द्वारा आरोप-पत्र जारी किये जाकर 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत विभागीय जांच की जा रही है। पुलिस में प्राथमिकी दर्ज नहीं करवाई गई। हां पक्षकार द्वारा सिविल न्यायालय के मार्फत पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई।

(4) उक्त प्रकरण में जिला कलेक्टर (भू.अ.) द्वारा संबंधित पटवारी व भू. अ. नि. के विरुद्ध विभागीय जांच करवाई गई। विभागीय जांच में संबंधित पटवारी की दो वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकी गई व भू. अ. नि. को निर्दोष पाये जाने पर दोष मुक्त किया गया। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट–द-1 व द-2 पर संलग्न है। तहसीलदार के विरुद्ध विभागीय जांच राजस्व मण्डल द्वारा की जा रही है।

(5) संबंधित दोषी अधिकारी तत्का. तहसीलदार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव तैयार कर राजस्व मण्डल को भिजवाये गये हैं। मण्डल स्तर पर विभागीय जांच विचाराधीन है। नामा. संख्या–336 के दुरुस्ती के संबंध में कार्यवाही मामला न्यायालय में सब ज्यूडिस होने से विचाराधीन अपील संख्या–76/99 के निर्णय होने पर ही निर्णयानुसार संभव होगी।

(6) उक्त नामा. सं.–336 के संबंध में अपील संख्या–76/99 न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर में विचाराधीन है, जिसमें स्थगन दिया हुआ है।

(7) राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्देश दिये जाते रहते हैं।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तहसील नावां जिला नागौर के तहसीलदार के विरुद्ध जांच प्रकरण

31. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) तहसील नावां जिला नागौर में वर्ष 1995 से 1997 तक कौन-कौन तहसीलदार पदस्थापित रहे? वर्तमान में उक्त तहसीलदार कहां-कहां पदस्थापित हैं?

(2) उक्त तहसीलदार के विरुद्ध अब तक क्या-क्या आरोप लगाये गये एवं किस-किस प्रकार की जांच की गई एवं जांच के क्या परिणाम रहे?

(श्री हेमन्त कुमार)

(3) क्या सरकार जांच में दोषी पाये जाने पर भी तहसीलदार के विरुद्ध सख्त कार्यवाही न कर केवल आरोप-पत्र जारी करना ही प्रकरण की समाप्ति मान लेती है? यदि नहीं, तो फिर उक्त तहसीलदार के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील नावां, जिला नागौर में वर्ष 1995 से 1997 तक निम्न तहसीलदार पदस्थापित रहे: —

क्रम संख्या	नाम तहसीलदार	वर्तमान पदस्थापन स्थान
1.	श्री सवाई सिंह शेखावत	तहसीलदार, बाली दिनांक 22.3.99 से
2.	श्री भंवर लाल नागा	तहसीलदार, उदयपुरवाटी दिनांक 8.7.99
3.	श्री दिनेश चन्द भार्गव	तहसीलदार, बांसवाड़ा दिनांक 26.2.2001
4.	श्री जीवन सिंह	सेवानिवृत्त दिनांक 30.4.98 तहसील नावां से

(2) विवरण परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(3) जी, नहीं। राज्य कार्य में किसी तरह की अनियमितता पाये जाने पर सी.सी.ए. नियमों में संबंधित तहसीलदार का आरोप-पत्र दिए जाकर जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच रिपोर्ट प्राप्त की जाती है, तत्पश्चात् जांच रिपोर्ट में दोषी पाये जाने अथवा नहीं पाये जाने की स्थिति में संबंधित अभिलेख का पूर्ण विवेचन किया जाकर प्रकरण में अंतिम निर्णय लिया जाता है।

उक्त में से दोषी तहसीलदारान के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-"ख" पर संलग्न है।

परिशिष्ट-"ख"

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	पदस्थापन स्थान	नियम नोटिस/ चार्जशीट दिनांक	घटना वर्ष	आरोप	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	**श्री सवाई सिंह शेखावत**					
	9/98	तहसीलदार पदेन उप पंजीयक, नावां	17/14.4.2000	1994-95	श्री पूर्णमल पटवारी के विरुद्ध विचाराधीन जांच में विभागीय प्रतिनिधि की हैसियत से सही पैरवी नहीं करना	व्यक्तिगत सुनवाई की जा चुकी है। निर्णय अपेक्षित है।
2.	**श्री भंवर लाल नागा**					
1.	144/98	तहसीलदार पदेन उप पंजीयक, नवलगढ़	17/20.7.98	1998	नगरपालिका क्षेत्र में अतिक्रमियों को आवंटित आवासीय भूमि पर अतिक्रमण करने में सहयोग	व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक 28.3.2001 नियत की है।
2.	30/99	उप पंजीयक, चूरू	16/23.3.99	1999	पंजीयन कार्य में अनियमितता	जांच रिपोर्ट अपेक्षित
3.	139/99	तहसील-नांवा	16/19.4.2000	1995	रेकार्ड देखे बिना तथा पक्षकारों को सुने बगैर अनियमित नामान्तरकरण खोलना	जवाब अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7
3.	श्री दिनेश चन्द भार्गव					
1.	2/97	ना., तह. नदबई	17/21.8.97	1990	लेख्य पत्रों पर आक्षेपों की पूर्ति नहीं करना	प्रकरण में दिनांक 3.6.98 को दोषमुक्त किया गया।
2.	138/97	तह. जहाजपुर	16/25.11.97	1995	तथ्यों को छूपाकर भूमि हस्तानांतरण का नामान्तरकरण स्वीकृत करना	जांच रिपोर्ट प्राप्त पत्रावली परीक्षण हेतु प्रस्तुत।
3.	139/97	तह. नावां	16/1.12.97	1996-97	पद का दुरुपयोग कर अतिक्रमियों को लाभ पहुंचाने से सरकार को राजस्व हानि	प्रकरण समाप्त दिनांक 7.2.2000
4.	87/98	तह. नावां	17/24.9.98	1992	अतिक्रमियों को कारावास का दण्ड दिये जाने के पश्चात् भी जमानत स्वीकार कर सजा के आदेश को बदनियति से रोकना/बदलना	प्रकरण समाप्त दिनांक 19.4.2000
5.	14/99	तह. जहाजपुर	17/12.11.98	1994-96	धारा—91 के अन्तर्गत विचाराधीन प्रकरणों में अनियमितता बरतना	प्रकरण समाप्त दिनांक 19.4.2000
6.	20/2000	तह. चिड़ावा	17/20.6.2000	1997	मण्डल द्वारा वांछित अभिलेख समय पर नहीं भिजवाया	प्रकरण समाप्त दिनांक 6.11.2000

1	2	3	4	5	6	7
7.	31/2000	तह. बुहाना	17/19.6.2000	2000	दस्तावेज के पंजीयन में देरी करना शिकायतकर्ता को परेशान करना, राशि का दुरुपयोग करना	प्रकरण समाप्त दिनांक 17.2.2001
8.	79/2000	तह. झुंझुनूं	17/19.5.2000	1999	नीलामी करने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं किये जाने एवं कुर्कशुदा सरकारी सम्पत्ति का अवैध रूप से बैचान करना	प्रकरण समाप्त दिनांक 6.11.2000

कस्बा नावां, जिला नागौर में भूमि का सीमाज्ञान

32. **श्री हेमन्त कुमार** (दीगोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर की तहसील नावां के कस्बा नावां के खसरा नम्बर–830, 820/1834 के खातेदार द्वारा सीमाज्ञान कराने हेतु उपखण्डाधिकारी परबतसर के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया था और सीमाज्ञान हेतु निर्धारित शुल्क भी जमा कराई थी? यदि हां, तो कब और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? प्रार्थना-पत्र एवं शुल्क जमा रसीद की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उपखण्डाधिकारी द्वारा उक्त सम्बन्ध में कब एवं क्या आदेश जारी किये गये और जारी आदेशों की पालना कब एवं किसके द्वारा की गई?

(3) क्या सम्बन्धित कृषक को सीमा ज्ञान करवा दिया गया है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों तथा किस कारण अब तक उक्त प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जा सका है?

(4) क्या सरकार दोषी कर्मियों के विरुद्ध जांचकर पीड़ित कृषक को सीमाज्ञान कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि जिला नागौर की तहसील, नावां के ख. नं.–830, 820/1834 के सीमाज्ञान हेतु मालचन्द, रूपनारायण पि. जगन्नाथ जाति ब्राह्मण, नि. लूणवा हाल नावां द्वारा उपखण्ड अधिकारी, परबतसर के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया गया था और सीमाज्ञान हेतु निर्धारित शुल्क भी जमा कराई गई थी। उक्त प्रार्थना-पत्र दिनांक 14.9.2000 को प्रस्तुत किया गया था, जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 14.9.2000 को ही तहसीलदार नावां को तीन दिवस में सीमाज्ञान के निर्देश दिये थे। सीमाज्ञान हेतु प्रार्थी से तहसीलदार, नावां द्वारा निर्धारित शुल्क 150/- रुपये चालान नं.–247 दिनांक 25.9.2000 के द्वारा जमा कराये गये थे। उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही बिन्दु सं.–2 व 3 के उत्तर में अंकित है। (प्रार्थना पत्र एवं चालान की प्रति परिशिष्ट-"अ" तथा "ब" संलग्न है)

(2) उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रार्थना-पत्र पर ही दिनांक 14.9.2000 को तहसीलदार, नावां को तीन दिवस में सीमाज्ञान के निर्देश देते हुए मूल प्रार्थना-पत्र तहसीलदार, नावां को भेजा। तत्पश्चात् तहसीलदार, नावां ने आदेश क्र.–2236-38 दिनांक 15.9.2000 द्वारा सीमाज्ञान हेतु तीन सदस्यीय टीम का गठन किया जाकर तीन दिन में पालना चाही गई। सीमाज्ञान आदेश की पालना में गठित टीम दिनांक 25.9.2000 को मौके पर गई। परन्तु मौके पर आवासीय मकान बने होने व पुख्ता पाइन्ट कायम नहीं होने से सीमाज्ञान नहीं हो पाया।

(3) संबंधित कृषक को सीमाज्ञान करवाने हेतु गठित टीम द्वारा दिनांक

(राजस्व मंत्री)

25.9.2000 को मौके पर पहुंच कर संबंधित कृषक को सीमाज्ञान करवाने हेतु मौका देखा गया। लेकिन टीम ने मौके पर पाया कि चारों तरफ आवासीय मकान होने एवं पुख्ता पाइन्ट कायम नहीं हो पाने से सीमाज्ञान करवाने में असमर्थता बताते हुए तहसीलदार को रिपोर्ट कर अवगत कराया। इसलिये संबंधित कृषक की सीमाज्ञान नहीं हो पाया है।

(4) जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 22.3.2001 को इस संबंध में भू-प्रबन्ध आयुक्त, राज., जयपुर को सीमाज्ञान करवाने हेतु सर्वे टीम का निवेदन किया गया है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

कुशालगढ़ पैलेस, जिला अलवर की भूमि का अवैध बेचान

33. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर स्थित कुशालगढ़ पैलेस एवं उसके अधीन आने वाली भूमि खसरा नं.-212, 213, 215, 216, 218, 221, 223, 225, 219, 217, 222 अलवर के भूतपूर्व महाराजा श्री तेजसिंह के स्वामित्व की है? यदि हां, तो क्या सवाई श्री तेजसिंह भूतपूर्व महाराजा के विरुद्ध राजस्थान भूमि सुधार एवं भू-स्वामी सम्पदा अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत उक्त भूमि का कब्जा लेने की कार्यवाही की गई?

(2) क्या उक्त कार्यवाही के दौरान महाराज श्री तेजसिंह द्वारा यह तथ्य प्रस्तुत किया गया था कि भूमि का विक्रय कार्यवाही शुरू होने के पूर्व ही कर दिया था? यदि हां, तो क्रेताओं के नाम व विक्रय-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त भूमि विक्रय के बाद भी वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में श्री तेजसिंह के नाम दर्ज है?

उत्तर

(1) जी, यह सही है कि आ. ख. नं. 212, 213, 215, 216, 218, 221, 223, 225, 219, 217, 222 ग्राम कुशालगढ़ भूतपूर्व महाराज श्री तेजसिंह के स्वामित्व की भूमि है तथा कुशालगढ़ पैलेस जो खसरा नं.-214 में स्थित है, वह भी भूतपूर्व महाराज श्री तेजसिंह के स्वामित्व की भूमि है।

(2) उक्त भूमि राजस्थान भूमि सुधार एवं भू-स्वामी सम्पदा अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अवाप्त करने की कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी, अलवर के न्यायालय द्वारा की गई। जिसमें दिनांक 30.4.1971 को न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया। इस निर्णय के विरुद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर के यहां अपील की गई। इस अपील में राजस्व अपील अधिकारी ने

(राजस्व मंत्री)

दिनांक 31.5.95 को निर्णय पारित किया जिसमें अपीलांट को पुराने सीलिंग कानून के तहत सुनवाई व सबूत का अवसर देकर निर्णय देने का आदेश पारित किया। प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, अलवर की अदालत में वास्ते बहस दिनांक 27.3.2001 नियत है।

उक्त कार्यवाही के दौरान भूमि का विक्रय किये जाने संबंधी कोई दस्तावेज महाराज श्री तेजसिंह द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। न्यायालय में कार्यवाही के दौरान एवं शुरू होने से पूर्व तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रिकार्ड में उक्त वर्णित भूमि का विक्रय होना नहीं पाया जाता है।

(3) जी, यह सही है कि उक्त भूमि आदिनांक तक वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में श्री तेजसिंह के नाम दर्ज है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार भूमि का विक्रय होना नहीं पाया जाता है।

तहसील बौंली (सवाईमाधोपुर) में सहायक कलेक्टर न्यायालय की स्थापना

34. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने जिला सवाईमाधोपुर की तहसील मुख्यालय-बौंली में सहायक कलेक्टर का कैम्प कोर्ट प्रारम्भ कर रखा है? यदि हां, तो कब से? गत 6 माह में उक्त कोर्ट द्वारा कितने प्रकरणों का निस्तारण किया गया? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त 6 महीनों में कब-कब कैम्प लगाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त कैम्प कोर्ट को जनहित में गरीब काश्तकारों को बौंली में ही सुलभ न्याय दिलाने की दृष्टि से पूर्णकालीन कोर्ट में तब्दील करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। जिला सवाईमाधोपुर की तहसील मुख्यालय–बौंली पर सहायक कलेक्टर (द्वितीय), सवाईमाधोपुर द्वारा कैम्प कोर्ट दिनांक 30.1.99 से प्रारम्भ है। गत 6 माह के दौरान उक्त न्यायालय द्वारा 135 दावा/दर. का निस्तारण कैम्प कोर्ट में किया गया है। निस्तारित प्रकरणों की सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है। गत 6 माह में आयोजित कैम्पों की तिथियों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) जिला मुख्यालय सवाईमाधोपुर पर स्थापित सहायक जिला कलेक्टर, (द्वितीय), सवाईमाधोपुर को मुख्यालय परिवर्तित कर तहसील मुख्यालय–बौंली पर स्थापित करने का प्रकरण राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

परिशिष्ट-"अ"

गत 6 माह में कैसेजों का निस्तारण किया गया

क्र.सं.	किस्म मुकदमा	उनवान मुकदमा
1	2	3
1.	दर	अल्लानूर/चिरंजी
2.	दावा	चिरंजी/अल्लानूर
3.	दर	चिरंजी/अल्लानूर
4.	दावा	सत्यनारायण/बाबूलाल
5.	दावा	कल्याण/रेवडया
6.	दर	सूरजमल/रामफूल
7.	दावा	आम जनता ऐबरा/हजारी लाल
8.	दावा	सूरजमल/रामफूल
9.	दावा	भौरया/गंगाधर
10.	दावा	प्रभूदयाल/सुरज्ञान
11.	दर	प्रभूदयाल/सुरज्ञान
12.	दावा	नुरगा/सांवलराम
13.	दावा	बजरंग लाल/बाबूलाल
14.	दावा	रादेवा/अल्लारखा
15.	दर	रामदेवा/अल्लारखा
16.	दावा	कल्याण/बद्री
17.	दर	कल्याण/बद्री
18.	दावा	इशहाक/जमील
19.	दावा	रामप्रसाद/मांग्या
20.	दावा	आशाराम/अंकित प्रकाश
21.	दर	प्रसाद/प्रताप
22.	दावा	प्रसाद/प्रताप
23.	दर	प्रसाद/प्रताप
24.	दर	सोनपाल/विशन्या
25.	दावा	बाबूलाल/सौभाग सिंह

1	2	3
26.	दर	रणजीता/कल्याण
27.	दर	जानकी देवी/कैलाश
28.	दावा	रामभजन/लड्डू
29.	दर	रामभजन/लड्डू
30.	दावा	चम्पाराम/हजारी
31.	दर	चम्पाराम/हजारी
32.	दावा	प्रहलाद/राज. सरकार
33.	दर	प्रहलाद/राज. सरकार
34.	दावा	रामनिवास/कैलाश
35.	दर	जयनारायण/रामजी लाल
36.	दर	आनन्दी लाल/रामलाल
37.	दावा	रामनारायण/मोतीलाल
38.	दर	ओमप्रकाश/मुरारी
39.	दावा	मूलचंद/जगदीश
40.	दावा	इदरीश/मु. भोली
41.	दर	इदरीश/मु. भोली
42.	दावा	ईदरीश/रामचन्द्र
43.	दर	ईदरीश/रामचन्द्र
44.	दर	डाल्या/रघुनाथ
45.	दर	नवल सिंह/बजरंगा
46.	ईजराय	रामप्रसाद/भोरया
47.	दर	किशन लाल/सुरजन
48.	दर	रेखा बगै/लहरी बगै.
49.	दर	हनुमान/रामदयाल
50.	दावा	उदय नारायण/शम्भू
51.	दर	किशन लाल/जमना लाल
52.	दावा	किशन लाल/जमना लाल
53.	दावा	कैलाश/गिर्राज

1	2	3
54.	दावा	कल्याण/हरफूल
55.	हुक्म	कल्याण/भरत लाल
56.	दावा	बृजमोहन/पूनीराम
57.	दर	लल्लू/रा. राज.
58.	दर	रामसहाय/हीरालाल
59.	दावा	हरीशंकर/प्रहलाद
60.	दर	भार्गव/प्रहलाद
61.	दावा	रेखा/लहरी
62.	दर	रेखा/लहरी
63.	दावा	म. सीताराम/मूलचंद
64.	दावा	हरफूल/मोती
65.	दावा	शिवप्रसाद/नारायण सिंह
66.	दावा	प्रसाद/प्रताप
67.	दावा	मोती/रामस्वरूप
68.	दावा	रामनाथ/जगदीश
69.	दावा	गिर्राज/रूपसिंह
70.	दावा	सतीश चन्द/घनश्याम
71.	दावा	राकेश कुमार/प्रहलाद
72.	दर	झब्बू/घासी
73.	दर	राधेश्याम/रामचन्द्र
74.	दर	गिर्राज/रूपा
75.	दर	हरिशंकर/प्रहलाद
76.	हुक्म	प्रसाद/प्रतापा
77.	ईज.	प्रभूदयाल/रामसहाय
78.	दावा	झब्बू/घासी
79.	दर	मोती/रामस्वरूप
80.	दावा	गोकुल चन्द/प्रभूदयाल
81.	दावा	जगन/कल्याण

1	2	3
82.	दावा	ज्ञानचन्द/कल्याण
83.	दर	ज्ञानचन्द/कल्याण
84.	दावा	श्रीराम/श्रीया/श्रीकृष्ण
85.	दावा	बाबूलाल/रामफूल
86.	दर	बाबूलाल/रामफूल
87.	दर	शम्भूदयाल/रामस्वरूप
88.	दर	श्रवण/गोपी
89.	दावा	आनन्दी लाल/रामकरण
90.	दावा	रामेश्वर/रामवतार
91.	दर	ईश्व/मो. रफीक
92.	दर	रामपाल/किस्तूर चंद
93.	दावा	रामकरण/गंगाराम
94.	दावा	नारायण/कजोड
95.	दावा	नारायण/गंगाराम
96.	दावा	नारायण/गंगाराम
97.	दर	उदय नारायण/शम्भू
98.	हुक्म	बद्री/अमरचंद
99.	दावा	विशनलाल/सुरजन
100.	दर	छीतर/प्रहलाद
101.	हुक्म	फकरुद्दीन/अब्दुल शरीफ
102.	दर	श्योराम/हरीकिशन
103.	दावा	नारायण/भरत लाल
104.	दावा	शम्भूदयाल/उदय नारायण
105.	दर	शम्भूदयाल/उदय नारायण
106.	दावा	धन्नालाल/अम्बालाल
107.	हुक्म	रामगोपाल/रंगलाल
108.	दावा	छीतर सिंह/भरत सिंह
109.	दर	छीतर सिंह/भंवर सिंह

1	2	3
110.	दावा	जन्सी/मूल्या
111.	दर	नाथूलाल/नारायण
112.	दावा	नाथूलाल/नारायण
113.	दर	रामसहाय/नन्दा
114.	दावा	देवकरण/केशरा
115.	दर	बद्री/किशन लाल
116.	दर	छीतर/रामफूल
117.	दावा	छीतर/कान्हा
118.	दर	शिवजी महाराज/रामजी लाल
119.	दावा	ईस्माइल/गनी
120.	दर	ईस्माइल/गनी
121.	दावा	राधेश्याम/रामचन्द्र
122.	दर	जीवराम/लक्ष्मण
123.	दावा	गोविन्द/हनुमान
124.	दावा	जग्गू/घासी
125.	दावा	रामलाल/भूरीदेवी
126.	दर	रामलाल/भूरीदेवी
127.	दावा	पांच्या/रामलाल
128.	दावा	कल्याण/रामस्वरूप
129.	दर	कल्याण/रामस्वरूप
130.	दर	रामफूल/घीश्या
131.	दर	घासी/रामफूल
132.	दावा	बाबूलाल/कान्तीप्रसाद
133.	दर	छीतर/मांग्या
134.	दावा	जीतराम/लक्षमा
135.	दावा	छीतर/मांग्या

परिशिष्ट-"ब"

जो तहसील बौंली मुख्यालय कैम्प कोर्ट निम्न दिनांकों को लगाये गये: —

दिनांक

15.09.2000
21.09.2000
22.09.2000
12.10.2000
13.10.2000
19.10.2000
20.10.2000
09.11.2000
10.11.2000
16.11.2000
17.11.2000
23.11.2000
24.11.2000
30.11.2000
01.12.2000
07.12.2000
08.12.2000
14.12.2000
15.12.2000
21.12.2000
22.12.2000
05.01.2001
18.01.2001
01.02.2001
02.02.2001
15.02.2001

जागीरदार, ठिकाना अणतपुरा, (जयपुर) की अधिगृहीत भूमि

35. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) श्री रामबिहारी लाल, भूतपूर्व जागीरदार, ठिकाना–अणतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर की जागीर में और कौन-कौन से गांव थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान भूमि सुधार जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम, 1952 के अधीन इनकी भूमि अधिगृहीत की गई है? यदि हां, तो कितनी व इनको मुआवजे की कितनी राशि का भुगतान किया गया?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत सीलिंग से अधिक भूमि ही अधिगृहीत की जा सकती है? उक्त भूतपूर्व जागीरदार के पास खुदकाश्त की कितनी भूमि थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इनकी भूमि का अधिग्रहण नियत संगत है? यदि नहीं, तो अधिग्रहण क्यों किया गया?

(5) क्या इन्हें खुदकाश्त की भूमि का आवंटन किया गया है? यदि हां, तो कितनी व किस गांव में? विवरण सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो क्यों? क्या अब भी खुदकाश्त की भूमि आवंटन किये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय ले लिया जावेगा?

उत्तर

(1) श्री रामबिहारी लाल, भू.पू. जागीरदार, ठिकाना–अणतपुरा की जागीर में ग्राम अणतपुरा के अलावा अन्य कोई गांव नहीं थे।

(2) राज. भूमि सुधार एवं जागीर उन्मूलन अधिनियम, 1952 के तहत श्री रामबिहारी लाल, भू.पू. जागीरदार की 29 बीघा 13 बिस्वा भूमि अधिग्रहीत की गई थी। इनको मुआवजे की राशि रुपये 2000/- का भुगतान किया गया था।

(3) जी, नहीं जागीर एक्ट के तहत जागीरदार की सम्पूर्ण जागीर का अधिग्रहण किया गया है। श्री रामबिहारी, भू.पू. जागीरदार के पास उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार कोई खुदकाश्त भूमि नहीं थी।

(4) जी, हां।

(5) जी, नहीं। भू. पू. जागीरदार ने खुदकाश्त भूमि आवंटन के लिए कोई प्रार्थना-पत्र निश्चित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया। इस कार्यालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उदयपुर संभाग में लम्बे समय से कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण

36. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(1) उदयपुर संभाग में जिला मुख्यालयों पर जिला कलेक्टरों के अधीन ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो जिला मुख्यालय के बाहर अन्य स्थानों पर पदस्थापित नहीं रहे? सूची सदन की मेज पर रखें। क्या यह सही है कि कई कर्मचारी पन्द्रह वर्षों से भी अधिक समय से जिला कार्यालयों में कार्यरत हैं? यदि हां, तो कौन-कौन एवं कब से। सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राजस्व विभाग में पारदर्शिता व काम में सुधार लाने के लिए एक स्थान पर पदस्थापित उक्त कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय ले लिया जावेगा और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उदयपुर संभाग के जिला कलेक्टरों के अधीन ऐसे कर्मचारी जो जिला मुख्यालयों के बाहर अन्य स्थानों पर पदस्थापित नहीं रहे हैं, वह निम्नानुसार है: —

जिला	कर्मचारियों की संख्या
बांसवाड़ा	15
डूंगरपुर	59
उदयपुर	24
चित्तौड़गढ़	23
राजसमन्द	8
योग	129

सूची परिशिष्ट-"1" पर संलग्न है।

जिला कलेक्टरों के अधीन निम्नानुसार ऐसे कर्मचारी भी हैं जो 15 वर्षों से अधिक समय से जिला कार्यालय में कार्यरत है: —

जिला	कर्मचारियों की संख्या
बांसवाड़ा	29
डूंगरपुर	17
उदयपुर	65
चित्तौड़गढ़	32
राजसमन्द	—
योग	**143**

सूची परिशिष्ट-"2" पर संलग्न है।

(2) उदयपुर संभागीय आयुक्त को निर्देशित किया गया है कि वे इस सम्बन्ध में तत्परता से कार्यवाही करें।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

मंदिर प्यारेरामजी महाराज, बारां की मरम्मत

37. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) बारां शहर स्थित प्यारेरामजी महाराज के प्राचीन मंदिर की मरम्मत का कार्य कब किया गया था तथा उस पर कितनी राशि व्यय हुई?

(2) क्या उक्त मंदिर वर्तमान में काफी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है? क्या सरकार

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

इसकी मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस मंदिर की मरम्मत हेतु कितनी राशि आवंटित की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) अब उक्त मंदिर की कब तक मरम्मत करवा दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बारां स्थित प्यारेरामजी महाराज के निजी मंदिर की मामूली मरम्मत वर्ष 1996 में हुई थी, जिस पर 2000/- रुपया व्यय हुआ था।

(2) यह मंदिर काफी बड़ा बना हुआ है तथा मंदिर का मुख्य भवन जिसमें भगवान विराजमान हैं, की स्थिति ठीक है। निजी मंदिर के ऊपर की छत अवश्य खराब हो रही है जिसकी मरम्मत का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिस पर लगभग 22,000/- रुपया व्यय होगा। इसके अतिरिक्त मंदिर का काफी भाग जीर्ण-शीर्ण है। इसकी मरम्मत विभाग द्वारा करवायी जावेगी। इसके लिए अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बारां को एस्टीमेट बनाने हेतु कहा है। एस्टीमेट तैयार होते ही, उसके अनुसार ही राशि आवंटन पर विचार किया जावेगा।

(3) सार्वजनिक निर्माण विभाग, बारां से ऐस्टीमेट प्राप्त होते ही आवश्यक राशि आवंटन करने पर विचार किया जावेगा।

मंदिर श्री भैरूंजी महाराज, करौली की भूमि पर अवैध कब्जा

38. **श्रीमती कमला बृजलाल** (सपोटरा) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि शहर करौली में बागुर मोहल्ला हिण्डौन दरवाजा बाहर स्थित मंदिर श्री भैरूंजी महाराज की करोड़ों रुपये की सरकारी भूमि पर भू-माफिया द्वारा कब्जा कर रातों-रात दुकानों का निर्माण किया जा चुका है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मामले की सूचना मोहल्लावासियों ने प्रशासन एवं देवस्थान विभाग के अधिकारियों को लिखित में भी दी है? यदि हां, तो कब व उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को अब तुरन्त हटाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त प्रकरण में सरकार द्वारा अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं किये जाने के क्या कारण रहे हैं?

(5) क्या सरकार उक्त मामले की जांच कराकर इसमें लिप्त दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक?

(6) अब उक्त अतिक्रमण कब तक हटवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) शहर करौली में बागुर मोहल्ला में राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी मंदिर श्री भैंरूजी महाराज की परिक्रमा की भूमि पर दिनांक 4.3.2001 को रात्रि में 672 वर्ग फीट भूमि पर कब्जा किया जाकर तीन दुकानों का 240 वर्ग फीट भूमि पर निर्माण करा लिया। शिकायत प्राप्त होते ही निरीक्षक, देवस्थान विभाग, करौली के द्वारा अतिक्रमी को नोटिस क्रमांक 85 दिनांक 5.3.2001 व नोटिस क्रमांक 90 दिनांक 20.3.2001 दिये गये।

(2) जी, हां। मोहल्लेवासियों ने एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का निरीक्षक कार्यालय, करौली को दिनांक 2.3.2001 को प्रस्तुत किया। जिस पर अतिक्रमी को तत्काल नोटिस दिया गया व उसके विरुद्ध पुलिस थाना, करौली में प्रथम सूचना रिपोर्ट 129/2001 दिनांक 24.3.2001 दर्ज करवा दी गई है।

(3) जी, हां। मंदिर की भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए एफ.आई.आर. दर्ज करवा दी गई है व विधिक प्रक्रिया अनुसार अवैध निर्माण को हटाने की कार्यवाही की जावेगी।

(4) मंदिर की भूमि पर दिनांक 4.3.2001 को अतिक्रमण कर दुकानों का निर्माण किये जाने पर नोटिस क्रमांक 85 दिनांक 5.3.2001 व नोटिस क्रमांक 90 दिनांक 20.3.2001 अतिक्रमी को दिये गये व पुलिस में एफ.आई.आर. 129/2001 दिनांक 24.3.2001 दर्ज करवा दी गई है।

(5) मंदिर की भूमि पर अवैध निर्माण की जानकारी प्राप्त होते ही नोटिस क्रमांक 85 दिनांक 5.3.2001 व नोटिस क्रमांक 90 दिनांक 20.3.2001 अतिक्रमी को दिये गये व बाद में एफ.आई.आर. 129/2001 दिनांक 24.3.2001 भी दर्ज करवा दी गई है। इसलिए कार्यवाही में शिथिलता नहीं बरती है। फिर भी जांच में यह पाया जाता है कि कोई अधिकारी/कर्मचारी की शिथिलता या प्रकरण में लिप्त होने के कारण मंदिर की भूमि पर कब्जा हुआ है तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(6) अतिक्रमण हटाने की शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

राज्य में कार्यरत उपभोक्ता संगठन

39. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या राज्य सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत राज्य स्तर पर अलग से विभाग शासन सचिवालय में खोल रखा है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो सरकार का इस विषय में क्या मन्तव्य है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में राज्य में कितने उपभोक्ता संगठन किस-किस जिले में कहां-कहां पर कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरासिंह चौहान)

(3) भारत सरकार ने प्रत्येक ज़िला मुख्यालय पर ऐसे उपभोक्ता मंच स्थापित करने की कितनी राशि स्वीकृत की है तथा कितनी-कितनी राशि का जिलेवार आवंटन किया जावेगा?

(4) क्या राज्य सरकार प्रचार-प्रसार के लिए अलग से उपभोक्ता कल्याण कोष बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) केन्द्र सरकार के उपभोक्ता कल्याण कोष से वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में कितनी-कितनी राशि राज्य सरकार को प्राप्त हुई तथा उसको किस-किस मंच को वितरित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) राज्य आयोग में कितने परिवाद अब तक लम्बित हैं और कितने परिवादों को इस वर्ष निर्णित किया गया? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(7) जिला उपभोक्ता मंचों में कहां-कहां पर पद रिक्त हैं और उन्हें कब तक भर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। वर्ष 1987 से उपभोक्ता संरक्षण संबंधी प्रशासनिक कार्य राज्य के खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग, जयपुर द्वारा ही सम्पादित किया जा रहा है।

(2) विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य में रजिस्टर्ड स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की संख्या–79 है, जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) भारत सरकार से राज्य के जिलों में गठित जिला मंचों के कार्यालय भवन निर्माण एवं अन्य सुविधाओं बाबत वर्ष 1995 में राशि रुपये 350 लाख आवंटित की गई थी। जिलों को आवंटित राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) जी, हां। राज्य में उपभोक्ता कल्याण कोष स्थापित करने के प्रस्ताव पर कार्यवाही विभाग में विचाराधीन है। इस कोष के लिए वित्तीय स्रोत की संभावनाएं तलाशी जा रही है तथा स्रोत सृजन होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(5) केन्द्र सरकार के उपभोक्ता कल्याण कोष से वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में विभाग को कोई राशि आवंटित नहीं की गई है। अतः वितरित किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता है।

(6) राज्य आयोग में दिनांक 1.3.2001 तक 244 परिवाद एवं 11978 अपील सहित कुल 12222 प्रकरण लंबित है। वर्ष 2000 में राज्य आयोग में 1701 अपील एवं 90 परिवाद सहित कुल 1791 प्रकरण निर्णित किये गये हैं।

(7) राज्य में गठित विभिन्न जिला मंच, उपभोक्ता संरक्षण में पूर्णकालिक अध्यक्षों के अब तक 11 पद रिक्त हैं तथा 7 जिला

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

मंचों में पुरुष सदस्यों एवं 9 जिला मंचों में महिला सदस्यों के पद रिक्त हैं, 4 जिला मंचों के पुरुष सदस्य पद हेतु एवं 4 जिला मंचों के महिला सदस्य पदों के लिए आवेदन प्राप्त किये जा चुके हैं। जिन पर कार्यवाही जारी है तथा 3 पद पुरुष सदस्य एवं 5 पद महिला सदस्य के रिक्त पदों की विज्ञप्ति जारी की जानी है। अध्यक्ष जिला मंच के सभी पूर्णकालिक अध्यक्षों के रिक्त पद पर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किये जाने पर अध्यक्ष पद का कार्य निर्वहन कर रहे हैं। रिक्त पदों के संबंध में विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

राज्य में संचालित अन्त्योदय अन्न योजना

40. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अन्त्योदय अन्न योजना शुरू की गई है? यदि हां, तो कब से तथा इस योजना का संचालन किस प्रकार से किसके द्वारा किया जावेगा?

(2) क्या उक्त योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार व राज्य सरकार ने कोई आदेश/दिशा-निर्देश जारी किये हैं? यदि हां, तो कब-कब? उक्त आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना का लाभ मिलने वाले परिवारों का चयन किस प्रकार से किसके द्वारा किया गया तथा उनकी संख्या कितनी है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) राज्य में प्रत्येक माह कितनी-कितनी मात्रा में गेहूं व चावल इस योजना में कितने परिवारों को वितरित किया जावेगा?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य में अन्त्योदय अन्न योजना दिनांक 6.3.2001 से शुरू की गई है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में से अत्यधिक गरीब परिवारों का चयन करके उन परिवारों को प्रतिमाह 25 किलो प्रति परिवार की दर से खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराया जावेगा। खाद्यान्न के रूप में दिये जाने वाले गेहूं की दर 2 रु. प्रतिकिलो एवं चावल की दर 3 रुपये प्रतिकिलो होगी।

(2) जी, हां। इस योजना के संबंध में भारत सरकार व राज्य सरकार ने आदेश/दिशा-निर्देश जारी किये हैं। भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की प्रतियां संलग्न कर दी गई है।

(3) उक्त योजना का लाभ दिये जाने के लिए जो परिवार गरीबी की रेखा से नीचे के हैं, उन्हीं में से अत्यधिक गरीब

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

परिवारों का चयन किया गया है। परिवारों के चयन हेतु जिला कलक्टर्स को ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्रामीण विकास विभाग एवं शहरी क्षेत्र के लिए नगरीय विकास विभाग द्वारा जिला कलक्टर्स को निर्देश दिये गये हैं, जिनके द्वारा परिवारों का चयन किया गया है। कुल 372600 परिवारों का चयन किया गया है। जिलेवार संख्या का विवरण संलग्न है।

(4) मार्च माह के लिए राज्य को 9288 मै. टन गेहूं व 107 मै. टन चावल कुल 9315 मै. टन खाद्यान्न का आवंटन भारत सरकार द्वारा किया गया है, जिसको चयनित किये गये सभी परिवारों में वितरित किया जावेगा।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तहसील बामनवास (सवाईमाधोपुर) की राशि सामग्री की कालाबाजारी

41. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) तहसील बामनवास (सवाईमाधोपुर) द्वारा केरोसीन वितरण किए जाने हेतु दिसम्बर, 2000 से फरवरी, 2001 तक कितना कोटा जारी किया? रोस्टर की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) दिनांक 5 दिसम्बर, 2000 को तहसीलदार कार्यालय द्वारा उक्त रोस्टर में बरनाला, जीवद, गोठ, ग्राम पंचायत-मोला एवं ग्राम पंचायत, फुलवाड़ा को कितना-कितना केरोसीन आवंटित किया गया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त केरोसीन दिनांक 5 दिसम्बर, 2000 से 30 दिसम्बर, 2000 तक कागजों में तो वितरण करना दिखाया गया, किन्तु उपभोक्ता तक नहीं पहुंचा? यदि हां, तो क्या रसद विभाग या जिला प्रशासन द्वारा इस कालाबाजारी की जांच करवाई गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत- भांवरा के एक व्यक्ति श्री जगन द्वारा अवैध कार्यवाही कर चीनी की एक बोरी एवं रसद का सामान चोरी कर लिया गया था? यदि हां, तो इस संबंधी प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई?

(5) क्या यह भी सही है कि मुल्जिम को बचाने की दृष्टि से पंचायत समिति-बामनवास ने उक्त रसद की सामग्री जप्त कर कार्यालय बामनवास में जमा कर दी? यदि हां, तो किस अधिकार के तहत? पंचायत समिति-बामनवास द्वारा जप्ती/जमा किए जाने की समूची कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील बामनवास (सवाईमाधोपुर) द्वारा कैरोसीन वितरण किये जाने हेतु दिसम्बर, 2000 से फरवरी, 2001 तक 384 के. एल. केरोसीन का कोटा जारी किया गया। रोस्टर की प्रति संलग्न है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(2) तहसील कार्यालय, बामनवास द्वारा माह दिसम्बर, 2000 में निम्नांकित ग्राम पंचायतों के उचित मूल्य दुकानदारों को निम्नानुसार मात्रा में कैरोसीन आवंटित किया गया था: —

	नाम डीलर	मात्रा (लीटर में)
1.	रामस्वरूप गुप्ता, बरनाला	3400
2.	बाबूश्याम शर्मा, जीवद	2400
3.	प्रभु रैगर, गोठ	1200
4.	कैलाश चन्द गुप्ता, मोला	2400
5.	शंकर मीणा, फुलवाडा	1100

(3) जी, नहीं। माह दिसम्बर, 2000 में उक्त ग्राम पंचायतों में ऐसा नहीं हुआ कि कागजों में तो वितरण दिखा दिया गया और उपभोक्ताओं तक केरोसीन नहीं पहुंचा। माह दिसम्बर, 2000 में उक्त ग्राम पंचायतों में से केवल फुलवाडा के 1/2 भाग के उचित मूल्य दुकानदार श्री शंकर लाल मीणा को 1100 लीटर कैरोसीन प्राप्त हुआ है, जिसका वितरण समय पर उपभोक्ताओं को हुआ है। शेष ग्राम पंचायतों—बरनाला, जीवद, गोठ और मोला के उचित मूल्य की दुकानदारों को थोक विक्रेता से केरोसीन प्राप्त ही नहीं हुआ। इस कारण कालाबाजारी से बेचने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। तेल कम्पनी के द्वारा एक टैंकर (12 के. एल) कैरोसीन थोक विक्रेता को कम आवंटित करने के कारण, थोक विक्रेता द्वारा एक टैंकर कैरोसीन बामनवास तहसील में नहीं भिजवाया जा सका। इसलिए उक्त ग्राम पंचायतों के उचित मूल्य की दुकानदारों को कैरोसीन प्राप्त नहीं हुआ और वे कैरोसीन वितरण नहीं कर सकें।

(4) यह सही है कि थाना बामनवास में श्री छुट्टन लाल पुत्र श्री किशोरी मीणा निवासी अमावरा ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 7/10 दिनांक 10.1.2001 को दर्ज करवाई थी। जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार श्री छुट्टन लाल मीणा निवासी अमावरा अपने धर्म के कार्य के लिए एक बोरी चीनी और अन्य सामान लेकर जा रहा था तब भांवरा बस स्टेण्ड पर श्री जगन लाल आदि लोगों ने उसका सामान बस में से जबरदस्ती उतार लिया और उसकी मारपीट करने पर तैयार हो गये। इस प्रकार श्री छुट्टन लाल मीणा के आवेदन पर पुलिस ने प्रकरण की तफतीश की जिस पर अंतिम परिणाम दिनांक 28.2.2001 को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बामनवास में पेश किया गया है, जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) विकास अधिकारी, पंचायत समिति–बामनवास के जवाब अनुसार यह बात सही नहीं है। उनके अनुसार उक्त प्रकरण की शिकायत ग्रामवासियों द्वारा प्रधान एवं विकास अधिकारी को कार्यालय में की गई। शिकायत के आधार पर प्रधान के साथ मौके पर जांच की एवं ग्रामवासियों

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

द्वारा पकडी गयी/ब्लेक की चीनी की बोरी प्रधान के निर्देशानुसार श्री जगन मीणा के मकान पर रखवा दी गई। उक्त प्रकरण की जांच हेतु जिला कलक्टर द्वारा शासकीय निकाय की बैठक एवं 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में मौखिक निर्देश दिये गये। उक्त प्रकरण की जांच रिपोर्ट मीटिंग में जिला कलक्टर को अवगत करा दी गई थी। उक्त सुपुर्द बोरी को प्रधान के निर्देशानुसार पंचायत समिति में स्टोर कीपर ने सुरक्षित रख दी है। विकास अधिकारी के जवाब की प्रति संलग्न है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्रीगंगानगर रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार

42. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) रोजगार कार्यालय श्रीगंगानगर द्वारा गत पांच वर्षों में कितने व्यक्तियों को सरकारी कार्यालयों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में रोजगार उपलब्ध करवाया गया? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में गत एक वर्ष में कितने बेरोजगारों के नाम दर्ज हुए? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला रोजगार कार्यालय द्वारा बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए क्या कोई नीति/नियम बनाए हुए हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर रोजगार कार्यालय द्वारा गत पांच वर्षों में (1996 से 2000) में 965 व्यक्तियों को सरकारी कार्यालयों एवं स्वायत्तशासी संस्थानों में रोजगार उपलब्ध कराया गया वर्षवार विवरण निम्नानुसार है: —

वर्ष	रोजगार प्राप्त आशार्थी	
	सरकारी कार्यालयों में	स्वायत्तशायी संस्थानों में
1996	300	1
1997	356	—
1998	209	—
1999	36	—
2000	63	—

(2) उक्त जिले में गत एक वर्ष में 3455 बेरोजगारों के नाम दर्ज हुए। (विवरण संलग्न है।)

(3) रोजगार कार्यालयों की रिक्त ज्ञापन रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 एवं नियम 1960 में वर्णित निर्देशों के अनुसार किया जाता है। रोजगार कार्यालयों की रीति-नीति एवं प्रक्रिया केन्द्रीय रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय तथा राज्य सरकार द्वारा जारी प्रशासनिक आदेशों के अनुसार संचालित की जाती है। यहां उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल

(श्रम मंत्री)

याचिका संख्या- 11646-11724/95 के मामले में दिनांक 22.8.96 को निर्णय दिया है कि नियोजकों द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती करने से पूर्व रोजगार कार्यालयों से नाम मंगाने के साथ-साथ ही उन रिक्त स्थानों का समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर रेडियो तथा दूरदर्शन के रोजगार समाचार बुलेटिनों से प्रसार प्रचार कराकर भी आवेदन-पत्र मांगे जावे। अतः ऐसे आशार्थी जिनका नाम रोजगार कार्यालयों में वरिष्ठता के कारण नियोजकों को नहीं भेजा जा सका हो या जो पंजीकृत नहीं हो वे भी सीधे नियोजकों को अपने प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु पात्रता बनाये रख सकते हैं।

जिला रोजगार कार्यालय, श्रीगंगानगर द्वारा पंजीकृत बेरोजगार आशार्थियों का विवरण

विवरण	सैकण्डरी	सी. सैकण्डरी	स्नातक	अधि स्नातक	मैट्रिक से कम	योग
अनु. जाति	127	155	79	07	328	696
जनजाति	10	09	17	—	27	63
महिला	58	103	109	20	268	558
अन्य	566	453	932	15	172	2138
योग	761	720	1137	42	795	3455

राज्य बीमा चिकित्सालयों में उपलब्ध सुविधाएं

43. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) राज्य में कुल कितने कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय व स्थानीय कार्यालय हैं?

(2) क्या उक्त चिकित्सालयों में स्वीकृति अनुसार चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ नियुक्त है? यदि नहीं, तो अब कब तक नियुक्ति कर दी जावेगी?

(3) क्या स्थानीय समितियों की बैठकें निश्चित अवधि में होती हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या उक्त चिकित्सालयों में आवश्यक दवाइयां उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी?

उत्तर

(1) राज्य में 5 केन्द्रों पर कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय व कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विभिन्न स्थानों पर 26 स्थानीय कार्यालय कार्यशील है।

(2) जी, नहीं। चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ का अलग से संवर्ग नहीं होने के कारण चिकित्सा विभाग पर निर्भर रहना पड़ता है। चिकित्सा विभाग द्वारा स्टाफ उपलब्ध कराये जाने पर ही रिक्त पदों को भरा जाना संभव हो सकेगा।

(श्रम मंत्री)

(3) जी, नहीं। स्थानीय कार्यालय प्रबन्धकों को नियमानुसार समय पर बैठकें आयोजन करने के निर्देश दिये जाते हैं। मुख्यतः समय पर बैठकें आयोजित न होने के कारण स्थानीय समितियों के अध्यक्षों की व्यस्तता के कारण बैठकें हेतु समय न मिल पाना भी है।

(4) जी, हां। क. रा. बी. निगम की औषधी-सूची के अनुसार दवाइयां करीबी चिकित्सालयों में उपलब्ध कराई हुई है और जो दवाइयां उपलब्ध नहीं होती है, उन्हें नियमानुसार क्रय किये जाने हेतु बीमितों को अनुमति दे दी जाती है। जिसका भुगतान बीमितों को क. रा. बी. औषधालयों द्वारा किया जाता है।

बाल श्रमिकों का पुनर्वास

44. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) बाल श्रम समस्या के उन्मूलन के लिये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से राज्य सरकार ने वर्ष 1998-2000 तक कितनी राशि प्राप्त की है ?

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा बाल श्रमिकों के शैक्षणिक पुनर्वास के लिये कोई योजना प्रारम्भ की गई है ? यदि हां, तो क्या व कब ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य में जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण किया गया ? यदि हां, तो कब-कब ?

(4) क्या जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे बाल श्रमिकों का गत दो वर्षों में पुनर्वास कराया गया है ? यदि हां, तो कितनों को ?

उत्तर

(1) बाल श्रम समस्या के उन्मूलन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना, जयपुर (एन.सी.एल.पी.) को निम्नानुसार राशि प्राप्त हुई है: —

वर्ष 1998	शून्य
वर्ष 1999	शून्य
वर्ष 2000	रु. 15,15,850/-
वर्ष 2001	रु. 42,20,700/-

(2) शैक्षणिक पुनर्वास केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत बाल श्रमिक परियोजना का ही एक भाग है जिसके अन्तर्गत जोखिमपूर्ण कार्यों में लगे बाल श्रमिकों को 3 वर्ष में कक्षा-5 स्तर तक की शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, दोपहर का निःशुल्क भोजन एवं 100/- रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(3) हां। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में वर्ष 1997 में बाल श्रमिकों का सर्वे जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में कराया गया था।

(4) परियोजनाओं के माध्यम से जयपुर, अजमेर, जोधपुर, टोंक एवं उदयपुर में जोखिमपूर्ण कार्यों में लगे बाल श्रमिकों को

(श्रम मंत्री)

परियोजना के विशेष विद्यालयों में प्रवेश हेतु सर्वे परियोजना संस्थाओं द्वारा किए गए हैं।

(4) श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के शत-प्रतिशत आर्थिक सहयोग से राज्य के अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर व टोंक जिलों में कुल मिलाकर 140 विशेष बाल श्रमिक विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं जिनके माध्यम से 7000 बाल श्रमिकों को उनके काम से छुड़ाकर उन्हें शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, पूरक पोषाहार व मासिक छात्रवृत्ति प्रदान कर पुनर्वासित करने का प्रयास किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त आई.एल.ओ. के आर्थिक सहयोग से जयपुर में 80 विद्यालयों के माध्यम से 2000 बाल श्रमिकों का पुनर्वास का कार्यक्रम और क्रियान्वयन किया जा रहा है।

जिला नागौर के प्रस्तावित नवीन बांध

45. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) जिला नागौर में वर्तमान में कुल कितने सिंचाई के बांध, एनीकट बने हुए हैं और इनकी भराव क्षमता कितनी है तथा अभी पानी कितना है? सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों के दौरान उक्त जिले में किसी भी नये बांध का निर्माण नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो कहां-कहां पर किया गया?

(3) क्या यह भी सही है कि गत पांच वर्षों में उक्त जिले में कुओं का जलस्तर निरंतर कम होता जा रहा है? यदि हां, तो इसमें वृद्धि के उपाय हेतु क्या राज्य सरकार नये बांध निर्माण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां पर और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला नागौर में वर्तमान में कुल सिंचाई के 93 बांध, एनीकट हैं। इनकी भराव क्षमता 1980 मिलियन घनफुट है। अभी इन बांधों में पानी नहीं है। तहसीलवार सूची प्रपत्र-"अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। माताजी का खेडा बांध एवं पाडली बांध के तखमीनों की निर्धारित मापदण्डों के अनुसार तकनीकी जांच की जा रही है।

(3) जी, हां। तहसील डेगाना में माताजी का खेडा एवं तहसील नांवा में पाडली नामक नये बांध (लघु सिंचाई) का कार्य निर्धारित मापदण्डों पर उपयुक्त पाये जाने पर निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। भूमिगत जल स्तर में वृद्धि हेतु जिले में रु. 5452.05 लाख के वाटर हार्वेस्टिंग कार्य भी विभाग द्वारा प्रस्तावित है जिसका विवरण प्रपत्र-"ब" सदन की पटल पर रख दिया गया है।

प्रपत्र-"अ"

नागौर जिले में निर्मित बांधों की सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम	तहसील	भराव क्षमता मि.घ. फुट में	उपलब्ध पानी की मात्रा मि.घ. फुट में	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	सूरजनियावास	नागौर	8.66	शून्य	
2.	कानोलावा का बाला	नागौर	8.99	शून्य	
3.	सोलियाना बांध	नागौर	22.00	शून्य	
4.	मोरीमोरचंद बांध	नागौर	4.48	शून्य	
5.	रूण बांध	नागौर	12.50	शून्य	
6.	चिताणी बांध	नागौर	11.23	शून्य	
7.	हिलोरी बांध	नागौर	2.04	शून्य	
			69.90	**शून्य**	
1.	खंवर बांध	जायल	10.52	शून्य	
2.	डिडिया कलां	जायल	27.18	शून्य	
3.	बडी खादू बांध	जायल	5.00	शून्य	
4.	फिरोजपुरा बांध	जायल	2.80	शून्य	
5.	बरनेल बांध	जायल	2.50	शून्य	
6.	छाजोली बांध	जायल	2.90	शून्य	
			50.90	**शून्य**	
1.	डाबरयानी बांध	मेडता	9.53	शून्य	
2.	हरसोलाव बांध-I	मेडता	17.80	शून्य	
3.	हरसोलाव बांध-II	मेडता	3.45	शून्य	
4.	खेडूली बांध	मेडता	12.90	शून्य	
5.	कलरू बांध	मेडता	52.09	शून्य	
6.	मालियों का धोरा	मेडता	11.15	शून्य	
7.	ढाढासनी बांध	मेडता	3.23	शून्य	
8.	मोकाला बांध-I	मेडता	17.27	शून्य	
9.	बासनी बांध	मेडता	4.62	शून्य	
10.	धनापा बांध-I	मेडता	12.97	शून्य	
11.	धनापा बांध-II	मेडता	2.40	शून्य	
12.	शेखासनी बांध	मेडता	4.09	शून्य	

1	2	3	4	5	6
13.	ततलास बांध	मेडता	6.35	शून्य	
14.	बायड बांध-I	मेडता	13.20	शून्य	
15.	बायड बांध-II	मेडता	12.56	शून्य	
16.	बीठन बांध	मेडता	10.10	शून्य	
17.	कुण्डल बांध	मेडता	20.06	शून्य	
18.	बीजायल बांध	मेडता	9.66	शून्य	
19.	पुण्डलू बांध	मेडता	64.35	शून्य	
20.	गगराना बांध	मेडता	78.50	शून्य	
21.	माता डूंगरी बांध	मेडता	9.37	शून्य	
22.	लापोलाई बांध	मेडता	5.90	शून्य	
23.	मोकाला बांध-II	मेडता	33.83	शून्य	
			415.38	**शून्य**	
1.	राजलोटा बांध	डेगाना	17.86	शून्य	
2.	माताजी का बाला	डेगाना	13.39	शून्य	
3.	पंचरण्डा बांध-I	डेगाना	6.76	शून्य	
4.	पंचरण्डा बांध-II	डेगाना	7.56	शून्य	
5.	कालेतरा बांध	डेगाना	9.44	शून्य	
6.	थाटा रपट	डेगाना	4.96	शून्य	
7.	लेगो की ढाणी	डेगाना	2.00	शून्य	
8.	भेरून्दा बांध	डेगाना	91.44	शून्य	
9.	डोडियाना बांध	डेगाना	17.06	शून्य	
10.	सथाना बांध	डेगाना	23.52	शून्य	
11.	नरीसंग बासंनी बांध	डेगाना	15.08	शून्य	
12.	लाडपुरा बांध	डेगाना	6.60	शून्य	
13.	राताडुंडा बांध	डेगाना	10.20	शून्य	
14.	पिपलिया बांध-I	डेगाना	11.65	शून्य	
15.	पिपलिया बांध-II	डेगाना	5.30	शून्य	
16.	हरसोह बांध	डेगाना	89.00	शून्य	
17.	प्रताप सागर बांध	डेगाना	9.16	शून्य	
18.	बामनमेवा बांध	डेगाना	2.71	शून्य	
			344.00	**शून्य**	

1	2	3	4	5	6
1.	मण्डोरी बांध	परबतसर	30.85	शून्य	
2.	मंगलाना बांध	परबतसर	28.23	शून्य	
3.	गंगवा बांध	परबतसर	13.21	शून्य	
4.	धोकलिया बांध	परबतसर	17.06	शून्य	
5.	नारी का नाका बांध	परबतसर	13.24	शून्य	
6.	रुणजा बांध	परबतसर	10.30	शून्य	
7.	छिपोलाई	परबतसर	4.50	शून्य	
8.	चिडीयाद	परबतसर	8.00	शून्य	
9.	बिल्लू बांध-I	परबतसर	15.15	शून्य	
10.	करमाकुडी	परबतसर	8.40	शून्य	
11.	पीरजी का नाका	परबतसर	45.05	शून्य	
12.	भादवा	परबतसर	43.40	शून्य	
13.	मोकघाटा	परबतसर	9.47	शून्य	
14.	पालडी करवा	परबतसर	6.56	शून्य	
15.	गुलर	परबतसर	6.42	शून्य	
16.	झालरा	परबतसर	45.94	शून्य	
17.	भकरी	परबतसर	301.00	शून्य	
18.	कालेतरा	परबतसर	6.80	शून्य	
19.	बाजवास	परबतसर	1.15	शून्य	
20.	भडसिया	परबतसर	45.94	शून्य	
21.	बासेड	परबतसर	12.07	शून्य	
22.	जून की घाटी	परबतसर	63.83	शून्य	
23.	कुण्डरी	परबतसर	22.05	शून्य	
24.	बवाल प्रथम	परबतसर	6.40	शून्य	
25.	डांसरिया का नाका	परबतसर	27.85	शून्य	
26.	छीपोलाई गांगवा	परबतसर	6.02	शून्य	
27.	खारीबाली	परबतसर	30.66	शून्य	
28.	खीखरिया	परबतसर	12.25	शून्य	
29.	बिल्लू-II	परबतसर	8.54	शून्य	
30.	बवाल-II	परबतसर	13.02	शून्य	
			864.00	शून्य	

1	2	3	4	5	6
1.	बावडी बांध	नावा	49.66	शून्य	
2.	दलेलपुरा बांध	नावा	9.99	शून्य	
3.	भूणी बांध	नावा	25.57	शून्य	
4.	पलाडा बांध	नावा	25.68	शून्य	
5.	जीनवार बांध	नावा	5.13	शून्य	
6.	पाचोटा बांध	नावा	16.80	शून्य	
7.	बरजन बांध	नावा	2.28	शून्य	
			135.11	**शून्य**	
1.	रघुनाथपुरा बांध	डीडवाना	2.59	शून्य	
2.	बालिया बांध	डीडवाना	8.12	शून्य	
			10.71	**शून्य**	

प्रपत्र-"ब"

वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कार्य योजना-2000
जिला—नागौर
विवरण

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	कार्य	
		संख्या	लागत रु. (लाख)
1.	नागौर	113	536.00
2.	मुण्डवा	34	203.90
3.	मेडतासिटी	86	267.80
4.	रियां बडी	75	600.40
5.	डेगाना	125	622.35
6.	जायल	78	216.95
7.	परबतसर	142	605.00
8.	मकराना	33	633.50
9.	कुचामनसिटी	85	791.30
10.	डीडवाना	98	358.55
11.	लाडनूं	369	616.30
	योग	1238	5452.05

गजनाई बांध (पाली) की भूमि का मुआवजा

46. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पाली जिले के गजनाई बांध में वहां के मूल निवासी खातेदार श्री भंवर सिंह पुत्र श्री देवीसिंह, श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री देवीसिंह, श्री भीकसिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह, श्री हरीसिंह पुत्र श्री भूरसिंह निवासी गजनाई, तहसील सोजत को उनकी खातेदारी की भूमि गजनाई बांध के डूब में आने से मुआवजा राशि 1,23,000/- एक वर्ष पूर्व से भुगतान हेतु स्वीकृत कर रखी है? यदि हां, तो अब तक उक्त मुआवजे की राशि का भुगतान क्यों नहीं किया गया?

(2) उक्त लम्बित भुगतान के लिए कौन अधिकारी दोषी है?

(3) अब सरकार उक्त भुगतान कब तक करवा देगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। वित्तीय संसाधन के अभाव में मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया।

(2) कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

(3) उक्त भुगतान इसी वर्ष ही किया जाना प्रस्तावित है।

कठाव व इकवाड़ा माइनर की मरम्मत

47. श्री नानालाल नीनामा (घाटोल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र घाटोल के कठाव व इकवाड़ा माइनर के कार्य अंतिम छोर तक पूर्ण हो चुके हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त अपूर्ण कार्यों के लिए ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कठावा माइनर का कार्य अन्तिम छोर तक एवं दुकवाड़ा माइनर का काम 7 कि.मी. तक पूर्ण हो चुका है। वित्तीय संसाधन के अभाव में उक्त कार्य अपूर्ण रहे हैं।

(2) ठेकेदारों ने आवंटित कार्य का 20 प्रतिशत अधिक पहले ही सम्पन्न कर लिया है, अतः अनुबंध अनुसार निस्तारण स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

विचाराधीन सिंचाई परियोजनाएं

48. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में सरकार ने कितनी सिंचाई परियोजनायें

(श्री मानिक चन्द सुराना)

कहां-कहां कब-कब कितनी-कितनी राशि की स्वीकृत की है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत परियोजनाओं के लिए कितनी राशि कब-कब उपलब्ध कराई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वित्तीय अभाव के कारण कई स्वीकृत परियोजनाओं में कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है? यदि हां, तो कौन-कौनसी परियोजना का कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका?

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण परिशिष्ट-"अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) स्वीकृत परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई राशि का विवरण परिशिष्ट-"अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी, हां। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत रावतसर ड्रेनेज एवं गंग नहर आधुनिकीकरण योजना के अतिरिक्त किसी भी परियोजना का कार्य अब तक प्रारम्भ नहीं हो सका है।

परिशिष्ट-"अ"

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	जिला	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत एस्टीमेट	बजट 1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5	6	7
1.00 भारत सरकार द्वारा स्वीकृत						
1.	रावतसर ड्रेनेज परियोजना	हनुमानगढ़	1999-2000	460.60	0.00	95.13
2.	गंग नहर आधुनिकीकरण	हनुमानगढ़	2000-2001	44579.00	0.00	900.00
	योग: —			45,039.60	0.00	995.13
2.00 राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत						
1.	सिद्धमुख और रतनपुरा (वृहद)	हनुमानगढ़	1999-2000	2753.00	0.00	0.00
2.	धीर नाल	भीलवाड़ा	1999-2000	105.00	0.00	0.00
3.	रतनगढ़	भीलवाड़ा	1999-2000			
4.	रतनसागर	भीलवाड़ा	1999-2000	100.45	0.00	0.00
5.	भुरजा	चित्तौड़गढ़	1999-2000	79.91	0.00	0.00
6.	हामजाखरी	चित्तौड़गढ़	1999-2000	404.94	0.00	0.00
7.	टोरिया	कांकरोली	1999-2000	25.00	0.00	0.00
8.	बामनिया पिकअप वियर	कांकरोली	1999-2000	81.81	0.00	0.00
9.	खतवारा पिकअप वियर	कांकरोली	1999-2000	76.30	0.00	0.00
10.	बांका	कांकरोली	1999-2000	28.64	0.00	0.00
11.	सांगावार	कांकरोली	1999-2000	72.83	0.00	0.00
12.	संघघाट	कांकरोली	1999-2000	71.36	0.00	0.00
13.	देड़वारा का नाका	कांकरोली	1999-2000	52.79	0.00	0.00
14.	मेवारिया	उदयपुर	1999-2000	103.17	0.00	0.00
15.	सेई वियर	उदयपुर	1999-2000	20.05	0.00	0.00
16.	हर का नाका	उदयपुर	1999-2000	144.97	0.00	0.00
17.	हरकावा	उदयपुर	1999-2000	95.86	0.00	0.00
18.	मेममार	उदयपुर	1999-2000	294.75	0.00	0.00
19.	रोहिनी	उदयपुर	1999-2000	243.34	0.00	0.00
20.	खारी	उदयपुर	1999-2000	107.16	0.00	0.00
21.	रोनथो का नाका	उदयपुर	1999-2000	276.41	0.00	0.00
22.	टिन्डोल का नाका	उदयपुर	1999-2000	135.50	0.00	0.00
23.	मोहम्मद फलासिया	उदयपुर	1999-2000	133.97	0.00	0.00
24.	बरापल	उदयपुर	1999-2000	101.80	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
25.	खाटनवाडा	उदयपुर	1999-2000	58.94	0.00	0.00
26.	भाभरन्डा कैनाल	सलुम्बर	1999-2000	1983.00	0.00	0.00
27.	अम्बामाता	सलुम्बर	1999-2000	614.36	0.00	0.00
28.	होन्डा खैरी पिकअप वियर	धारियावाद	1999-2000	1663.00	0.00	0.00
29.	अमरपुरा	डूंगरपुर	1999-2000	1397.33	0.00	0.00
30.	ढालवारिया का ओडा	डूंगरपुर	1999-2000	65.68	0.00	0.00
31.	फेफार	बांसवाडा	1999-2000	45.77	0.00	0.00
32.	कालीघाटी	बांसवाड़ा	1999-2000	77.63	0.00	0.00
33.	भकतोड़ा	बांसवाड़ा	1999-2000	106.61	0.00	0.00
34.	गोपालपुरा	बांसवाडा	1999-2000	95.63	0.00	0.00
35.	गुरजानिया	बूंदी	1999-2000	47.66	0.00	0.00
36.	बोर का खाल	बूंदी	1999-2000	12.17	0.00	0.00
37.	ढालिया	कोटा	1999-2000	61.92	0.00	0.00
38.	बालापूरा लिफ्ट	कोटा	1999-2000	414.00	0.00	0.00
39.	किसानपुरा लिफ्ट	कोटा	1999-2000	344.00	0.00	0.00
40.	सिंहपुरा	झालावाड़	1999-2000	103.24	0.00	0.00
41.	मोरी	झालावाड़	1999-2000	145.82	0.00	0.00
42.	सालारिया	झालावाड़	1999-2000	52.83	0.00	0.00
43.	सारखरी	झालावाड़	1999-2000	58.32	0.00	0.00
44.	धुल खोट	जयपुर	1999-2000	102.09	0.00	0.00
45.	सिकार क्वेटा	जयपुर	1999-2000	88.54	0.00	0.00
46.	वायद	पाली	1999-2000	51.17	0.00	0.00
47.	चाणद	पाली	1999-2000	67.25	0.00	0.00
48.	कांतासवार	पाली	1999-2000	94.20	0.00	0.00
49.	साली की ढाणी	पाली	1999-2000	48.50	0.00	0.00
50.	कानवारिया	जालौर	1999-2000	101.83	0.00	0.00
51.	भादरजुन उनो फीडर	जालौर	1999-2000	69.39	0.00	0.00
52.	भण्डार	जालौर	1999-2000	162.80	0.00	0.00
53.	वेस्टबना फीडर	सिरोही	1999-2000	33.88	0.00	0.00
54.	कैलाश नगर	सिरोही	1999-2000	165.74	0.00	0.00
55.	फतेहगढ़ माइनर	हनुमानगढ़	1999-2000	133.49	0.00	0.00
56.	सतूर	बून्दी	2000-2001	135.00	0.00	0.00
	योग			14,139.46	0.00	0.00
महा योग				59,179,06	0.00	995.13

सोमकमला अम्बा बांध व नहर खण्ड कार्यालय, डूंगरपुर के कर्मियों का स्थानान्तरण

49. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सोमकमला अम्बा बांध खण्ड, डूंगरपुर व सोमकमला नहर खण्ड, डूंगरपुर तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा गत दस वर्षों में बाजार से टाइपिंग, साइक्लोस्टाइल, कम्प्यूटर जोब वर्क तथा फोटो स्टेट कराने पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यालयों से गत छः माह में कितने कार्यप्रभारी अथवा कार्यप्रभारी नियमित श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं?

(3) क्या उक्त स्थानान्तरण आदेश किसी मंत्री/विधायक की डिजायर पर किए गए हैं? यदि हां, तो प्रति सहित स्थानान्तरण आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सोम कमला अम्बा बांध एवं नहर खण्ड डूंगरपुर के अधीनस्थ कार्यालय द्वारा गत 10 वर्षों में बाजार से टाइपिंग/साइक्लोस्टाइल/कम्प्यूटर जोब वर्क तथा फोटो स्टेट कराने में कुल राशि रु. 14.01 लाख व्यय की गई है। व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-"अ" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) सोमकमला अम्बा बांध एवं नहर खण्ड तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों से गत 6 माह में 15 कार्यप्रभारी एवं 101 कार्यप्रभारी नियमित श्रेणी कर्मचारी के स्थानान्तरण किये गये।

(3) जी, नहीं।

सोमकमला अम्बा परियोजनाओं के द्वारा गत 10 वर्षों में बाजार से टाइपिंग/साइक्लोस्टाइल/कम्प्यूटर जोब वर्क तथा फोटो स्टेट कराने में व्यय की गई राशि का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	राशि (रु. लाखों में)
1.	91-92	0.94
2.	92-93	1.00
3.	93-94	1.04
4.	94-95	0.77
5.	95-96	0.64
6.	96-97	1.49
7.	97-98	2.12
8.	98-99	2.22
9.	99-2000	1.66
10.	2000-2001	2.13
	योग	**14.01**

बिना पानी दिये नहरी क्षेत्र के किसानों से वसूली

50. श्री अमराराम (धोद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने भाखरा व पोंग बांध में पानी की कमी को देखते हुए गंगनहर, भाखरा, इन्दिरा गांधी

(श्री अमराराम)

नहर, चम्बल व माही डेम के नहरी क्षेत्र के किसानों को मात्र सरसों, चना व जौ की फसल बोने की सलाह दी थी?

(2) क्या यह भी सही है कि पानी की कमी की सूचना देने के बाद भी किसानों ने हजारों कुए खोद व पहले बने कुओं से बिजली व डीजल इंजनों से सिंचाई कर गेहूं की फसल बोई? यदि हां, तो उक्त सिंचाई परियोजनाओं में इस समय कृषि कुओं की संख्या कितनी है तथा कितने क्षेत्र में गेहूं की फसल बोई गई है?

(3) क्या यह सही है कि गंगनहर, भाखरा, इन्दिरा गांधी नहर, चम्बल व माही नहरों से किसानों को गेहूं के पकने लायक पानी नहीं दिया गया है?

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार उक्त क्षेत्र के उन किसानों से भी सिंचाई दरें वसूल कर रही है जिन किसानों ने कुओं से गेहूं व अन्य फसलें बोई हैं? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही है कि पानी की कमी को देखते हुए गंग-भाखरा, इन्दिरा गांधी नहर, चम्बल व माही बांध के नहरी क्षेत्र के किसानों को कम पानी से पकने वाली फसल ही बोने एवं बुवाई के क्षेत्र को सीमित रखने हेतु सलाह दी गई थी।

(2) सिंचाई विभाग द्वारा इस प्रकार का विवरण संधारित नहीं किया जाता है।

(3) पानी की कमी को देखते हुए गंग-भाखरा, इन्दिरा गांधी नहर, चम्बल व माही बांध के नहरी क्षेत्र के कृषकों को दी गई सूचना एवं जल वितरण समिति के निर्णय के अनुरूप ही पानी दिया गया।

(4) यदि काश्तकारों ने अपने निजी ट्यूबवैल से ही सिंचाई की है तो उनसे कोई सिंचाई दरें वसूलने का प्रश्न ही नहीं है।

इंदिरा गांधी नहरी सिंचित क्षेत्र में रबी व खरीफ की फसलें

51. श्री अमराराम (धोद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) इंदिरा गांधी नहर परियोजिना के प्रथम चरण में कितना क्षेत्र कमान्ड है तथा इस वर्ष व गत वर्ष कितने क्षेत्र में रबी व खरीफ की फसल बोई गई?

(2) उक्त नहर के द्वितीय चरण में कितना क्षेत्र कमान्ड है तथा इस वर्ष कितने क्षेत्र में रबी व खरीफ की फसल बोई गई?

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर की प्रथम स्टेज (चरण) में 5.53 लाख हैक्टेयर कमांड क्षेत्र है। गत वर्ष एवं इस वर्ष खरीफ एवं रबी की फसल, निम्नानुसार क्षेत्र में बोई गई है: —

1. खरीफ (1999)	3.20 लाख हैक्टेयर
2. रबी (99-2000)	3.919 लाख हैक्टेयर
3. खरीफ (2000)	3.315 लाख हैक्टेयर
4. रबी (2000-2001)	2.135 लाख हैक्टेयर

(सिंचाई मंत्री)

(2) इन्दिरा गांधी नहर की द्वितीय स्टेज (चरण) में कुल कमांड क्षेत्र 14.10 लाख हैक्टेयर है जिसमें से 8.73 लाख हैक्टेयर सीधी सिंचाई (फ्लो) द्वारा तथा 5.37 लाख हैक्टेयर लिफ्ट सिंचाई द्वारा सिंचित होना है। इस वर्ष खरीफ 2000 में 1,04,619 हैक्टेयर व रबी 2000-2001 में लगभग 72,480 हैक्टेयर क्षेत्र में फसल जनवरी, 2001 तक बोई गई है।

सिंचाई परियोजनाओं पर व्यय

52. श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

प्रदेश में किस-किस जिले की किस विधान सभा क्षेत्र की विभिन्न वृहत्/मध्यम व लघु सिंचाई परियोजनाओं पर गत तीन वर्षों में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत तथा व्यय की गई? उक्त योजनाओं का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रदेश में जिलेवार विधान सभा क्षेत्रों की विभिन्न वृहद्, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं पर गत तीन वर्षों में स्वीकृत राशि एवं व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-"अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति-देवगढ़ (राजसमन्द) की अपूर्ण लघु सिंचाई परियोजनायें

53. श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) वर्ष 1998-99 से 2000-2001 में जिला राजसमन्द की किस-किस पंचायत समिति की किस-किस लघु सिंचाई परियोजना पर कितनी-कितनी राशि स्वीकृत तथा व्यय की गई थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला राजसमंद की पंचायत समिति–देवगढ़ की सांगावास लघु सिंचाई परियोजना वर्षों से अपूर्ण है? गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा उक्त परियोजना पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?

(3) क्या सरकार उक्त परियोजना पर वर्ष 2001-2002 में कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) वर्ष 1998-1999 से 2000-2001 तक जिला राजसमन्द में लघु सिंचाई परियोजनाओं पर पंचायत समितिवार स्वीकृत राशि एवं व्यय का विवरण प्रपत्र-"अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी, हां। इस परियोजना पर वर्ष 1998-99, 99-2000 एवं 2000-2001 में अकाल राहत मद में क्रमशः 3.38 लाख, 0.34 लाख एवं शून्य व्यय हुआ है।

(3) वित्ती संसाधन की उपलब्धता होने पर ही कार्य पूर्ण कराया जा सकेगा।

प्रपत्र—"अ"

क्र. सं.	परियोजना का नाम	पंचायत समिति	वर्ष 1998-99		वर्ष 1999-2000		वर्ष 2000-2001		विशेष विवरण
			आवंटित बजट (लाख में)	व्यय (लाख में)	आवंटित बजट (लाख में)	व्यय (लाख में)	आवंटित बजट (लाख में)	व्यय (लाख में)	
1.	चिकलवास	खमनोर	29.50	29.21	शून्य	2.00	शून्य	शून्य	
2.	माताजी का खड़ा	रेलमगरा	54.50	54.50	22.13	22.13	3.31	3.01	
3.	भैसाकमेड	खमनौर	57.23	57.23	55.89	55.89	12.45	9.93	
4.	टोकड	आमेट	34.41	34.41	26.29	26.29	3.00	2.98	
		योग	175.64	175.35	104.31	106.31	18.76	1.92	

पशु चिकित्सकों के पदों का सृजन

56. श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में पशु चिकित्सकों के कितने पद कहां-कहां पर स्वीकृत हैं तथा उनमें कितने पद कहां-कहां पर कब-कब से रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार राज्य में पशु चिकित्सकों के नये पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कितने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में पशु चिकित्सकों के 1419 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 389 पशु चिकित्सकों के पद रिक्त है। सूची संलग्न है।

(2) जी, हां। कार्मिक एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होने के पश्चात् ही पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) जी, नहीं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

लाडनूं (नागौर) में अधिस्वीकृत पत्रकार

57. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या सूचना एवं जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि कस्बा लाडनूं, जिला नागौर में सरकार द्वारा स्वीकृत पत्रकार हैं? यदि हां, तो कब-कब से कौन-कौन और किस-किस समाचार-पत्र से संबंधित हैं तथा उनको सरकार की ओर से कब-कब कार्ड जारी किये गये? पत्रकारों का नाम, पिता का नाम तथा पूरे पते के सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पत्रकारों को क्या-क्या सुविधाएं किस-किस प्रकार से सरकार व अन्य विभागों से मिल रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त सम्बन्ध में कोई नियम बने हुए हैं या सरकार ने आदेश जारी किए हैं? यदि हां, तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। नागौर जिले के कस्बा लाडनू से श्री राजेन्द्र जैन अधिस्वीकृत पत्रकार हैं। श्री जैन दिनांक 13.5.1983 से ललकार पाक्षिक पत्र से अधिस्वीकृत हैं। श्री जैन के पिता का नाम स्व. श्री महावीर जैन है। श्री जैन का पता इस प्रकार है—राहु गेट, लाडनूं, जिला नागौर (राज.)।

(सूचना एवं जन सम्पर्क)

(2) अधिस्वीकृत पत्रकारों को दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) जी, हां। आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जन सम्पर्क अधिकारियों के रिक्त पद

58. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या सूचना एवं जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या विभाग में जन सम्पर्क अधिकारियों के अनेक पद काफी समय से रिक्त हैं? यदि हां, तो उक्त रिक्त पदों को पदोन्नति से भरने की अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य में अनेक जिला सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय बिना अधिकारियों के चल रहे हैं? यदि हां, तो उक्त कार्यालयों का संचालन किस प्रकार से किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जिला जन सम्पर्क अधिकारियों के पदों को भरने कि दिशा में लापरवाही रही है? यदि हां, तो क्या सरकार लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। रिक्त पदों को भरने हेतु मंत्री मंडलीय समिति से भरने की स्वीकृति मांगी गई है।

(2) जी, हां। रिक्त कार्यालयों का संचालन विभाग के सहायक सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है।

(3) जी, नहीं। किसी अधिकारी ने कोई लापरवाही नहीं की है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन की व्यवस्था एवं विज्ञापन पर व्यय

59. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या सूचना एवं जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या अन्तर्राष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन में प्रचार-प्रसार का कार्य निजी संस्थाओं द्वारा किया गया था? यदि हां, तो किन-किन संस्थाओं द्वारा किया गया है और इनको क्या-क्या कार्य किन-किन शर्तों के आधार पर दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जन सम्पर्क निदेशालय की प्रदर्शनी बढ़ते कदम की व्यवस्था एवं विज्ञापन आदि का कार्य भी उक्त संस्था द्वारा किया गया था? यदि हां, तो इसके लिए राज्य सरकार ने कितनी-कितनी राशि का भुगतान संस्था को किया है?

(श्री मानिक चन्द सुराना)

(3) क्या उक्त प्रदर्शनी की व्यवस्था का कार्य करने में जन सम्पर्क निदेशालय सक्षम नहीं था? यदि नहीं, तो फिर निजी संस्था को कार्य देने का क्या औचित्य था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन अपनी तरह का अनोखा सम्मेलन था। इस अवसर पर राजस्थान से संबंधित सभी क्षेत्रों की हस्तियों का जयपुर आगमन हुआ था। इस अवसर पर राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार दिलाने हेतु निजी एजेन्सियों का चयन किया गया।

विज्ञापन जारी करने हेतु रीको द्वारा पूर्व में स्वीकृत छः एजेन्सियों द्वारा अपने प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करने के उपरान्त क्रियोन्स एडवरटाइजिंग एण्ड प्रा. लि. को श्रेष्ठता के आधार पर चयनित किया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन के लिये जारी किये गये विज्ञापनों के लिये क्रियोन्स एडवरटाइजिंग प्रा. लि. द्वारा अनेक विज्ञापनों के डिजाइन निःशुल्क बनाकर उपलब्ध करवाये गये जिनमें से श्रेष्ठ डिजाइनों की स्वीकृति उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्राप्त कर डी.आई.पी.आर. दर पर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किये गये।

यह विज्ञापन एजेन्सी इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी (आइएनएस) द्वारा स्वीकृत है तथा इस सोसाइटी ने नियमानुसार कार्य किया है।

इस एजेन्सी द्वारा विज्ञापन जारी करने के लिए राज्य सरकार एवं सम्मेलन की कार्यकारी समिति से पूर्व में स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी।

कारपोरेट वाइस सेंडविक देश की प्रमुख जन सम्पर्क एजेन्सी में से एक है। जिसका चयन भी उच्च अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतिकरण के उपरान्त किया गया था। इस एजेन्सी को निम्न शर्तों के आधार पर नियुक्त किया गयाः —

1. राजस्थान के उद्योग पर्यटन, विद्युत आदि क्षेत्रों के संदर्भ में प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रधानता के आधार पर प्रकाशित करवाना,

2. सम्मेलन स्तर पर उच्च स्तरीय मीडिया सेन्टर की स्थापना करना।

3. मीडिया सेंटर में आन लाइन कम्प्यूटर, स्केनर, इंटरनेट आदि की सुविधा पत्राकारों को उपलब्ध करवाना एवं प्रबन्धन करना।

4. एजेन्सी द्वारा सम्मेलन से पूर्व एवं समापन पर दिल्ली में प्रेस कान्फ्रेस आयोजित कर सम्मेलन के उद्देश्यों एवं उपलब्धियों से अवगत करवाना।

5. एजेन्सी द्वारा महत्वपूर्ण व्यक्तियों के व्यक्तिगत साक्षात्कार करने एवं उन्हें समाचार-पत्रों में छपवाना।

(सूचना एवं जन सम्पर्क)

6. एजेन्सी द्वारा डी. आई. पी. आर. एवं आई. आर. सी. के मीडिया समन्वयक के साथ समन्वयात्मक तरीके से कार्य करना।

7. दिल्ली से पत्रकारों को लाने एवं ले जाने की व्यवस्था भी एजेन्सी द्वारा की गयी। जयपुर के बाहर से आई मीडिया का समन्वय भी इस एजेन्सी द्वारा किया गया।

(2) जी, हां। इस कार्य के निष्पादन पर कुल 9,52,500 रुपये का भुगतान जन सम्पर्क निदेशालय की अनुषंगा से क्रियोन्स एडवरटाइजिंग प्रा. लि. को किया गया।

(3) उक्त प्रदर्शनी की व्यवस्था जन सम्पर्क निदेशालय द्वारा की गई थी लेकिन प्रदर्शनी की सामग्री तैयार करने, पैनल्स, चटर्स व अन्य कार्यों की सेवायें उक्त एजेन्सी से प्राप्त की गई। सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विशेष आयोजनों के लिए विशेषज्ञता रखने वाला निजी एजेन्सियों से सेवाएं ली जाती है।

सरकारी अधिकारियों की बंद वाहन सुविधा से बचत

60. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या स्टेट मोटर गैराज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) वर्तमान में स्टेट मोटर गैराज में कुल कितनी गाड़िया हैं और इनका उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है?

(2) क्या यह सही है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा व्यय की जाने वाली राशि में बचत के नाम पर गाड़ियां बंद की गई थी? यदि हां, तो ऐसे कुल कितने अधिकारी हैं। जिनकी गाड़ियां वापिस ले ली गई थी?

(3) क्या उक्त गाड़ियों को बंद करने के बाद अधिकारियों ने प्राइवेट टैक्सियां ली एवं ज्यादा फिजूल खर्चा किया? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार बचत कर पाई या ज्यादा खर्चा हुआ? तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में मोटर विभाग में कुल 136 गाडियां हैं और उपयोग की सूची अनुसूची एक पर संलग्न है।

(2) जी, हां। स्टेट मोटर गैराज में 28 अधिकारियों की गाडियां वापस ली गई थीं।

(3) मोटर विभाग ने उक्त अधिकारीगण हेतु कोई भी प्राईवेट टैक्सी किराये पर नहीं ली।

(4) मोटर विभाग द्वारा अधिकारीगण को दी जाने वाली इन 28 वाहनों पर लगभग 7.50 लाख रुपये प्रति वर्ष पेट्रोल की बचत हुई है।

कार्यालय नियन्त्रक, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज, जयपुर
स्टेट मोटर गैराज विभाग में उपलब्ध वाहनों का उपयोग विवरण

1.	माननीय मुख्यमंत्रीजी	3
2.	माननीय मंत्रीगणों के प्रत्येक के एक वाहन	31
3.	सी. एम. स्टाफ कार	1
4.	माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा	1
5.	माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा	1
6.	माननीय नेता प्रतिपक्ष, राजस्थान विधान सभा	1
7.	माननीय मुख्य सचेतक, सरकारी	1
8.	उप मुख्य सचेतक	1
9.	अध्यक्ष, प्रशासनिक सुधार	1
10.	अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग	1
11.	अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग	1
12.	अध्यक्ष, अल्प संख्यक आयोग	1
13.	अध्यक्ष, ग्रामदान बोर्ड	1
14.	आयुक्त, निःशक्त जन	1
15.	सदस्य, आयोजना बोर्ड	1
16.	अध्यक्ष, मानवाधिकार एवं सदस्यों को	5
17.	अध्यक्ष, समाज कल्याण बोर्ड	1
18.	उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1
19.	अधिकारियों को	4
20.	सामान्य प्रशासन विभाग, सचिवालय	4
21.	मुख्यमंत्री सचिवालय पूल	5
22.	सक्सैना जांच आयोग	1
23.	मा. लोकायुक्त	1
24.	निवासीय आयुक्त, नई दिल्ली	10
25.	स्टेट मोटर गैराज, उदयपुर	9
26.	स्टेट मोटर गैराज, जोधपुर	8
27.	कलक्टर, बीकानेर	1
28.	कलक्टर, कोटा	1
29.	कलक्टर, भरतपुर	1
30.	कलक्टर, अजमेर	1

शेष वाहनें सचिवालय स्थित अधिकारियों के दौरे में, अति विशिष्ट व्यक्तियों/राजकीय अतिथियों के आगमन पर तथा उक्त वाहनों के रिप्लेसमेन्ट में लिया जाता है।

स्टेट मोटर गैराज में वाहनों की नीलामी से आय

61. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या स्टेट मोटर गैराज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में स्टेट मोटर गैराज में किस-किस विभाग ने कौन-कौन से वाहन जमा कराये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त वर्षों में जमा वाहनों को नीलाम कर दिया गया है? यदि हां, तो कुल कितने राजस्व की प्राप्ति हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में स्टेट मोटर गैराज में जिस-जिस विभाग ने वाहनें जमा करवाई है की सूची संलग्न है। एनेक्सर "ए"

(2) उक्त वर्षों में जिन-जिन विभागों की जमा वाहनों को नीलाम किया गया है, उन वाहनों की सूची मय राजस्व प्राप्ति का विवरण संलग्न है। एनेक्सर "बी"

(3) वर्ष 1999-2000 रु. 1,61,21,000.00

वर्ष 2000-2001 रु. 71,94,500.00

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

होम्योपैथिक चिकित्सालय धाभाईजी की हवेली, हवामहल का स्थानान्तरण प्रकरण

62. **श्री भाणजी** (दानपुर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) वर्तमान में जयपुर शहर में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय कहां-कहां संचालित हैं? उक्त चिकित्सालयों में गत दो वर्षों में मरीजों की संख्या क्या रही है? सूची मय पदस्थापित चिकित्सकों के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के हवामहल धाभाईजी की हवेली में संचालित राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय में मरीजों की संख्या अधिक होते हुए स्थानीय जनता जो इस चिकित्सालय का अधिकाधिक चिकित्सा लाभ प्राप्त करती थी के उपचार हेतु बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किये अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार निकट भविष्य में इस क्षेत्र की जनता के उपचार हेतु नवीन चिकित्सालय अथवा पूर्व चिकित्सालय के एक चिकित्सक को पास में अन्य स्थान पर या धाभाईजी की हवेली में पदस्थापित कर सेवायें प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में औषधालय संचालित हैं, इनमें पदस्थापित चिकित्सक के नाम एवं गत दो वर्षों की वार्षिक रोगी संख्या का विवरण परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) धाभाईजी की हवेली में जो विभागीय होम्योपैथिक औषधालय संचालित था, वह केवल राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्यों को होम्योपैथिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत किया गया था। चूंकि अब विधान सभा नवीन भवन में स्थानान्तरित की जा चुकी है, अतः इस औषधालय को भी नवीन भवन में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(3) जहां तक स्थानीय जनता के लिए एक और होम्योपैथिक चिकित्सालय स्वीकृत करने का प्रश्न है, इस पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को मध्यनजर रखते हुए विचार किया जावेगा। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट "क"

जयपुर शहर में संचालित विभागीय हौम्योपैथिक औषधालयों की सूची, मय पदस्थापित चिकित्सक के नाम एवं वार्षिक रोगी संख्या (दो वर्ष की)

क्र.सं.	नाम औषधालय	पदस्थापित चिकित्सक का नाम	वार्षिक रोगी संख्या 1998-99	1999-2000
1.	बापूनगर	डा. अनिल जोशी	42085	52447
2.	हीरापुरा	डा. सुनील माथुर	18075	28367
3.	गांधीनगर	डा. साधना शर्मा	66186	66296
4.	सोडाला	डा. प्रवीणा खराडी	19218	19611
5.	सांगानेर	डा. गीता सिंह	40158	52349
6.	सचिवालय	डा. बलवीर सिंह	178472	211420
7.	विद्याधर नगर	डा. विजय शर्मा	39810	97327
8.	पुलिस लाइन	डा. विनोद कुमार	28966	66696
9.	सेठी कालोनी	डा. मनमोहन सिंह	91628	102553
10.	विधान सभा	डा. जयकिशन शर्मा डा. नरेन्द्र प्रसाद माथुर	203562	202933
11.	थाना-एयरपोर्ट सर्किल सांगानेर	डा. नमिता राजवंशी	88980	141589

नोटः—विधान सभा स्थित होम्योपैथिक औषधालय में चिकित्सक के दो पद स्वीकृत हैं।

आयुर्वेदिक औषधालयों के नियंत्रण का पंचायती राज को स्थानान्तरण

63. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या मंत्रिमण्डलीय निर्णयानुसार गत वर्ष राज्य के आयुर्वेदिक औषधालयों एवं उनमें कार्यरत चिकित्सकों/कर्मचारियों का नियंत्रण जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के अधीन कर पंचायत राज संस्थानों को अधिकार प्रदान किये थे? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में जारी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त औषधालयों के चिकित्सकगण ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेते हैं? यदि हां, तो पाली जिले की जिला परिषद् एवं पंचायत समितियों की बैठकों में उक्त विभाग के किस-किस चिकित्सक ने किस-किस दिनांक को भाग लिया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त जिले के उक्त औषधालयों में कार्यरत चिकित्सकों ने बैठकों में भाग नहीं लिया? यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे चिकित्सकों के विरुद्ध इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्यादेश क्रमांक प.-25 (1) आयुर्वेद/2000 दिनांक 2.6.2000 द्वारा केवल ग्रामीण क्षेत्रोंमें संचालित "ब" श्रेणी आयुर्वेद औषधालयों का नियंत्रण पंचायत राज संस्थाओं को दिनांक 1.6.2000 से सौंपा गया है। जारी उक्त राज्यादेश दिनांक 2.6.2000 एवं संशोधित समसंख्यक आदेश दिनांक 25.11.2000 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी, नहीं। राज्यादेश दिनांक 2.6.2000 के अनुसार चिकित्सक की उपस्थिति केवल पंचायत की ग्राम सभा में अनिवार्य है।

(3) जिला परिषद, पाली या जिले की पंचायत समितियों से विभाग को ऐसी कोई सूचना या शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, कि किस चिकित्सक ने किस दिनांक की बैठक में बुलाये जाने पर भी भाग नहीं लिया है। अतः अभी तक किसी भी चिकित्सक के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है।

प्रतिलिपि आदेश क्रमांक प. 25 (1) आयुर्वेद/2000 जयपुर आयुर्वेद दिनांक 2.6.2000 द्वारा प्रमुख शासन सचिव (आयुर्वेद), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-4) आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

आदेश

मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 5/2000 दिनांक 2.1.2000 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित "ब" श्रेणी के आयुर्वेद औषधालयों का नियंत्रण पंचायत राज संस्थाओं के अधीन करते हुए जन स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद चिकित्सा के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने का उत्तरदायित्व भी उन्हें सौंपने का निर्णय किया है। इस निर्णय की क्रियान्विति हेतु निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं, जो दिनांक 1.6.2000 से प्रभावी होंगे: —

(क) जिला स्तर

1. जिला आयुर्वेद अधिकारी, ग्रामीण स्वास्थ्य की रक्षा तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा से संबंधित मामलों में जिला परिषद के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत कार्य सम्पन्न करेंगे। ये जिला परिषद् व आयुर्वेद विभाग की स्थायी समिति की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेंगे। इन बैठकों में ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षा एवं आयुर्वेद चिकित्सा तथा औषधालय की कार्यशीलता के समस्त कार्यक्रमों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति कर्मचारियों एवं अधिकारियों के निर्धारित मुख्यालय पर निवास संबंधी सूचना माह के दौरान औषधालय द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा सुविधायें एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में दिए गए योगदान संबंधी मामलों का स्थायी एजेण्डा के रूप में प्रस्तुत करेंगे व जन प्रतिनिधियों को समस्त सूचनायें उपलब्ध करवायेंगे। साथ ही यह भी चिन्हित करेंगे कि किन-किन औषधालयों को पंचायत राज संस्थानों के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है।

जिला आयुर्वेद अधिकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में जिले की आयुर्वेद योजना तैयार कर उसका अनुमोदन जिला परिषद से करवाकर क्रियान्विति सुनिश्चित करेंगे।

जिला परिषद के प्रशासनिक अधिकार

1. जिला आयुर्वेद अधिकारी द्वारा किये गये वार्षिक कार्य संबंधी टिप्पणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी निदेशक, आयुर्वेद विभाग को भेजेंगे, जो उनके गोपनीय प्रतिवेदन का भाग समझी जावेगी।

2. जिला परिषद की संबंधित समिति को ये अधिकार होंगे कि वे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के "ब" श्रेणी के आयुर्वेदिक औषधालयों के कर्मचारियों के स्थानान्तरण संबंधी सुझाव/प्रस्ताव संबंधित जिला आयुर्वेद अधिकारी/क्षेत्रीय उप निदेशक को प्रेषित करेंगे। यदि जिला आयुर्वेद अधिकारी/क्षेत्रीय उप निदेशक जिला परिषद के यह प्रस्ताव/सुझाव राज्य सरकार की नीति के अनुरूप होंगे तो वे क्रियान्विति कर सकेंगे। यदि प्रस्ताव

राज्य सरकार की नीति के अनुरूप नहीं हो तो कारण सहित जिला परिषद के मुख्य कार्यवाही अधिकारी को लौटा दिया जावेगा जिन पर जिला परिषद की समिति द्वारा पुनः विचार किया जावेगा। यदि समिति इन प्रस्तावों को पुनः लागू करवाना चाहेगी तो मुख्य कार्यवाही अधिकारी, जिलाधीश से अनुमोदन प्राप्त कर निदेशक, आयुर्वेद विभाग, को भेज देंगे। जिन पर राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त कर निदेशक अनिवार्य रूप से क्रियान्विति करेंगे।

3. वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र के "बी" श्रेणी आयुर्वेद औषधालय के लिए बजट का प्रावधान जिला परिषद् के मद में ही स्वीकृत है। जिला परिषद्/पंचायत समिति अपने स्तर से बजट में उपलब्ध राशि आहरित कर अपने विभिन्न वेतन वितरण केन्द्रों से औषधालयों में पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारियों को राशि वितरित करेगी।

4. आकस्मिक अवकाश संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद स्वीकृत करेंगे। इसके अतिरिक्त उपार्जित अवकाश नियमानुसार जिला आयुर्वेद अधिकारी/निदेशक, आयुर्वेद विभाग द्वारा सक्षमता के आधार पर स्वीकृत किए जावेंगे।

5. यदि ग्राम सभा किसी "ब" श्रेणी के औषधालय सेवा से संतुष्ट नहीं है या किसी कर्मचारी के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करती है तो उस पर जिला आयुर्वेद अधिकारी अविलम्ब कार्यवाही करेंगे। किसी कारणवश कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं होगा तो जिलाधीश से अनुमोदन करवाकर जारी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत को देंगे।

6. जिला प्रमुख उप जिला प्रमुख एवं जिला परिषद के सदस्य "ब" श्रेणी आयुर्वेद औषधालय का निरीक्षण करने को अधिकृत होंगे। निरीक्षण के समय अधिकारी एवं कर्मचारी अनुपस्थित मिले, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

7. जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष जिला प्रमुख होने तथा उपाध्यक्ष जिलाधीश होंगे तथा इस समिति में जिला आयुर्वेद अधिकारी अनिवार्य रूप से सदस्य होंगे एवं उनकी प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिए अनिवार्यता होगी।

जिला परिषद के कर्तव्य

जिले में आयुर्वेद चिकित्सा कार्यक्रम की प्रभावी क्रियान्विति का उत्तरदायित्व जिला परिषद व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद का होगा। ग्रामीण स्वास्थ्य की समस्याओं को आयुर्वेद औषधालयों के माध्यम से निपटाने में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला परिषद् अधिकृत होगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिमाह प्रगति विवरण एवं कठिनाइयों की सूचना अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा सचिव, आयुर्वेद को प्रेषित करेंगे।

आयुर्वेद विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर तकनीकी नियंत्रण आयुर्वेद विभाग का रहेगाः —

(ख) पंचायत समिति स्तर

1. जिला आयुर्वेद अधिकारी या उस द्वारा मनोनीत कोई प्रतिनिधि पंचायत समिति की बैठक में भाग लेकर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के माध्यम से जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
2. जिला आयुर्वेद अधिकारी अपने मुख्य कार्यक्रम सूचना संबंधित विकास अधिकारी को देंगे।
3. पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार पड़ने वाले समस्त "बी" श्रेणी आयुर्वेद औषधालयों के प्रभारी चिकित्सक को बुलाये जाने पर पंचायत समिति की बैठकों में निश्चित रूप से भाग लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
4. जो चिकित्सक व स्टाफ मुख्यालय पर रहकर कार्य नहीं करेगा जिसके खिलाफ जनता की शिकायतें हो उसकी रिपोर्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी को की जावेगी। वे उसे जिला परिषद् की समिति में विचारार्थ रखेंगे।
5. पंचायत समिति क्षेत्र के "ब" श्रेणी आयुर्वेद औषधालयों की वार्षिक योजना पंचायत समिति की साधारण समिति में प्रतिवर्ष रखी जावेगी।

पंचायत समिति का उत्तरदायित्व

पंचायत समिति क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के माध्यम से जन स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रमों की क्रियान्वयन एवं उत्तरदायित्व पंचायत समिति को होगा।

विकास अधिकारी पंचायत समिति द्वारा समीक्षा करने के पश्चात् प्रत्येक औषधालय की प्रगति रिपोर्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को भेजेंगे। विशेष तौर पर जिन औषधालय का कोई कार्य संतोषजनक नहीं हो, उनका उल्लेख मय कारणों के लिखेंगे।

(4) पंचायत स्तर

1. पंचायत अपने क्षेत्र के "ब" श्रेणी आयुर्वेद औषधालय की कार्य प्रणाली के संबंध में समीक्षा करेगी तथा उसका विस्तृत विवरण सरपंच, पंचायत समिति के विकास अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
2. पंचायत की ग्राम सभा बैठक में चिकित्सक की उपस्थिति अनिवार्य होगी, तथा वे स्वास्थ्य के नियमों की जानकारी आम जनता को देकर ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा स्वास्थ्य बनाने में सहयोगी होंगे।

3. ग्राम पंचायत के क्षेत्र में किसी ग्राम या वार्ड में किसी रोग विशेष का फैलाव हो तो पंचायत आयुर्वेद औषधालयों की सेवाओं में सहयोग प्रदान करेगी और इसकी सूचना जिला आयुर्वेद अधिकारी को प्रेषित करेगी।

4. पंचायत एवं आयुर्वेद औषधालय के प्रभारी मिलकर कार्यशील बनायेंगे। जिससे आम जनों में स्वास्थ्य रक्षा के प्रति जाग्रति तथा रोगी होने पर चिकित्सा सुलभ हो सके।

5. यदि पंचायत अपने क्षेत्र के औषधालय या किसी कर्मचारी की सेवाओं के प्रति उदासीनता का आरोप लगाती है तो जिला आयुर्वेद अधिकारी अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करेगा।

पंचायत के कर्तव्य

पंचायत सेवा में जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रभावी क्रियान्विति इन कार्यक्रमों में जन भागीदारिता सुनिश्चित करना व जनता का स्वास्थ्य के प्रति लागू करने का उत्तरदायित्व पंचायत का होगा।

आदेशों की क्रियान्विति

जिले में इन आदेशों की प्रभावी क्रियान्विति का प्रशासनिक उत्तरदायित्व प्रमुख जिला परिषद् एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद का होगा। वे पंचायत समिति व पंचायत स्तर पर आदेशों की पालना पर निगरानी रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि अधिकारी इन निर्देशों के तहत अपनी जवाबदेही पंचायती राज संस्थानों के प्रति निष्ठापूर्वक निर्वहन कर रहें हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जन प्रतिनिधि भी अपना कर्तव्य पूरी रुचि के साथ निभा रहे हैं।

पंचायत राज्य संस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में विभाग का यह पहला कदम है इन आदेशों की पालना में किए गए कार्यों की समीक्षा के आधार पर भविष्य में और अधिकार पंचायतों को सौंपने पर विचार किया जावेगा।

तकनीकी नियंत्रण व औषध वितरण

ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित "ब" श्रेणी आयुर्वेद औषधालयों का तकनीकी नियंत्रण निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर का होगा तथा वरिष्ठता सूची का निर्धारण निदेशक, आयुर्वेद करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के उक्त आयुर्वेद औषधालय अपनी औषध मांग के अनुरूप मांग पत्र जिला अधिकारी के माध्यम से निदेशक, आयुर्वेद विभाग को प्रेषित करेंगे जो मांग का मध्य नजर रखते हुए बजट उपलब्धता/दवाईयों की उपलब्धता के अनुरूप दवाईयों आदि संबंधित औषधालयों को वितरित करेंगे।

आज्ञा से,
ह0/-
(एन. आर. भसीन)
प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद

प्रतिलिपि आदेश क्रमांक प. 25/1/आयु/2000 जयपुर दिनांक 25.11.2000 द्वारा
उप शासन सचिव, आयुर्वेद चिकित्सा (ग्रुप-4)
आयुर्वेद विभाग,
राजस्थान सरकार,
जयपुर

आदेश

ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित "ब" श्रेणी के आयुर्वेदिक औषधालयों का नियंत्रण पंचायती राज संस्थाओं के अधीन करते हुए जन स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद चिकित्सा के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया संबंधी कार्यालय आदेश क्रमांक प25 (1) आयुर्वेद/2000 दिनांक 2.6.2000 जारी किए गए थे। इस आदेश में जिला परिषद को प्रशासनिक अधिकार संबंधी बिन्दु संख्या-3 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।

माह नवम्बर, दिसम्बर, 2000 एवं जनवरी, फरवरी, 2001 के वेतन भत्ते एवं कार्यालय व्यय की राशि पूर्व की भांति आयुर्वेद विभाग हस्तान्तरित औषधालयों के लिए वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर आयुर्वेद विभाग रोएप्रोपियेशन करायेंगे एवं जिला आयुर्वेद अधिकारी जिला कार्यालय में बिल प्रस्तुत कर उनके भुगतान की व्यवस्था करेंगे। दिनांक 1.4.2001 से इन औषधालयों के स्टाफ के वेतन भत्ते व कार्यालय व्यय की राशि आयुर्वेद विभाग के बजट के अंतर्गत ही सम्मिलित किए जाने की व्यवस्था की जावेगी जिसके अन्तर्गत इन औषधालयों में नियुक्त स्टाफ व इनके कार्यालय व्यय के भुगतान की प्रक्रिया भी इन औषधालयों हेतु अपनाये जाने वाली व्यवस्था के अनुरूप ही होगी, जिसमें संबंधित जिला आयुर्वेद अधिकारी बिल बनाकर जिला कोषालय से राशि आहरित कर सकेंगे।

आज्ञा से
ह०/-
(एल. एन. शर्मा)
उप शासन सचिव

पंचायती राज संस्थाओं को आयुर्वेदिक औषधालयों के निरीक्षण का अधिकारी

64. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने आयुर्वेद विभाग का कार्य पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा है? यदि हां, तो क्या-क्या कब-कब? उक्त संबंध में सरकार द्वारा जारी आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों/ जिला परिषदों को दिये गये अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार से किस-किस अधिकारी द्वारा किस-किस सीमा तक किया जावेगा? प्रत्येक संस्था को सौंपे गये अधिकारों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त संस्थाओं के किस-किस अधिकारी द्वारा किस श्रेणी के औषधालयों का निरीक्षण व पर्यवेक्षण किस प्रकार से किया जावेगा?

उत्तर

(1) राज्यादेश क्रमांक प25(1) आयुर्वेद/2000 दिनांक 2.6.2000 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित ब-श्रेणी आयुर्वेद औषधालयों का नियंत्रण पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा गया है। यह आदेश दिनांक 1.6.2000 से प्रभावी किये गये हैं। राज्यादेश दिनांक 2.6.2000 एवं समसंख्यक संशोधित आदेश दिनांक 25.11.2000 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों को दिये गये अधिकारों एवं इन संस्थाओं के कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों का विस्तृत उल्लेख राज्यादेश में अंकित है, जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जिला प्रमुख उप जिला प्रमुख एवं जिला परिषद के सदस्य, ग्रामीण क्षेत्र के ब-श्रेणी आयुर्वेद औषधालयों का निरीक्षण करने को अधिकृत है। निरीक्षण के समय जो अधिकारी एवं कर्मचारी अनुपस्थित मिलेंगे, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जावेगी।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

विधान सभा क्षेत्र घाटोल के औषधालयों में रिक्त पद

65. श्री नानालाल नीनामा (घाटोल) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) विधान सभा क्षेत्र घाटोल में कितने आयुर्वेदिक चिकित्सालय में चिकित्सकों के पद कब से रिक्त हैं?

(श्री नानालाल नीनामा)

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र घाटोल में वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्सकों के छः पद रिक्त हैं। रिक्त पदों का विवरण (अवधि जब से पद रिक्त है) निम्नानुसार है: —

क्र. सं.	**नाम औषधालय**	**अवधि जब से चिकित्सक का पद रिक्त है।**
1.	डूंगलावानी	28.7.2000 से
2.	ज़यपुरा	27.1.2001 से
3.	सैमलिया	14.7.1997 से
4.	बडलीखैडा	10.2.2001 से
5.	मोटागांव	31.3.1999 से
6.	भूंगड़ा	18.1.2000 से

(2) जी, हां। प्रथम चरण में 200 पदों को भरने की वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयन हेतु निवेदन किया जा रहा है। चयन होने पर 200 रिक्त पद भरे जा सकेंगे।

परिशिष्ट-2

कार्य सलाहकार समिति

11वां प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 27 मार्च, 2001 को मध्यान्ह पश्चात् 1.30 बजे माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 28 मार्च, 2001 से 9 अप्रेल, 2001 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाय : —

बुधवार, दिनांक 28 मार्च, 2001	प्रातः 11.00 बजे	1. अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2000-2001 का उपस्थापन; 2. द्वितीय राज्य वित्त आयोग के अंतरिम प्रतिवेदन एवं उस पर की गई कार्यवाही का उपस्थापन; 3. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर वाद-विवाद; (म. प. 4.00 बजे तक) 4. अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2000-2001 पर मुखबंद का प्रयोग किया जाकर मतदान; एवं 5. अनुपूरक अनुदान संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण
गुरुवार, दिनांक 29 मार्च, 2001	प्रातः 11.00 बजे	1. आय-व्ययक 2000-2002 का उपस्थापन; 2. वर्ष 2001-2002 के लिए लेखानुदान (वोट ऑन अकाउन्ट) संबंधी विवरण का प्रस्तुतीकरण; एवं 3. आय-व्ययक से संबंधित विधेयकों का पुरःस्थापन

शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च, 2001	प्रातः 11.00 बजे	1. लेखानुदान संबंधी विवरण पर विचार एवं उसका पारण; 2. लेखानुदान संबंधी विनियोग विधेयक पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण; एवं 3. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद
शनिवार, दिनांक 31 मार्च, 2001 रविवार, दिनांक 1 अप्रेल, 2001 सोमवार, दिनांक 2 अप्रेल, 2001	बैठक नहीं होगी।	
मंगलवार, दिनांक 3 अप्रेल, 2001 बुधवार, दिनांक 4 अप्रेल, 2001	प्रातः 11.00 बजे	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद
गुरुवार, दिनांक 5 अप्रेल, 2001 शुक्रवार, दिनांक 6 अप्रेल, 2001 शनिवार, दिनांक 7 अप्रेल, 2001 रविवार, दिनांक 8 अप्रेल, 2001	बैठक नहीं होगी।	
सोमवार, दिनांक 9 अप्रेल, 2001	प्रातः 11.00 बजे	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर